(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 13] पंचम विधान सभा के तेरहवें सत्र का छठा दिवस [संख्या 6

सोमवार

28 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

ओल्ड ऐज पेन्शन की राशि बढ़ाने की योजना

29. श्री अमृत लाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ओल्ड ऐज पेन्शन की योजना कब से चालू की गई और भविष्य में इस योजना में कब कब क्या और क्यों परिवर्तन किया गया? पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति एवं प्रति पति-पत्नी के जोड़े के लिए कितनी पेन्शन अलग अलग निर्धारित की गई थी और इस समय वह कितनी है?

(3) प्रारम्भ के वर्ष में और इस वर्ष आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता भावों के सूचकांक अलग अलग क्या है?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त पेन्शन को उपभोक्ता भावों के अनुपात में अब बढ़ाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो मंहगाई लगभग दुगुनी होने पर भी उपरोक्त असहाय लोगों के लिए क्यों नहीं कर रही है?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री बनवारी लाल) : (1) राजस्थान में वृद्धावस्था पेन्शन योजना वर्ष 1964-65 से लागू की गई है। योजना लागू करने के बाद इसमें जो जो मुख्य परिवर्तन किये गये हैं उनका ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति को 20 रुपये तथा पति-पत्नी के जोड़े के लिए 25 रुपये की संयुक्त पेन्शन स्वीकृत करने का प्रावधान था। दिनांक 1-3-70 से यह दरें क्रमशः 30 रुपये व 40 रुपये तथा दिनांक 1-1-77 से क्रमशः 40 रुपये व 60 रुपये प्रति माह कर दी गई हैं।

(3) आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा केवल जयपुर व अजमेर के ही उपभोक्ता भावों के

Page No 2

(2)

(श्री बनवारी लाल)
सूचकांक के आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं न कि सारे राजस्थान के।

(4) समस्त परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में 1-1-77 से पेन्शन की दरें बढ़ा दी है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं कि 1964 में पेन्शन नियम लागू किये गये हैं। मैंने आपसे प्रश्न में सूचकांक मांगे थे उपभोक्ता भावों के वह आपने नहीं दिये लेकिन मैं खुद उन्हें पेश करता हूं। 1962 में प्राइस इन्डेक्स यदि 100 था तो वह अक्टूबर, 1974 में 399 हो गया, अर्थात् जिस समय पेन्शन नियम लागू किये थे उससे चौगुने भाव हो गए। इस हिसाब से यदि आप 80 रुपये पेन्शन देते तो ठीक था लेकिन आपने 20 के बजाय 40 दिये हैं अर्थात् आपने बूढ़ों के लिये आधी पेन्शन कर दी। बाजार में उपभोक्ता भाव यदि 80 रुपये हैं तो आपने 40 रुपये दिए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बूढ़े लोगों की कोई आवाज नहीं है, उनकी पेन्शन आपने आधी कर दी है। क्या आप सूचकांक के अनुसार पेन्शन रिवाइज करने की सोच रहे हैं ? नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो सकेगा।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था पेन्शन की जो दर है इसको अनुपात से तय नहीं किया गया है। यह तो अलग से ही तय की गई है और अभी हाल ही में जैसा अर्ज किया कि 1-1-77 से 10 रुपया प्रति व्यक्ति इसमें इजाफा किया गया है।

श्री अमृत लाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को यों कह कर नहीं टाला जा सकता। आज भाव चौगुने हो गए और आपने पेन्शन दुगुनी ही की है। यह बहुत गम्भीर विषय है। यह बूढ़े लोगों का, जिनका कोई सहारा नहीं है, के साथ अन्याय होगा। उनके लिए आप सोचिये और आश्वासन दीजिए कि आप इन पेन्शन की दरों को रिवाइज करेंगे मूल्यों के सूचकांक के आधार पर ?

श्री बनवारीलाल : मैंने अर्ज किया कि अभी हाल ही में प्रति व्यक्ति 10 रुपये बढ़ाये हैं, घटाये नहीं गये हैं। आपने कहा कि पेन्शन आधी ही रह गयी है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी 1–1–77 से ही 10 रुपये बढ़ाये गये हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिवाइज करने का राज्य सरकार विचार रखती है या नहीं ? स्पेसिफिक जवाब दें !

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1–1–77 से ही अभी रिवाइज की गई है। इसलिए अभी कोई विचार ऐसा नहीं है कि दुबारा रिवाइज की जाये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने यह एश्योरेन्स दिया था हाउस में कि जो बूढ़े लोग हैं वह वहां पेन्शन लेने के लिए नहीं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

पहुंच सकते हैं इसलिए उनको उनकी पेन्शन मनी आर्डर के जरिये से भेज दी जायेगी लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है और बूढ़ों को बड़ी तकलीफ होती है। वे बेचारे वहां पहुंच नहीं सकते हैं और फिर जिन्दा होने का सर्टीफिकेट उनको हर मर्तबा पहुंचाना पड़ता है। क्या इसके बारे में कोई सुविधा वह दे सकते हैं? इन्डेम्निटी बाण्ड दूसरों से भरवाकर यदि वह दे दें तो क्या उनको ऐसी सुविधा दिला सकते हैं कि उनकी पेन्शन उनके घर पहुंच जाये? आप मनी आर्डर फीस काटकर उनको भेज दें।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे सवाल का जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री दीपंकर : इससे मिलता जुलता ही सवाल है। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो आपने पेन्शन का स्तर तय किया है उसके पीछे क्या आधार है? क्या उनको बाजार से अन्न खरीदने के अलावा दूसरी आवश्यकता महसूस नहीं होती है? एक व्यक्ति को समाज में रहकर अनेक चीजों की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में स्वस्थ अवस्था से ज्यादा आवश्यकतायें होती हैं। तो किन किन आवश्यकताओं को जरूरी मानते हुए किस आधार पर तय किया है?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैं भी एक सवाल पूछ लूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरे सवाल का जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इससे संबंधित प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रांगण पर इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार हुआ था और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सरलीकरण के लिए नियमों में संशोधन किया जायेगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरलीकरण के लिए जो आश्वासन दिया गया था, ओल्ड ऐज पेन्शन के लिए लोगों को भटकना न पड़े और गांवों में और मोहल्लों में मनीआर्डर के द्वारा पहुंचा दी जाये इसके बारे में कोई प्रावधान किया गया है क्या? क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जिस प्रकार प्राइस इन्डेक्स बेसिस पर सरकारी कर्मचारियों को या अन्य व्यक्तियों को डी. ए. या अन्य अलाउन्सेज दिये जाते हैं, उनको लिंक किया जाता है उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों, जिनका दूसरा सहारा नहीं होता है, की पेंशन को प्राइस इन्डेक्स से लिंक करने के लिए कोई प्रावधान करेंगे?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : साथ ही साथ एक सप्लीमेन्ट्री मैं भी पूछना चाहूंगा आपकी आज्ञा से। जब इस सदन के अन्दर कोई मंत्री महोदय के द्वारा आश्वासन दिया जाता है तो उस आश्वासन को क्रियान्वित नहीं करना क्या 'इन्सल्ट आफ दी हाउस' नहीं है?

Page No 4

(४)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उसकी एक कमेटी बनी हुई है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह बात सही है कि सदन के पटल पर जो आश्वासन दिया गया था उसको पूरा नहीं किया गया बल्कि एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी ने डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस किया और डिस्कशन करके जिस नतीजे पर आयी, वह इम्पलीमेन्ट किया जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न किया कि क्या इसको प्राइस इण्डेक्स के साथ लिंक नहीं किया जा सकता। करना तो मुश्किल की बात नहीं है लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने साधन देखने होंगे और उसके बाद में किसी नतीजे पर आना होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, उनके घरों पर पेन्शन भेज दी जाये इसके लिए आपने आश्वासन दिया था। वह वहां जाते हैं और बैठे रहते हैं। एक वहीं हार्ट फेल होने के कारण मर गया। वह पेन्शन लेने गया था। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनकी पेन्शन मनीआर्डर से चली जाये? इसका जवाब नहीं आया।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें कई इम्पलीकेशन्स हैं, बाप और बेटे का मेल-मिलाप नहीं है, रिलेशन्स के साथ में नहीं है, उसके हाथ में पहुंचनी चाहिये, वह घर पर है या नहीं है—कई ऐसी चीजें हैं जो कि मनीआर्डर से पासिबल नहीं हैं। इसलिए लम्बे डिस्कशन के बाद यही सोचा गया कि जो प्रेजेन्ट सिस्टम है वह ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकर सिंह!

कुओं पर कैपिसीटर

30. श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य में जिन कुओं पर विद्युत् मोटरें लगी हुई हैं उन पर कैपीसीटर लगाना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्यों?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : जी हां। कैपीसीटर लगाना तकनीकी कारणों से उपभोक्ता के हित में है।

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कैपीसीटर लगाना उपभोक्ताओं के हित में है तो यह भी ग्योरिटी नहीं है कि उसके लगाने के बाद मोटरें खराब नहीं होंगी। वह तो सिर्फ इतना सहायक हो सकता है कि जैसे 300 वोल्टेज जरूरी हैं तो उससे थोड़ा कम ज्यादा हो जाय। अभी किसानों की आर्थिक स्थिति को नहीं देखते हुए ऐसे नोटिस गये हैं कि उनको अनिवार्य रूप से लगाना है और नहीं लगायेंगे तो लाइन काट दी जायेगी। तो मेरा निवेदन है कि इसको किसानों की स्वेच्छा पर रखा जाना चाहिये। आज किसानों की हालत ऐसी नहीं है कि वह कैपीसीटर लगायें। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि इसको किसानों की स्वेच्छा पर रखा जाये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसको वालियन्टरी कर दिया जाना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि कैपीसीटर

(श्री हीरालाल देवपुरा)
लगाना उपभोक्ताओं के हित में है, इसका मतलब यह है कि जो लोड फंक्टर है वह पूरा लोड नहीं ले पाते हैं इसलिए मोटरों का भी नुकसान होता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : सुनाई ही नहीं देता, मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं वह।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं केवल निवेदन कर रहा था कि कंपीसीटर लगाना बोर्ड और किसानों, दोनों, के हित में है। लाइन लासेस होते हैं। डिफेक्ट हो जाता है। आल इन्डिया को सेन्ट्रल इलैक्ट्रीसिटी आथोरिटी है उसने पूरा विचार करके सारे देश के लिए एक फार्मूला बनाया है। जब वोल्टेज पूरा नहीं होता तो इसमें किसान को भी नुकसान है। माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कंपीसीटर लगाना लाजमी न किया जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक इस कंपीसीटर की वजह से किसी भी कंज्यूमर का कनेक्शन नहीं काटा गया है। यह जरूर कहा गया कि कंपीसीटर आप लगायें। ए.आर.सी. में भी इस बात पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया है कि जो भी मोटर का लोन लेता है और अगर कंपीसीटर का लोन लेना चाहें तो वह भी बैंक के माध्यम से दिलाया जायेगा। यह सहूलियत भी कर दी गई है। फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं कि अनिवार्य न किया जाये तो बोर्ड ने फैसला किया है कि कंपीसीटर लगाना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन माननीय सदस्यों से मैं यह चाहूंगा कि 'अनिवार्य नहीं' से यह नहीं समझ लिया जाये कि लगवाना ही नहीं है। वे भी अपने एरिया में कन्ज्यूमर को परसुएड करें कि कंपीसीटर लगाना उनके हित में है और बोर्ड के हित में भी है।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इससे राहत मिल सकती है लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कंपीसीटर की हमारे यहां आवश्यकता नहीं है। जहां वोल्टेज कम आता है तो मोटर बन्द हो जाती है। कंपीसीटर की आवश्यकता रहती ही नहीं है।

प्रश्न संख्या 31

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राम प्रसाद बोहरा।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री हाजी जान मोहम्मद।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : आपसे गुजारिश करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : पहिले प्रश्न तो पूछिये।

श्री हाजी जान मोहम्मद : आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 32 बोलिये।

सालोतिया, ओड़िया खेड़ी तथा हिम्मतगढ सहकारी समितियों में गबन

32. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सालोतिया सहकारी समिति में तकरीबन 80,000 रुपये का गबन हुआ था ? यदि हां, तो क्या

(श्री हाजी जान मोहम्मद)
कार्यवाही की गई ? क्या इस गबन के केस को पुलिस को दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ओड़िया खेड़ी सहकारी समिति में तकरीबन 19,000 रुपये का गबन हुआ था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह केस पुलिस को दिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सहकारी समिति हिम्मतगढ़ में तकरीबन 12,000 रुपये का गबन हुआ है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस केस को पुलिस को दिया गया ? अगर नहीं तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा):
(1) हसालोतिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में रु. 64080-90 पैसे का गबन होने की सूचना मिली थी। राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 74 (2) के प्रावधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, केस पुलिस विभाग में भी दर्ज कराया जा चुका है।

(2) ओडिया खेडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में रु. 17922-17 पैसे की राशि के गबन किये जाने की सूचना मिली थी। राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 74 (2) के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। केस पुलिस विभाग में भी दर्ज कराया जा चुका है।

(3) हिम्मतगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि में रु. 11989.27 पैसे की राशि के गबन किए जाने की सूचना मिली थी। राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 1965 की धारा 74 (2) के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। केस पुलिस विभाग में भी दर्ज कराया जा चुका है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : इन तीनों केसेज के बारे में तीन साल से मैं बराबर पूछ रहा हूं। आपने कोई कार्यवाही नहीं की। इसकी जिम्मेदारी किस की है ? 80 हजार का गबन हुआ है। कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को सम्भवतः पूरी जानकारी नहीं है। यह केस 1971-72 के हैं। 1973-74 में ऑडिट हुआ तब मालूम पड़ा कि गबन हुआ है। 1975 में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चली। 1976 में यह केस दर्ज करा दिये गये है। वसूली की कार्यवाही की जा रही है। अलबत्ता एक केस के अन्दर सर्टेन अमाउन्ट के लिये स्टे आर्डर आया हुआ है, वह केस जरूर अपील के अन्दर पेन्डिंग है। मैं समझता हूं सारी कार्यवाही नियमानुसार चल रही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय, यह बतायेंगे कि इस गबन के पीछे क्या अधिकारियों का हाथ नहीं है ? दूसरे, क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं थी ? कोआपरेटिव सोसाइटीज में आये दिन गबन होते रहते हैं तो इसमें उनकी लाइबिलिटी समझी जावेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों का हाथ है या नहीं, हर समिति के लिए नहीं कह सकता किन्तु इन तीनों समितियों के अन्दर अधिकारियों का हाथ नहीं है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : 12 साल हो गये, यह कब तक चलता रहेगा ?

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : सब जगह यह गबन हो रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके अन्दर कार्यवाही की गई है। माननीय सदस्य को स्वयं को मालूम है। वसूली के काम में माननीय सदस्य स्वयं ही जानते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : 10 साल हो गये। बराबर तीन साल से पूछ रहा हूं यह जिम्मेदारी किस की है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 33।

श्री हाजी जान मोहम्मद : आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नलदरा ग्राम में प्राथमिक पाठशाला खोलने की मांग

33. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नलदरा पंचायत समिति, सांचौर में ग्रामवासियों द्वारा नई प्राथमिक पाठशाला खोलने के लिये काफी अर्से से मांग की जा रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में पाठशाला भवन एवं शिक्षक के रहने के लिये मकान ग्रामवासियों ने काफी अर्से पहले बना दिया है एवं सिर्फ शिक्षक की मांग की जा रही है ? अगर हां, तो अब तक उक्त ग्राम में प्राथमिक पाठशाला न खोलने के क्या-क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के आसपास कोई दूसरी प्राथमिक पाठशाला नहीं है और यह काफी बड़ा ग्राम है ? अगर हां, तो उक्त ग्राम में प्राथमिक पाठशाला कब तक खोल दी जावेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि अब पंचायत समिति सांचौर ने एडहॉक बेसिस पर एक शिक्षक का पोस्टिंग उक्त पाठशाला के लिये, किया है ? अगर हां, तो कब ? क्या उक्त शिक्षक को पुख्ता रूप में उक्त पाठशाला में लगवाने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) जी हां। ग्रामवासियों ने नई प्राथमिक पाठशाला खोलने के लिये दिनांक 20—10—75 को मांग की थी। पाठशाला खोलने की स्वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 8—3—77 को दे दी गई है।

(2) जी नहीं। पर्याप्त भवन की व्यवस्था अभी भी नहीं है। पाठशाला खोल दी गई है और अध्यापक की नियुक्ति भी की जा चुकी है।

(3) जैसा बताया जा चुका है, गांव में पाठशाला खोल दी गई है।

(श्री फारुक हसन)

(4) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पाठशाला खोलते ही शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है।

प्रश्न संख्या 34

श्री अध्यक्ष : श्री चतरभुज।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 35

श्री चेतराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री बी. एन. जोशी।

गलत फिक्सेशन से फायदा

36. **श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बान्दीकुई) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियोजन सेवा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के अधिकारी श्री आर. एन. भण्डारी ने अपना गलत फिक्सेशन करवा कर हजारों रुपये की अधिक रकम राज्य कोष से उठा ली है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1956 में उनको केवल 210/– रु. प्रति माह की दर से वेतन मिलना चाहिये था परन्तु वे 240/– रु. प्रति माह के हिसाब से लेते रहे और इस प्रकार इस गलत वेतन के आधार पर फिक्सेशन करवा कर आज तक हजारों रुपये अधिक उठा लिये तथा अब तक उठा रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं। पे–फिक्सेशन कोई भी अधिकारी न अपने आप कर सकता है और न ही करवा सकता है। यह निश्चित नियमों के अनुसार ही किया जाता है और इस केस में विस्तृत जांच के बाद महालेखाकार के स्वयं के स्तर पर हुआ।

(2) जी नहीं। श्री भण्डारी के एब्जोर्शन के पहिले उन्हें जो सबस्टेन्टिव पे के 240) रु. मासिक मिल रहे थे वही राज्य सरकार के आदेश सं. बी–5112/एफ 13 (26) श्रम /56/20072 दिनांक 23। 24–10–56 के द्वारा उन्हें दिया गया। तत्पश्चात् स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार उनका वेतन 230) रु. मासिक निश्चित किया गया और उसी को आधार मानकर उनका नियोजन अधिकारियों की वेतन शृंखला में महालेखाकार द्वारा नियमानुसार 230) रु. मासिक वेतन निर्धारित किया गया। फिक्सेशन प्रक्रिया निश्चित नियमों पर आधारित है। श्री भण्डारी को किसी भी प्रकार का कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 1–6–1956 को उनका मासिक वेतन अधिशासी अधिकारी के पद पर 230) रु. निर्धारित किया गया था जिसकी पुनः जांच को जाकर सही पाये जाने पर उस निर्णय को उक्त विभाग के आदेश सं. एफ 14बी एलबी/56/72677 दिनांक 4–6–76 द्वारा फिर से अनुसमर्थित किया गया है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : क्या यह सही है कि श्री भंडारी के खिलाफ स्टे इश्यू करने के लिये केस कोर्ट आफ डिस्ट्रिक्ट जज

Page No 9

(9)

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

मैं चल रहा था लेकिन भंडारी के कहे अनुसार आपने नोशनल फिक्सेशन किया था और उसको हायर पे दे कर हजारों रुपये अधिक दिये हैं ? फिक्सेशन किया गया या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, केस चल रहा है, यह अलग बात है। पे फिक्सेशन बिल्कुल ही अलग बात है। जब तक स्पेसिफिक स्टे आर्डर न हो, तो फिक्सेशन आफ पे रोका नहीं जा सकता। 1956 से केस चल रहा है पे फिक्सेशन का। गवर्नमेंट में महानिबन्धकार ने जो भी कंरोल की, उसके सर्टिफिकेट होने के बाद पे फिक्सेशन हुआ।

माननीय सदस्य जिस केस को रैफर कर रहे हैं वह सीनियोरिटी का केस है। अगर कोर्ट से यह आर्डर हुआ कि रिकवर किया जावे, तो रिकवरी की जायेगी।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी नहीं है कि उस केस का फैसला 23-9-76 को हो चुका है ? उसमें गलत व नियम विरुद्ध माना गया है। उस फैसले पर आज तक सरकार ने कोई अपील भी नहीं की है। उस निर्णय को रेस्पेक्ट करते हुये इस केस को रि-ओपन करना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, फैसला किस प्रकार का हुआ और क्या हुआ, गवर्नमेंट इसको देखेगी कि कब क्या उस फैसले में हुआ है।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपको पूरी जानकारी फैसले की भी नहीं है। इसलिये आप उस फैसले को देख लें। It should be deferred.

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट निवेदन कर दिया है....

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : गवर्नमेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य समझने की कोशिश करें। जो बात आप कह रहे हैं, उसको मैं कह चुका हूं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : Government should accept the judgment of the court unless it goes in appeal against it.

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जो फैसला हुआ है, उसको गवर्नमेंट देखेगा। क्या असर पड़ता है, उसको कार्यवाही की जाएगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, 23-9-76 को न्यायालय ने फैसला दे दिया और कार्मिक विभाग ने उसको स्वीकार किया है। राज्य सरकार अपील में गई नहीं। इसलिये राज्य सरकार को उस फैसले को मानना चाहिये और उस पर कार्यवाही करनी चाहिये।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि इस व्यक्ति का वेतन 210) रु. था या 240) रु. था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य, सन् 1953 से यह मामला चल रहा है उस वक्त 240) रु. था फिर 230)

(श्री हीरालाल देवपुरा)
रु. माना गया और 210) रु. बाद में होना बताया गया जिसको गवर्नमेंट ने नहीं माना है व 230) रु. ही वाजिब माना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अमृतलाल।

जोधपुर के ट्रेक्टर कारखाने पर व्यय की गई राशि

37. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर में राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. द्वारा स्थापित किये जाने वाले ट्रेक्टर कारखाने के लिये अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और कितनी भूमि कितने वर्षों से सुरक्षित रखी गई है ?

(2) उपरोक्त कारखाने में किस मेक, माडल एवं हार्स पावर के ट्रेक्टर निर्माण करने का प्रस्ताव था ? कृपया पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उपरोक्त कारखाने का निर्माण कार्य सम्भवतः कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जोधपुर नगर में राजस्थान स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा स्थापित किये जाने वाले ट्रेक्टर कारखाने के लिये अब तक कुल रुपये 71850.67 व्यय हुये हैं। इस कारखाने के लिये 70 एकड़ भूमि दिनांक 17-11-1970 से 20-7-73 तक सुरक्षित रही।

(2) ट्रेक्टर कारखाने में जिस मेक/माडल एवं हार्स पावर के ट्रेक्टर निर्माण करने के जो प्रस्ताव थे उनकी सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(3) कार्पोरेशन के संचालक मण्डल ने अपनी 60वीं बैठक दिनांक 20-12-76 में ट्रेक्टर कारखाने के प्रस्ताव की मांग व सप्लाई की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ शंकायें व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मार्ग दर्शन चाहा है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह परिशिष्ट मुझे तो मिला नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : यह जो मॉडल रखा गया है वह है—रिनाल्ट 45 हार्स पावर, हिन्दुस्तान 35 हार्स पावर, ड्यूट्ज मोडल 4006,35 हार्स पावर, स्टायर 18 हार्स पावर, एच. एम. टी. जीटर 3511,55 हार्स पावर, जीटर 2511,25 हार्स पावर, पित्ती मोडल 4000,37 हार्स पावर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मामला विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री अमृतलाल गहलोत : जमीन तो, अध्यक्ष महोदय, 8 साल से सुरक्षित पड़ी हुई है। वह मिल्क डेयरी के काम में ली जा रही है।

श्री शिवचरण माथुर : जमीन का फैसला 1970 में हुआ था। 1973 में डेयरी डिपार्टमेंट को यह कहकर कि डेयरी का कारखाना लगाने के बाद डिसप्लेस किया

(श्री शिवचरण माथुर)
गया और हाई टेन्शन है इसलिये जमीन तो वापस हो गई है । अब यह विचाराधीन है कि प्राइवेट सेक्टर में लगाया जाय या पब्लिक सेक्टर में लगाया जाय ।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं यह प्रश्न वर्षों से इसी प्रकार क्यों लटक रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह प्राइवेट सेक्टर में लगेगा या पब्लिक सेक्टर में लगेगा, इस प्रश्न पर सदैव सरकार ने विचार किया है । आज जो वर्तमान में परिस्थिति है राजस्थान में जो एग्रो इन्डस्ट्रीज का मेक है और सारे देश में ट्रेक्टर की जो कैपेसिटी है उसमें कोलोबोरेशन सूटेबल नहीं होने के कारण कारखाना लगाना इकानोमिक नहीं होगा । इसलिये किसी प्राइवेट मेन्यूफेक्चरर्स को इस बात के लिये कहा जा रहा है कि अपनी टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स दें और जो कुछ सहूलियतें चाहें वह गवर्नमेंट की तरफ से दी जा सकती हैं । यह मामला सरकार के विचाराधीन है । कुछ मेन्यूफेक्चरर्स से इस प्रकार की चर्चा चल रही है और बहुत शीघ्र ही निपटारा करने की कोशिश की जायगी ।

श्री अमृतलाल गहलोत : प्राइवेट सेक्टर में होगा या पब्लिक सेक्टर में होगा ? यह मामला कब से चल रहा है... ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, एक पार्टी ने कहा है कि इस कारखाने को लगाने की टेक्निकल नो-हाऊ की प्राइस बड़ी एग्रीमेंट है और उन्होंने 15 लाख मांगे हैं । अब इस ट्रेक्टर की टेक्निकल नो-हाऊ के लिये 15 लाख रुपये की राशि खर्च की जाय, मैं समझता हूं बहुत अनुपयुक्त होगी । मैं यह भी समझता हूं कि आज के हालात में यह उचित भी नहीं है । ये सारे मामले विचाराधीन हैं, आज की जो मार्केट की पोजीशन है उसको देखते हुये और सारी बातों को देखते हुए इस पर विचार किया जायगा । मैं समझता हूं कि बगैर इन बातों पर विचार किये निर्णय देना उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि माननीय बरकत मल जी बैद जब थे इसके इन्चार्ज उस समय जर्मनी के कोलोबोरेशन से इस कारखाने को लगाने जर्मनी गये थे और वहां पर वार्ता करके अन्तिम रूप दिया था ? क्या यह सही है कि यह ट्रेक्टर का कारखाना जोधपुर में फाइनली लगा दिया जायगा, इसकी घोषणा किये 20 वर्ष हो चुके हैं ? इस सदन में बार बार कहा गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है लेकिन अन्ततोगत्वा इसका वहां अभी कोई इन्स्टालेशन नहीं हुआ है । क्या यह भी सही है कि अभी जब हाई कोर्ट की बेंच का प्रश्न चल रहा था उस समय भी इस प्रकार का समाचार पत्रों में छपा था कि वहां पर एक ट्रेक्टर फेक्ट्री लगाई जा रही है । बार-बार घोषणा करने के बाद भी और जनता के सामने आश्वासन देने के बाद भी यदि राज्य सरकार ट्रेक्टर फेक्ट्री नहीं लगाती है तो जनता में इससे तीव्र असंतोष पैदा होता है । जनता में आक्रोश की सीमा पार हो रही है यह राज्य सरकार के लिए उचित नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : पहली बात तो यह है कि बीस साल से यह प्रश्न विचाराधीन चल रहा है, गलत है ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : दस साल से चल रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : पहले जो बीस साल की बात कही थी वह गलत है। श्री बरकतमलजी बैद जब एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के अध्यक्ष थे, 1968 में फ्रांस गए थे और उन्होंने वहां पर रेनाल्ट कम्पनी से बात की थी। उस कम्पनी की जो टर्म्स आई थीं वे अधिक थीं। रायल्टी वगैरह के लिए भी गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो मापदण्ड है उससे भी टर्म्स ज्यादा थीं इसलिए उसको फिजिबल नहीं माना गया। उसके बाद कई कोलोबोरेशन्स से करने की बात हुई। उसके बाद हिन्दुस्तान की अच्छी अच्छी कम्पनियों से बात हुई उनकी टर्म्स भी फिजिबल नहीं थी। एक कम्पनी ने तो टेक्निकल नो-हाऊ देने के लिए पांच लाख की शर्त रखी। उसके साथ ही ढाई परसेन्ट पर-ट्रैक्टर रायल्टी की मांग कर रहे थे जिसे भी उचित नहीं समझा गया। इसके अलावा पिंजोर में बनने वाले एच.एम.टी. के ट्रैक्टर से भी इसकी कीमत साढ़े आठ सौ रुपया अधिक आ रही थी। अब यदि पिंजोर में बनने वाले ट्रैक्टर से हमारे ट्रैक्टर की कीमत साढ़े आठ सौ रुपया अधिक आती है और ऊपर ढाई परसेन्ट पर-ट्रैक्टर रायल्टी देनी पड़ती है तो यह फिजिबल नहीं है। अब एक प्राइवेट कम्पनी पिलोज से बातचीत चल रही है। उनका प्रस्ताव है कि जोइन्ट कोलोबोरेशन में इस फैक्ट्री को लगाया जाए। टेक्निकल नो-हाऊ देने के लिए उन्होंने 15 लाख की मांग की है और उनका कहना है कि 15 लाख रुपया उनकी शेयर कैपिटल मान ली जावे। प्रश्न यह है कि क्या उनके पास ऐसी टेक्निकल नो-हाऊ है कि इसको इक्विटी पार्टीसिपेशन मान कर पन्द्रह लाख की शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में इस अमाउन्ट को एडजस्ट किया जावे। यह सारे प्रश्न विचाराधीन हैं लेकिन निश्चित रूप से उद्योग लगाने की तरफ हम प्रयत्नशील हैं। प्राईवेट मैन्युफैक्चरर अगर कोई अच्छी टर्म्स एण्ड कण्डीशन पर करने को तैयार हों तो हम उसको पूरी सहूलियतें देकर इस कारखाने को हम लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस निर्णय से वापस जाने का प्रश्न नहीं है। जो हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्य के हित में जो भी सम्भव हो सकता है उसके अनुसार इसको करना चाहते हैं। अभी भी इस मामले को छोड़ा नहीं गया है। कोई भी मैन्युफैक्चरर आए तो उसको अच्छी टर्म और सुविधा देकर कारखाना लगाना चाहते हैं। अंतिम रूप से इस प्रश्न को छोड़ा नहीं गया है गिव अप नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग कानून लागू होने के बाद क्या आप यह उचित समझते हैं कि यह ट्रैक्टर के सम्बन्ध में भविष्य की कोई बात बाकी रही है? अगर आप समझते है कि इसका भविष्य बाकी है तो इस सम्बन्ध में निर्णय क्यों नहीं लेते? यह भी मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि क्या केबिनेट स्तर पर यह मामला डिसकस हुआ या नहीं हुआ? और अगर हुआ, तो कितनी बार हुआ? मंत्री

(श्री लक्ष्मण सिंह)
महोदय, कृपा करके प्रकाश डालने की स्थिति में हों तो कोई प्रकाश डालें।

श्री शिवचरण माथुर : केबिनेट स्तर पर तो जब अन्तिम रूप में बात हो जाय तो आने का सवाल होता है। जैसा मैंने निवेदन किया कि कई बार कई कालोबोरेशन्स से करने की बातचीत हुई है लेकिन इनीशियल स्टेज पर ही फिजिबल नहीं पाया गया। फिर भी इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री और सम्बन्धित मन्त्री को सारी परिस्थिति का, सारे डवलपमेंट्स का ज्ञान था।

जहां तक सीलिंग लॉ के लागू होने के बाद इस प्रकार के ट्रैक्टर बनने की उपयोगिता का सवाल है, यह एक प्रश्न है। स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन ने भी कहा है और मैं समझता हूं कि ट्रैक्टर्स का कुछ एक्सपोर्ट होने से इसकी पोसिबिलिटी बढ़ी है। रीसेंटली हिन्दुस्तान के ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट होने लगे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई प्राइवेट मेन्युफेक्चरर राजस्थान में आ कर के फैक्ट्री लगाने को तैयार हो तो उसको सुविधाएं देकर यह करना चाहते हैं। यहां पर ट्रैक्टर का कारखाना लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया पिल्लीज से बातचीत हुई है लेकिन उनकी इनीशियल डिमाण्ड उचित नहीं पाई गई है।

श्री लक्ष्मणसिंह : कम से कम इस कार्यवाही की कोई न कोई सीमा तो होनी चाहिए। इसकी भूमि का क्या उपयोग हो रहा है? अगर नहीं कर सकें तो गरीबों की झुग्गी भौंपड़ी के लिए, काश्तकारों के मकान बनाने के लिए इसका उपयोग करें। यह क्या तरीका है, सिटिंग ऑन दी फैंस, कोई फैसला नहीं करना कहां तक उचित है? आखिर कितने दिनों तक आपका फैसला विचाराधीन रहेगा? हमारे तो सुनते सुनते कान तक पक गए।

श्री शिवचरण माथुर : कोई भूमि नहीं है इस फैक्ट्री के लिए। पहले जो भूमि थी वह ट्रांसफर कर दी गई है। आज कोई भूमि इस काम के लिए नहीं रोक रखी है....

श्री गुमानमल लोढा : फिर फैक्ट्री क्या आसमान में लगायेंगे?

श्री शिवचरण माथुर : फैसला हो जायेगा तो भूमि भी मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर क्षेत्र की आर. ई. सी. की योजना

38. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में अभी तक आर. ई. सी. की कोई योजना शुरू नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कोई आर. ई. सी. की योजना हाथ में लेने का विचार रखती है? अगर हां, तो किन किन गांवों को योजना कब तक मंजूर की जाकर कार्य शुरू करवा दिया जायगा?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति सांचोर पूरे क्षेत्र में सिवाय सांचोर

(१४)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
इसके के किसी गांव का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है? क्या यह भी सत्य है कि पूरे उक्त क्षेत्र में किसी सिंचाई कुए पर अभी तक पावर कनेक्शन नहीं दिया गया है? अगर हां, तो क्यों? अब निकट भविष्य में उक्त क्षेत्र में किस किस गांव का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री ने सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में शीघ्र आर. ई. सी. की योजना बनवा कर ग्रामों का विद्युतीकरण करवाने का आश्वासन दिया था? अगर हां, तो उक्त आश्वासन की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री ने शीघ्र रानीवाड़ा से सांचोर तक 33 के.वी. विद्युत् लाइन का प्रसार करवाने का भी आश्वासन दिया था? अगर हां, तो कब?

(5) उक्त आश्वासन की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी और सांचोर के आस पास 10 मील की परिधि में सिंचाई कुओं पर पावर कनेक्शन कब तक दे दिये जावेंगे?

विद्युत मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, सांचोर क्षेत्र में उक्त प्रसारण लाइनों का विस्तार न होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाना सम्भव नही हो पाया है। इस क्षेत्र के लिए अब एक योजना का प्रारूप ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है जो शीघ्र ही राज्य स्तरीय समन्वय समिति को अनुमोदन हेतु दे दिया जायगा। इस समिति के अनुमोदन के पश्चात् योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही आरम्भ की जा सकती है।

(2) जी हां, सांचोर क्षेत्र में अन्य गांवों का विद्युतीकरण न होने का कारण इस क्षेत्र में उच्च प्रसारण लाइनों का विस्तार न होना है। भविष्य में इस क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न (1) के उत्तर में सूचना दी गई है।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाने के संबंध में विद्युत् मण्डल को माह जनवरी, 77 में निर्देश दिये थे। इन निर्देशों के अनुसार मण्डल ने इस क्षेत्र का सर्वे आदि कराकर कतिपय गांवों के विद्युतीकरण की योजना का प्रारूप तैयार किया है। इस सम्बन्ध में प्रश्न (1) के उत्तर में भी स्थिति बताई गई है।

(4) माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 1 जनवरी, 77 को सांचोर क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए निर्देश दिये थे। जिसमें किसी भी 33 के. वी. लाइन का उल्लेख नहीं था।

(5) प्रश्न (1) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: निर्देश में 33 के.वी. लाइन का उल्लेख तो नहीं था लेकिन क्या वहां पर लाइन का प्रसार करने के लिए प्रायोरिटी फिक्स आप कर रहे हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा: आपका प्रश्न यह था कि मुख्य मन्त्री जी ने 33 के. वी.

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लाइन का आश्वासन दिया था, उसके लिए मैंने 'जी हां' कहा है। जहां तक सांचोर क्षेत्र में विद्युतीकरण करने का और गांवों को बिजली पहुंचाने का सवाल है, यह निश्चित बात है कि वहां पर 33 के.वी. लाइन लगानी होगी। भीनमाल तक लाइन आ गई है और मैंने 24 तारीख को एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि सांचोर को 33 के.वी. लाइन से जोड़ कर बिजली पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। करीब 80 गांवों की एक योजना बनाई है जिसके स्वीकार होने पर इस कार्य को पूरा करने में सफल हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरसिंह।

उच्च प्राथमिक विद्यालय, तिहारी को क्रमोन्नत करने की मांग

39. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तिहारी पंचायत समिति, श्रीनगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके करीब 15 किलोमीटर तक कोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस सत्र में तिहारी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करेगी ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) बजट प्रावधान होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इस शाला को क्रमोन्नत करने के लिए कई बार सरकार से निवेदन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पन्द्रह पन्द्रह मील तक ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की सुविधा नहीं दी जाय यह मंत्री महोदय, कहां तक उचित समझते हैं ? 15 मील तक कोई सुविधा नहीं है यह आप पता करा लीजिये।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों के क्रमोन्नत करने का प्रश्न है इस सत्र के अंदर बजट पारित होने के बाद यदि इस प्रकार का कोई प्रावधान रहा तो उस वक्त इस स्कूल को क्रमोन्नत करने के बारे में विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या 40

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिए)

श्री हाजी जान मोहम्मद।

संजय साप्ताहिक झालरापाटन के विरुद्ध कार्यवाही

41. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन जिला झालावाड़ में श्री साबारव

(श्री हाजी जान मोहम्मद)
आर्य बहुत वर्षों से एक संजय साप्ताहिक अखबार प्रकाशित कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त साप्ताहिक अखबार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए गलत प्रोपेगण्डा करता है एवं साम्प्रदायिकता की भावना फैलाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके सम्पादक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। श्री लालाराम आर्य सन् 1959 से झालरापाटन में संजय साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन कर रहे हैं।

(2) इस सम्बन्ध में एक शिकायत आई थी जिसकी जांच कराई जा रही है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : सदरे मोहतरम, यह एक अहम सवाल है, सात करोड़ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। इस अखबार ने लिखा है कि खुदा की नसबन्दी कर दो। यह मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मैंने इस अखबार की कटिंग सी.एम. साहब को भी जयपुर में दी थी और हमारे देवपुरा साहब, जो कि बीस सूत्री प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, को भी इसकी कटिंग दी थी कि यह अखबार किस तरह से मुसलमानों को बदनाम कर रहा है लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। खुदा की नसबन्दी कर दी जाये। वह अखबार ऐसी बातें छापता है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखकर दिया है। कई दफा उन से बात की है। बड़ा अफसोस है कि सरकार ने इस मामले में ढील डाल रखी है। अगर आप भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं तो इस अखबार के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न उठाया, उससे पहले आपको जैसा बताया, सम्पादक महोदय को भी को काज नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनकी मान्यता को समाप्त कर दिया जाये। मेरा ख्याल है, 5-7 दिन में जवाब आ जाएगा।

श्री हाजी जान मोहम्मद : कलेक्टर झालावाड़ के वह फोटो छापता है। अगर किसी ईमानदार आदमी को आप भेजें तो वह सही जानकारी ले सकता है। उसका कलेक्टर इतना खराब है कि महात्मा गांधी का कत्ल हुआ तो...

(व्यवधान)

उसका रिकार्ड इतना खराब है। इस अखबार की नसबन्दी करा दी जाये।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या इस प्रकार से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना जायज है ?

श्रीमती कमला : जवाब मंगाया गया है। उसके आने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

Page No 17

(17)

आटो रिक्शा में तीन सवारियों को बैठने की सुविधा

42. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रियों के बैठने की सीट की क्या लम्बाई एवं चौड़ाई है जिस पर केवल एक यात्री बैठता है ?

(2) नगरों में चलने वाले आटो रिक्शा की जिस सीट पर यातायात विभाग केवल दो यात्रियों के बैठने की अनुमति देता है, उस सीट की क्या लम्बाई और चौड़ाई है ?

(3) क्या यह सही है कि गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में ऐसे ही आटो-रिक्शा में तीन यात्रियों के बैठने की अनुमति है ?

(4) क्या यह राष्ट्र के आर्थिक हित में नहीं है कि आटो रिक्शा में जहां तीन आदमी आराम से बैठ सकते हैं, यातायात विभाग यात्रियों का टैक्स लेकर उन्हें बैठने की अनुमति प्रदान करे ?

यातायात मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) राजस्थान में प्रत्येक यात्री बस में एक सीट की न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई 15"×15" निर्धारित है। राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों पर भी यही नियम लागू होता है।

(2) दो सीट वाले आटो रिक्शा में बैठने के लिए न्यूनतम लम्बाई 3 फीट 36" एवं चौड़ाई 16" निर्धारित है। अतः प्रति सीट की न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई 18"×16" है।

(3) जी हां। परन्तु इन राज्यों में इस प्रकार के आटो रिक्शाओं में सीटों की साइज के बारे में जानकारी की जा रही है।

(4) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन चल रहा है।

श्री अमृतलाल गहलोत : जो निगम की बसें चलती हैं उनमें आठ आठ, दस-दस घण्टे बैठना पड़ता है, जो पन्द्रह इंच चौड़ी और 15 इंच लम्बी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इतने सारे आटो रिक्शा चलते हैं, पैट्रोल के भाव 19 दिसम्बर से दुगुने हो गये हैं तो आप उनको भी तीन यात्री बैठाने की इजाजत दे दीजिए।

श्री केदारनाथ : अगर प्रश्नकर्ता जैसे ही बैठें तो तीन की जगह चार भी बैठ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अमृतलाल गहलोत : अब उत्तर तो आ जाने दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : 36" और 32" की है तो। माननीय सदस्य को जानकारी का अभाव है। जहां 45" या 3 फीट 9 इंच की हो जाए तो फ्री सीटर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अमृतलाल गहलोत : आप आश्वासन देते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

देराद मटियानी सड़क पर पुलिया का निर्माण

43. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि देराद से मटियानी सड़क पर पुलिया को बनाना जरूरी है क्योंकि यहां बड़ा नाला है ? यदि हां, तो पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा ?

यातायात मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : धनाभाव के कारण अभी पुलिया का निर्माण करवाना सम्भव नहीं है।

श्री शंकरसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर धनराशि के अभाव में भी पुलिया को बना दिया जाये तो रास्ता नहीं रुके। मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप पुलिया निर्माण की कार्यवाही करायें।

श्री रामनारायण चौधरी : अगले वर्ष अत्यन्त सहानुभूति से विचार किया जाएगा।

प्रश्न संख्या 44

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चतुर्भुज।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री हाजी जान मोहम्मद।

सहायक अध्यापक के विरुद्ध पिड़ावा थाना में दर्ज मामला

45. **श्री हाजी जान मोहम्मद** (पिड़ावा): क्या गृह मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1977 में श्री अताउल्ला पुत्र श्री मोहम्मद रफीक निवासी पिड़ावा, जिला झालावाड़ ने श्री सुगनचन्द जैन, सहायक अध्यापक, मिडिल स्कूल, मोती कुआं, झालावाड़ के विरुद्ध थाना पिड़ावा में यह रिपोर्ट की थी कि श्री जैन ने अजीम मेडिकल स्टोर्स, पिड़ावा के नाम से फर्जी केश मीमो बुक बना रखी है और फर्जी केशमीमो बुक के कई बिल शिक्षा अधिकारी, झालावाड़ के कार्यालय में मौजूद हैं ? अगर हां, तो इस अध्यापक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस अध्यापक के खिलाफ सतर्कता कमेटी, झालावाड़ में भी केस चल रहा है ? अगर हां, तो अभी तक इसका क्या नतीजा निकला ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) जी हां, श्री अताउल्ला खां की रिपोर्ट जुर्म नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस होने के कारण रोजनामचा आम में दर्ज की गई।

(2) जी हां। सतर्कता कमेटी झालावाड़ ने सम्बन्धित कागजात जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़ के पास भेज दिये हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़ इस सिलसिले में जांच कर रहे हैं। अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : क्या यह सही है कि उसने फर्जी रसीदें दे रखी हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? उसके ऊपर कई केसेज हैं (व्यवधान) अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि वह रसीद बुक रखे हुए हैं? तो क्या नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस है या काबिल दस्तन्दाजी है? अगर यह काबिल दस्तन्दाजी है तो पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं हुई है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की रिपोर्ट लिखाई गई है, उससे यह महसूस नहीं होता है कि यह काबिल दस्तन्दाजी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मन्त्री महोदय एफ. आई. आर. ओपनोर ग्राफ दी हाउस पर पढ़कर सुना सकते हैं ताकि हम भी जानकारी कर सकें?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सतर्कता कमेटी ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिये थे, जिला शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट नहीं दी है। अगर कोई केस बनता है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप काबिल दस्तन्दाजी मानते हैं या नहीं? उनका कहना है कि उसने फर्जी कार्यवाही की है। आप इससे सेटिस्फाई हैं या नहीं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : श्री अताउल्ला खां ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें उन्होंने निश्चित रूप से नहीं लिखा है। एफ. आई. आर. में ऐसा लिखा है:—"मुझे ऐसा लगता है कि श्री जैन ने जाली तरीके से कोई रसीद बुक छपा रखी है।" ऐसा लिखा गया है। इसमें आशंका प्रकट की गई, निश्चित रूप से नहीं कहा गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अगर रिपोर्ट में यह है तो काबिल दस्तन्दाजी होगा अगर कोई कहता है कि कत्ल हो गया है तो आप काबिल दस्तन्दाजी की कार्यवाही करते हैं नहीं तो 182 में चालान करते हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब तक इस दृष्टिकोण से उसका उपयोग नहीं किया जाये तब तक यह जुर्म नहीं बनता है। शिकायत कर्ता ने यह नहीं लिखा है। चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी पचियों की जानकारी कर रहे हैं, फिर भी मैं सदन को जानकारी देता हूं कि जो रिपोर्ट अताउल्ला खां ने पेश की है, उस पर कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न संख्या 46

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई

सार्वजनिक किसान छात्रावास, सांचौर

47. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर सार्वजनिक किसान छात्रावास, सांचौर का पंजीयन काफी वर्षों पूर्व हो चुका है? अगर हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास को नियमित रूप से कोई अनुदान नहीं दिया गया है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कब-कब कितना कितना अनुदान दिया गया? क्या सरकार अब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
नियमित रूप से अनुदान देना उचित समझेंगे ?

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसान छात्रों के छात्रावास निर्माण के बारे में राज्य सरकार की क्या योजना है ? भविष्य में राज्य सरकार द्वारा इस बारे में क्या योजना अमल में लाई जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक किसान छात्रावास भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है एवं उसकी गिरने जैसी हालत है ? अगर हां, तो इसकी विशेष मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन) : (1) जी हां। दिनांक 23-4-65 को।

(2) जी हां। अनुदान सूची पर नहीं होने के कारण।

(3) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(4) राज्य सरकार ने 3000/- रु. की राशि भवन मरम्मत हेतु वर्ष 1975-76 में दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि जिन संस्थाओं को ग्रान्ट-इन एड दी जाती है, उनकी सूची में इसका नाम इन्क्लूड कर लिया है। अब आप यह क्या जवाब दे रहे हैं ? माननीय शिक्षा मन्त्री जी सामने बैठे हैं, आप जाकर देख लें, आपने पिछले साल आश्वासन दिया था कि 1965 की संस्था होने के नाते इसको भी ग्रान्ट इन-एड की सूची में ले लिया गया है। इससे पहले नहीं लिया था इसके बारे में मैंने आपको कहा था।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : मैंने विभाग से जानकारी प्राप्त की है तो यह बतलाया गया कि ग्राम छात्रावासों के लिए विभाग के इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं कि उनको रेगुलर एड की सूची में लिया जाय। उनको एडहाक (तदर्थ) अनुदान दिया जा सकता है। इस बिल्डिंग के लिए गत वर्ष एडहाक (तदर्थ) अनुदान दिया भी गया है। अब आप यह चाहते हैं कि इसको रेगुलर लिस्ट में ले लिया जाय तो शहरों में जो होस्टल्स हैं...

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो नगरीय क्षेत्र में लड़के गांवों के पढ़ते हैं।

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया कि गांवों में जो होस्टल्स हैं उनके लिये रेगुलर एड देने का कोई प्रावधान नहीं है, शहरों में होस्टल्स हैं उनमें है उनके लिए एक रसोईदार और फर्राश की तनख्वाह दिया करते हैं। मैं यह देखूंगा, जो सांचौर से आ रहे माननीय सदस्य ने बार बार इस प्रश्न को पूछा है, अगर हो सकेगा तो एक रसोईदार और फर्राश के लिए अनुदान दिलाये जाने का प्रयास करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले जब स्टेट टाइम में एड चलती थी तो बराबर एड मिलती थी। बाद में यह नियम बनाया गया कि रजिस्ट्रेशन होने पर, जो पहले एड मिलती थी वह कन्टीन्यू रहेगी। इसके बाद 1965 में रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसको आपको सूचना दी गई। 1965 से 1975 तक 10 साल हो गये, श्री शिव

Page No 21

(21)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
चरणजी माथुर जब शिक्षा मन्त्री थे तो उन्होंने एडहाक ग्रान्ट दी फिर आप इसको ग्रान्ट-इन-एड की रैगुलर सूची में क्यों नहीं लेते हैं, क्या दिक्कत है? रजिस्ट्रेशन कराया, 1965 में नई स्कीम लागू हुई कि रजिस्ट्रेशन कराने पर ही नियमानुसार एड दी जायगी। इसलिए आप यह स्पष्ट जवाब दें कि इतने वर्षों के बाद भी इसको एड क्यों नहीं दी जा रही है? यह नगरीय क्षेत्र में स्थित है। गांवों के लड़के जरूर हैं उन्होंने कोई पाप तो नहीं किया?

श्री खेतसिंह: आपने जो कहा कि आश्वासन दिया तो वह मेरे सामने नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: निकालिये आप उसको।

श्री खेतसिंह: इसलिए आप मुझे दबाओ मत। मैं यह निवेदन कर रहा था कि स्टेट के वक्त तीस साल पूर्व भी...

श्री रघुनाथ विश्नोई: मिलता था।

श्री खेतसिंह: ग्रान्ट-इन-एड मिलती थी तो उस समय स्टेट के नियम थे हमारे। नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराया। आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराया। अब अगर नहीं दे रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने निवेदन किया कि मैं यह प्रयत्न करूंगा और संभव होगा तो निश्चित तौर पर इस वक्त ग्रान्ट-इन-एड जो भी नियमानुसार मिलती है छात्रावासों को, इसको भी देने का प्रयास किया जायगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भवानी मंडी के मीटर रीडर के विरुद्ध कार्यवाही

31. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नारायणलाल सोनी, मीटर रीडर, भवानी मण्डी (जिला–झालावाड़) के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें वहां की जनता एवं जल प्रदाय कर्मचारी यूनियन की ओर से की गई? यदि हां, तो इसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

उत्तर

जी हां। जलदाय यूनियन झालरापाटन एवं 5 अन्य व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई था। शिकायत के बाबत विभागीय जांच लगभग पूरी की जा चुकी है व शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

टोडारायसिंह-झरना सड़क का मरम्मत कार्य

34. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि टोडारायसिंह से झरना रोड ही एकमात्र टोडारायसिंह से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर, टोंक तक जाने का साधन है? यदि हां, तो क्या इस सड़क की हालत ठीक है? यदि नहीं, तो इसको ठीक करने की क्या योजना है व यह कब तक कार्यान्वित हो जायगी?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

जी नहीं। टोडारायसिंह से मालपुरा होकर टोंक पहुंचा जा सकता है। इस मार्ग की सड़क की हालत सामान्यतया ठीक है।

प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति

35. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत जून में प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति के लिए डी. पी. सी. से चयन किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने लोक सेवा आयोग को 240 पदों की भर्ती के लिए सूचना भेजी है इसलिए डी. पी. सी. ने भी 240 व्यक्तियों का चयन किया है तथा उन्हें नियुक्त किया जा चुका है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कुछ प्रधानाध्यापकों को पदावनत किया गया तथा पुनः पदोन्नत किया? यदि हां, तो क्यों और कब तक?

(4) क्या डी. पी. सी. से चयनित तथा इन पदावनत प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के अतिरिक्त भी कुछ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया? यदि हां, तो कब और किस आधार पर? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या हर चयन के साथ एक पैनल (रिजर्व सूची) और बनायी जाती है जिसमें चयनित अभ्यर्थियों का चौथाई भाग होता है? यदि हां, तो क्या डी. पी. सी. द्वारा चयनित व्यक्तियों की सूची के साथ ऐसी सूची नहीं बनाई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत डी. पी. सी. द्वारा 230 प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं का चयन किया गया था जिन्हें नियुक्ति दी जा चुकी है। इन 230 प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

लोक सेवा आयोग को जो प्रार्थना (Requisition) भेजा गया है वह 240 व्यक्तियों का नहीं है वरन 242 व्यक्तियों का है। इसमें 230 (200+30) व्यक्ति तो इस वर्ष के कोटे के हैं और 12 व्यक्ति (महिलायें) गत वर्षों के कोटे के हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा यथा समय वांछित संख्या में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

(3) जो प्रधानाध्यापक कार्यवाहक रूप में कार्यरत थे और जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित नहीं किया गया उन्हें चयनित व्यक्ति उपलब्ध हो जाने के कारण सदैव पदावनत करना पड़ा। समस्त चयनित एवं अतिरिक्त सूची में अंकित व्यक्तियों की नियुक्ति हो जाने के पश्चात् ऐसे प्रधानाध्यापकों को उनकी वरिष्ठतानुसार तथा उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि

Page No 23

(शिक्षा मंत्री)

न होने पर अस्थाई तौर पर उन्हें पदोन्नत किया गया।

(4) हां, डी. पी. सी. से चयनित तथा इन पदावनत प्रध्यापकों की नियुक्ति के अतिरिक्त भी कुछ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है। इनमें से कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके नाम डी. पी. सी. द्वारा निर्मित अतिरिक्त सूची में हैं तथा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें डी. पी. सी. के पश्चात् समय समय पर रिक्त होने वाले पदों पर अस्थाई नियुक्ति दी गई है। उनकी यह नियुक्ति राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 27 के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रमानुसार की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जैसा कि उपरोक्त बिन्दुओं में दर्शाया गया है चयनित व्यक्तियों की सूची के साथ एक अतिरिक्त सूची भी बनाई गई थी। यह सूची चयनित व्यक्तियों की संख्या के बराबर तत्कालीन नियमानुसार, बनाई गई थी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

झालावाड़ में उद्योग स्थापित करने की योजना

40. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में सन्तरा एवं तेंदू पत्ते का उत्पादन राज्य के अन्य जिलों से बहुत ज्यादा होता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले में स्वयं या सहकारी सेक्टर में उनका कोई उद्योग खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्वयं या सहकारी क्षेत्र में इनका उद्योग स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पवालिया में बिजली की लाइन

44. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील टोडारायसिंह के ग्राम पवालिया में मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार विद्युत् लाइन दे दी गई या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या भविष्य में सरकार विद्युत् लाइन देने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ग्राम पवालिया का विद्युतीकरण अभी तक संभव नहीं हो सका है।

(2) जी हां। शीघ्र बिजली पहुंचाने का प्रयत्न किया जायगा।

झालावाड़ में कनिष्ठ अभियन्ता का रिक्त पद

46. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ ओ.एण्ड एम. में झालरा पाटन के कनिष्ठ

(श्री राम प्रसाद बोहरा)
अभियन्ता विद्युत् का पद करीब आठ माह से रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता नहीं होने के कारण लोगों को झालावाड़ जाना पड़ता है जिससे आर्थिक नुकसान के सिवाय समय की बरबादी भी होती है ? यदि हां, तो कनिष्ठ अभियन्ता का पद कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । झालरापाटन में 27–2–77 को कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति की जा चुकी है ।

(2) अब प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा तथा केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से आयुर्वेद के स्नातकों एवं छात्रों द्वारा वेतनमान तथा अन्य मांगों को लेकर आरम्भ किये गये धरने के विषय में ।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य औद्योगिक व खनिज विकास निगम में कार्यरत इन्जीनियरों को गत तीन वर्षों से वेतन का भुगतान न होने के विषय में ।

(3) श्री मोहम्मद गफ्फार मती, सदस्य विधान सभा की ओर से झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित जयपुर एन्टरप्राइजेज के मैनेजमेंट द्वारा गत 25 मार्च से तालाबंदी किये जाने के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने गत वर्ष बेरोजगार इन्जीनियर्स को रोजगार देने हेतु अथवा उनको उद्योगों का मालिक बनाने हेतु एक योजना स्वीकार की और इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को काम पर लगाया, इन्जीनियरों को काम पर लगाया । उसके अन्तर्गत जो मैनेजमेंट का बोर्ड बना उसमें तीन डाइरेक्टर राज्य सरकार के और एक डाइरेक्टर इन्जीनियर्स का रखा गया । राज्य सरकार ने वह सारी की सारी फैक्ट्रीज, जो इस योजना के अन्तर्गत लगायी गयीं थीं, अपने कब्जे में ले लीं । चार फैक्ट्रीज बनाई गई और उनमें करीब 25 लाख रुपया खर्च किया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण वे इन्जीनियर बेरोजगार हो गये और तीन साल से उनको जो पांच हजार रुपये भत्ते के मिलने चाहिये वह नहीं मिले । उनके साथ जो प्रमोशनल एग्रीमेंट हुआ था । उसकी भी अवहेलना राज्य सरकार के द्वारा की गई । इसका परिणाम यह हुआ कि वे बेचारे बेरोजगार हो गये, उनका भविष्य न इधर का रहा और न उधर का रहा । हालत यह हो गई

Page No 25

(25)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि उनको अपने घर छोड़ने पड़े, तालाबन्दी हो गई और पुलिस वाले उनको पकड़ कर ले गये। आज भी उनको धमकियां दी जा रही हैं कि उनको जेल में डाल दिया जायगा। मेरा निवेदन करना यह है कि आज जो इन्जीनियर्स हैं उनकी फैक्ट्री बन्द है, वे बेघरबार हो गये हैं और सरकार का उन पर कब्जा हो गया है। दूसरी जो योजना थी वह आर.आई.एम.डी.सी. को ट्रांसफर कर दी। डेढ़ वर्ष होने के बाद वह वापिस भेजी गई। परिणाम यह हुआ कि डेढ़ वर्ष की देरी के कारण और इन्डस्ट्रीज सैकेट्री थे, नरेशचन्द्र जी, उनकी भूल के कारण वह बन्द हो गई। परिणाम यह हुआ कि योजना बिल्कुल बन्द पड़ी हुई है। अलवर प्रोजेक्ट भी अमल में नहीं लाया गया है, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि इन फैक्ट्रीज को नहीं लेकर के बेच दिया जाय, यह राज्य सरकार विचार कर रही है, इनको बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दे दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर सरकार यह कहती है, इन्जीनियर्स को प्रोत्साहन देना चाहती है कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और दूसरी तरफ राज्य सरकार की इतनी बड़ी रकम बेकार पड़ी हुई है। इसलिए इन फैक्ट्रीज को उन इन्जीनियर्स को दे दिया जाय जिससे उनको काम मिल सके और मकान भी उनको वापस मिल सकें। राज्य सरकार को इनके तीन वर्षों के वेतन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि राज्य सरकार यह नहीं करना चाहती है, फैक्ट्रीज नहीं चलाना चाहती है तो उसको यह चाहिए कि बेरोजगार जो इन्जिनीयर्स हैं उनको कार्पोरेशन में एडजस्ट किया जाय और उनको नौकरी दिलाई जाय। अन्तिम उपचार इसका यह है कि इन फैक्ट्रीज को आप बेरोजगार इन्जीनियर्स को दें। वे इनको खरीद लें और रकम को लांग टर्म बेसिस पर राज्य सरकार वसूल करले तो मैं समझता हूं इससे उनको मदद मिलेगी और 25 लाख का इन्वेस्टमेन्ट हुआ है उसका दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि बेरोजगार इन्जीनियर्स का प्रश्न है, बेरोजगार नवयुवकों का प्रश्न है, राज्य सरकार की धनराशि का प्रश्न है, इसलिए वह आदेश दे और इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर महोदय इस सम्बन्ध में अपना एक वक्तव्य दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न स्थगन प्रस्ताव के रूप में माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव ने उठाया है, वह अत्यंत मानवीय प्रश्न है। लगभग 10 हजार बेरोजगार इंजीनियर्स को कार्य देने के लिए राज्य सरकार ने योजना बनाई। काम सीखो और उद्योग के मालिक बनो, इसके तहत 25 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट के द्वारा 4 उद्योग उन्होंने यहां पर लगाए। इससे अधिक दुर्भाग्य का विषय क्या होगा कि तीन साल हो गए, यह घोषणा की गई, आज्ञा प्रसारित की गई कि 500) प्रति मास के हिसाब से उनको भत्ता दिया जाएगा लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। विधान सभा के अन्दर और बाहर मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई लेकिन उसको बिल्कुल क्रियान्वित न करके तीन वर्ष तक उनको पैसा नहीं दिया गया।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इतना ही नहीं बल्कि जले पर नमक छिड़कने के लिए, आपात् स्थिति का दुरुपयोग करके जो उद्योग कार्य कर रहे थे, वहां पर 100 पुलिस जवानों को ले जाकर उन उद्योग को ही बंद किया गया, उनके आवास पर भी ताला लगाकर सामान बाहर फेंक कर न केवल उनको बेरोजगार किया बल्कि बेघर-बार किया। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। आज स्थिति यह है कि हजारों इंजीनियर्स सड़कों पर डोल-फिर रहे हैं। सरकार का स्टेटिस्टिक है कि एक इंजीनियर बनाने के लिए एक लाख रुपया खर्च होता है। एक लाख रुपए व्यय करने के पश्चात् भी वह इंजीनियर भटकता फिरता है, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। औद्योगिक इकाइयों के अंदर यदि किसी प्रकार की योजना बनाई जाए, वह उपहास के रूप में आए और इस प्रकार उसकी दुर्गति की जाए, यह कहां तक उचित है ?

यह जो अपना सेशन चल रहा है वह केवल एक दो दिन ही चलेगा लेकिन यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि उद्योग मंत्री को इस इश्यू से सीज्ड होना चाहिए। केवल स्थगन प्रस्ताव आये, दो व्यक्ति बोलें, उसके बाद में मेशन समाप्त हो जाय, यह उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि उद्योग मंत्री गहरी नींद से उठें और निगम द्वारा जिस प्रकार धमकियाँ देकर कहा जाता रहा है कि तुमको मीसा में बन्द किया जाएगा, जेल में रख दिया जाएगा, यह बहुत इन्सल्टिंग बिहेविअर है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। उनके उद्योग उनको वापस दिए जाने चाहिए और काम पर लगाना चाहिए। साथ ही उनके आवास पर जो ताले लगाए हुए हैं उनको खोलकर वापस देने चाहिए। तीन साल का जो पेमेंट रुका हुआ है, वह भी देना चाहिए। यदि यह नहीं होता है तो फिर आक्रोश बढ़ता है, आंदोलन होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, फिर कहा जाता है कि तोड़फोड़ शुरू हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? स्वयं उद्योग विभाग। सरकार घोषणायें करने के बाद क्रियान्वित न करे और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, वह भी एजूकेटेड यूथ के साथ, तो उसका अंजाम सरकार को देना पड़ेगा।

इसलिए श्री भार्गव ने जो प्रस्ताव रखा है, वह महत्वपूर्ण है। इस स्थगन प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव के रूप में न लेकर मंत्री महोदय आज ही कार्यवाही करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह की व्यवस्था दें कि जिन स्थगनों का जिन मंत्रियों से ताल्लुक हो, उन मन्त्रियों को सदन में रहना चाहिए इसलिए कि कुछ चीजों की तरफ हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे प्रश्न काल के बाद उठकर चले जाते हैं जैसे कि उनकी सारी जिम्मेदारी खतम हो गई। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है दरअसल जयपुर एन्टरप्राइजेज के बारे में है। वह ऐसे किस्म का कारखाना है जिसमें 15 से 18 वर्ष की छोटी-छोटी बच्चियां काम करती हैं ... ने का। उनका बराबर शोषण किया ... रहा था। उनको कुछ सहूलियतें दे रखी थीं, वे अचानक खत्म कर दी गईं और बसें जो उनको लाया

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

करती थीं, रोक दी गई। वे शरीफ खानदानों की पढ़ी-लिखी लड़कियां हैं। अपने घरों से चलती हैं, रास्ते में बस स्टाप्स बदलती रहती हैं, उनसे छेड़छाड़ होती है। तो हमने 12 तारीख से संघर्ष चलाया। हमने कहा तुमने बसें बंद की हैं, तुम फिर चलाओ। आज से एक दिन पहले उन्होंने डिमान्स्ट्रेशन किया और श्रम मंत्री ने विश्वास दिलाया कि तुम्हारी जो बसें चलती थीं, वे इस तरह से बंद नहीं की जा सकतीं। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि जल्दी से जल्दी हम कार्यवाही करेंगे। कमिश्नर व डिप्टी लेबर कमिश्नर को फोन भी कर दिया मगर उसका नतीजा यह निकला कि बजाय बसें चलने के उस कारखाने को ही बंद कर दिया। आज वे लड़कियां बेरोजगार बैठी हैं। पूरे झोटवाड़ा क्षेत्र में तालाबंदी और छटनी जोर शोर से चल रही है। हमने इस विधान सभा में मिनिमम वेजेज एक्ट पास किया, उस एक्ट का उल्लंघन करते हुए झोटवाड़ा के बहुत से कारखाने मिनिमम वेजेज नहीं दे रहे हैं। जयपुर एन्टरप्राइजेज में जो लड़कियां हैं उनको 1।। साल से 80) रु. तनख्वाह मिलती थी। हमने सवाल उठाया, तो अब उन पर मिनिमम वेजेज लागू कर दी हैं लेकिन पहले का जो पैसा है, वह मैनेजमेंट देने को तैयार नहीं है। यह गंभीर सवाल है। आज जो असंतोष हमारे विरुद्ध और प्रोग्रेसिव फोर्सेज के विरुद्ध है, वह इसलिए है कि इमर्जेन्सी के दौरान मजदूरों के साथ ज्यादती हुई। इमर्जेन्सी में सबसे बड़ा फायदा मिल मालिकों और कारखानेदारों ने उठाया, छंटनी की, और पुलिस से मिलकर मजदूरों को पिटवाया। बोनस खत्म हुआ, कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम लागू की गई। ये मुसीबतें आई हैं जिनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मैं श्रम मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय तक इंतजार न करें जब तक पानी सिर से न गुजर जाए। हम कारखानेदारों पर रोक लगायें। श्रम मंत्री ने जो हमदर्दी का आश्वासन दिया था उसे पूरा करने के लिए कारखानेदारों पर दबाव डाला जाए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जयपुर एन्टरप्राइजेज में जो चीजें बनती हैं उनसे विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। अगर मालिक उसको नहीं चला सकते हैं तो सरकार खुद टेक ओवर करे। हम प्राफिट दिखायेंगे, उससे छोटी बच्चियां विदेशी मुद्रा कमा कर देंगी। अगर कुछ करने की सरकार की इच्छा है तब तो हो सकता है, नहीं तो फिर विस्फोटक स्थिति पैदा होगी।

झोटवाड़ा क्षेत्र में कई कारखाने बंद हैं, छोटे छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है, मजदूरों की छंटनी की जा रही है। इसलिए कमीशन मुकर्रर करना चाहिए जो उन छोटे छोटे कारखानों की गतिविधियों को देखे और बताए कि जो सुविधायें राज्य सरकार द्वारा दी गई हैं उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है। अगर हो सके तो श्रम मंत्री को याद फर्माया जाए और वह बतायें कि इस बारे में वह क्या करने को तैयार हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आज तक स्थगन प्रस्तावों के बारे में आप व्यवस्था देते रहे हैं, हम बिल्कुल मानते रहे हैं। हमारे मोशन्स का कब

(श्री केदारनाथ)
जवाब आयेगा और कब व्यवस्था आप देंगे। मगर हमारे स्थगन प्रस्ताव में यदि सोलिड ग्राउंड्स हैं तो सरकार उसका रास्ता निकाले। इस बारे में आपके आदेश होने चाहिए। जवाब तो ड्यू कोर्स आफ टाइम में आएगा। आज हम बोल रहे हैं, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया, उसके अंदर सोलिड ग्राउंड्स हैं इन्टरवेन्शन के लिए तो फौरन सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। आपकी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो फायदा क्या है? हमने स्थगन प्रस्ताव दिया, उसका कोई अर्थ नहीं

श्री अध्यक्ष : आपने फर्माया वह मैंने नोट कर लिया। एक्शन लेने का सवाल है तो वह मैं बताऊंगा। मैं सरकार से बात करके निर्णय सुना दूंगा।

श्री गुमानमल लोढा : मैंने श्रीमान् की सेवा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव इस बात के लिए दिया था कि जोधपुर से हाई कोर्ट की बैंच आ जाने के पश्चात्...

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में बात करने की है। काल अटेंशन नोटिस आपने दिया है, सरकार का जवाब आने दीजिये।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन तो आज है और फिर परसों सदन समाप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सदन तो फिर आने वाला है। वैसे मैं तो तैयार हूं। मैंने गवर्नमेन्ट को रिप्लाई देने के लिये भेज दिया है। मेरी तरफ से कोई मना नहीं है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जो सर्व सम्मत प्रस्ताव भेजा गया था उसकी जानकारी तो दी जानी चाहिये। आखिर सरकार को जवाब तो देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जो आप कह रहे हैं वह तो वह सुन रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास करके भेजा हुआ था प्रधान मन्त्री को, उसका प्रधान मन्त्री ने क्या उत्तर दिया, या उत्तर दिया ही नहीं, इसके बारे में हमें, सदन को और जोधपुर की जनता को कुछ भी पता नहीं है। सारा का सारा मामला अन्धकार में पड़ा हुआ है। हमें तो इसमें बिलकुल अन्धकार ही दिखाई देता है। इसके अलावा क्या उस समय जो भारत की प्रधान मन्त्री थीं उन्होंने अपना कोई निर्णय यहां भेजा था, या उन्होंने अपना कोई निर्णय सदन को भेजा ही नहीं? और भेजा नहीं, तो क्यों नहीं भेजा? या फिर राज्य सरकार ने अपने मन से ही उस पर कार्यवाही कर ली और हाई कोर्ट की बैन्च जयपुर में कायम कर दी? क्या यह सारी कार्यवाही अपने ही स्तर पर राज्य सरकार ने कर ली? मैं समझता हूं कि इन सभी बातों की पूरी सूचना सदन को दी जानी चाहिये। हमें सूचित किया जाय, क्या उत्तर आया, आया या नहीं आया, या आया तो कौनसी तारीख को आया, या बिलकुल ही नहीं आया? अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। सदन ने जो सर्व सम्मति से प्रस्ताव प्रधान मन्त्री जी को भेजा था उन्हें आरबीट्रेटर नियुक्त किया था तो उन्होंने क्या अवार्ड

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
अपना दिया या नहीं दिया? यह सारी कार्यवाही किस स्तर पर की गयी? इसकी सदन को सूचना दी जानी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला है जिसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों की इतनी भारी उत्कण्ठा और व्याकुलता होना बिलकुल उचित है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई? यदि कोई कार्यवाही ही नहीं हुई तो फिर मैं भी जो आज एक स्थगन प्रस्ताव पेश करने जा रहा हूं उस पर कोई निर्णय होगा या नहीं? हम आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और इसी तरह चौथा स्थगन प्रस्ताव देते हैं। आप उन्हें राज्य सरकार के पास अपने आदेशों के साथ भेज देते हैं। राज्य सरकार आपके उन आदेशों पर कोई ध्यान नहीं देती है और उनके ठोकर मार देती है तो फिर क्या फायदा?

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में राजस्थान के स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी श्री बरकतुल्ला खां साहब ने आश्वासन वैद्यों के बारे में दिया था दिनांक 10-9-71 को। बाद में राज्य सरकार ने 11-9-71 को आदेश निकाला, राजस्थान सरकार ने वैद्यों के इनटर्नशिप के समय तनख्वाह देने के सम्बन्ध में आदेश निकाला। लेकिन बाद में जो आदेश निकाला था वह लागू नहीं हुआ। अगर मेरे स्थगन प्रस्तावों की यही दुर्गति होनी है तब तो क्या फायदा। वैसे कांग्रेस सरकार चुनावों में हार गयी है, यहां पर निहायत मोहर्रमी सूरत लिये हुए फातिहा पढ़ रही हो तो बात दूसरी है। इस तरह से मुंह लटकाये रहने से, झुक कर बैठ जाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ नहीं करना है तो फिर मुकम्मल फातिहा ही पढ़ डालिये। आपने यहां सदन में कमिटमेंट किया है तो फिर आपको चाहिये कि आप पूरी तौर से मैदान में आवें। आपको लिखित में दिये हुए आदेशों की क्रियान्विति करानी चाहिये। नहीं तो आपके इस तरह के जो कार्य हैं वह आपको पूरी तरह से फातिहा पढ़ा देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधान सभा के बाहर आयुर्वेद के स्नातक वैद्य लोग धरना दिये बैठे हैं। पहले भी, अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने 90 दिन का लम्बा आन्दोलन किया था। उसके बाद में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां साहब ने उनके वेतनमानों के संबंध में घोषणायें कीं, वे उचित थीं। उन्होंने 11-9-71 को आदेश जारी कर दिये। उसके अनुसार उनका ग्रेड 225 से 525 का किया गया और फिर दुबारा 10-9-72 को उस वेतनमान को 275 से 650 का कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इन आदेशों को बाकायदा राज-पत्र में पब्लिश किया गया। राज-पत्र में डिक्लेरेशन करने के बाद भी उनकी क्रियान्विति सही तौर से नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने आयुर्वेद इनटर्नशिप के लिये 9-8-73 को आदेश प्रसारित किये। वह बाकायदा राज-पत्र में आया हुआ और मन्त्री महोदय, आयुर्वेद विभाग, अगर देखना चाहें तो मेरे पास उनकी कापियां मौजूद हैं मैं उन्हें पेश कर दूंगा। इनटर्नशिप में आयुर्वेद के स्नातक को, जो कि एम. बी., बी. एस. के बराबर है, एम. बी., बी. एस. से कम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पैसा दिया जाता है जहां एम. बी., बी. एस. को तीन सौ रुपया इन्टर्नशिप में दिया जाता है वहां आयुर्वेद स्नातक को 150 रु. दिया जाता है। एम. बी., बी. एस. स्कोलर को जहां कि 400 रुपये मिलते हैं वैद्यों को वहां सिर्फ दो सौ रुपये ही दिये जाते हैं। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जब एम. बी., बी. एस. को उतना ही समय पढ़ाई में लगता है जितना कि एक आयुर्वेद का स्नातक होने में, जब आयुर्वेद स्नातक उतनी ही गम्भीरता से पढ़ाई करता है तो फिर उन्हें कम पैसे देने का क्या तुक है ? जितना कठिन श्रम एक डाक्टर करता है उतना ही कठिन श्रम एक आयुर्वेद का स्नातक करता है फिर यह डिसपेरिटी क्यों है ? यह मेरी समझ में नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद हमारे देश अपना औषध विज्ञान है। हमारी पुरानी संस्कृति का द्योतक है। पुरातन खोज में इसको बहुत ज्यादा प्रिफरैन्स दिया जाता है। आज विश्व के दूसरे देशों में भी हमारे आयुर्वेद का काफी सम्मान है। इसमें, अध्यक्ष महोदय, सारी हमारी वैदिक संस्कृति भरी पड़ी है। इसके आगे तो विश्व झुक रहा है। आज जितने भी एण्टी बायोटिक निकल रहे हैं वह हमारी आयुर्वेद पद्धति की देन है। इसको आज विश्व के बड़े बड़े विदेशों के फिजियोथ्रेप और एलोथ्रेप स्वीकार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है। इसको सभी जानते हैं। आप थोड़े में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, तो मेरा निवेदन है कि फिर क्या कारण है डाक्टरों से वैद्यों की वेतन शृंखला कम है ? अध्यक्ष महोदय, यह तो सिर्फ राजस्थान में ही है। किन्तु दूसरे प्रोविन्सेज में इन-टर्नशिप और एपरेन्टिसशिप में जो पैसे दिये जाते हैं वह इस प्रकार है:—

दिल्ली में 800+200 रुपये, गुजरात में 400 रुपये, पंजाब में 600 रुपये, मैसूर में 700 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 800 रु. तो फिर राजस्थान में सिर्फ 150 रुपये ही क्यों ? इसका क्या कारण है ? यह तो एक बहुत बड़ा डिसक्रिमिनेशन है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अलग अलग लोगों के लिये अलग-अलग मापदण्ड रखे हैं। एक व्यक्ति आयुर्वेद विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर साहब के सुपुत्र हैं उन्हें उच्च ग्रेड दी है जिसकी घोषणा की थी। बाकी दूसरे लोगों को नहीं दी है। यह हैं श्रीमान महेन्द्र शर्मा, जो डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद विभाग के सुपुत्र हैं। उन्हें बाकायदा नियुक्त कर दिया है 375 से 850 की ग्रेड में, उनके तो बाकायदा आदेश निकले हैं एफ. 1 (302) एम.पी. । 75, मेरे पास आदेश की कापी मौजूद है। मंत्री महोदय चाहे तो देख लें। तो मेरा निवेदन है कि क्या यह महेन्द्र शर्मा कोई संजय गान्धी है या संजय गांधी के निकटतम लोगों में से हैं जिसके कारण या उनके आदेशों से उन्हें यह लेटिट्यूड दिया गया है ? अध्यक्ष महोदय, यह तो एक बहुत बड़ा भारी हार्ट बर्निंग का केस है। इस प्रकार का अन्याय आप आज इन वैद्यों के साथ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सदन में स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का डिसक्रिमिनेशन समाप्त नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
किया गया और वैद्यों को उनके वाजिब हक नहीं मिले तो फिर वह लोग उनका घेराव करेंगे। अब 18 महीनों तक इमर्जेन्सी रहने से उनकी छाती में लावा उबल रहा है, वह ज्वालामुखी अब फूट कर रहेगा। अब आपकी इमर्जेन्सी उनके हृदय के अन्दर की ज्वाला को रोक नहीं सकेगी इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके मार्फत यह अनुरोध है कि इनकी वाजिब मांगों की क्रियान्विति जल्दी से जल्दी की जाय। अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार ने खुद ने सदन में आश्वासन दिया, राज-पत्र में आदेश निकल गये फिर क्या दिक्कत है उन्हें क्रियान्वित करने में ? आप वचनबद्ध हैं और आपको करना पड़ेगा।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, वैद्यों के बारे में मेरा थोड़ा सा निवेदन है। वैद्यों की पहले ग्रेड 180 से 425 की थी फिर वह ग्रेड 8-5-73 को 275 से 650 की कर दी, पे स्केल रिवाइज कर दिया। फिर आप एक पर्टीक्यूलर आदमी का अपोइन्टमेंट 375 से 850 की ग्रेड में करते हैं दूसरे का नहीं। क्या कारण है ? आप दूसरे लोगों को ग्रेड कैसे कम दे रहे हैं ? आपको तो जो 8-5-73 को ग्रेड दी उन पर कायम रहना चाहिये। उसके बाद में एक डिप्टी डाइरेक्टर के लड़के को आप स्पेशल ग्रेड, जो आपके द्वारा अनाउन्स की हुई है, देते हैं और दूसरों को आप वह ग्रेड नहीं देते हैं, क्या रीजन है इसमें ? आपको इक्वेलिटी के बेसिस पर कन्सीडरेशन सभी के लिये करना चाहिये।

इसके साथ ही आज जो लोग बाहर धरना दिये बैठे हैं उनके लिये गवर्नमेन्ट से कहूंगा कि वह उनका डेपूटेशन बुलाकर उनसे बात करके कुछ न कुछ फैसला जरूर करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, पांच बार वैद्य स्टेट मिनिस्टर कमलाजी से मिल चुके हैं और उनको आश्वासन दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वैद्यों को बहुत अपमानित किया जा चुका है। छः दफा माननीया मंत्रीजी कमलाजी ने कहा कि आपकी फाइल चीफ मिनिस्टर के पास भेजी गयी है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन टाइम इसको आप रिपीट नहीं करेंगे। वह ही रिपीट कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा हूं कि उनको फिर आप चीफ मिनिस्टर के पास भेज देते हैं, चीफ मिनिस्टर फाइनेन्स मिनिस्टर के पास भेज देते हैं और फाइनेन्स मिनिस्टर धक्के मार कर उनको कोठी से बाहर निकाल देते हैं। वह कहते हैं जो कुछ करेंगे चीफ मिनिस्टर करेंगे। आखिर शटल काक हैं क्या ? 6 दफा फाइल भेजने की बात कही। शटल काक बना रखा है। आखिर उनको कोई निर्णायक बात कहिये।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आपका इस पर कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं है। जिनका एडजोर्नमेन्ट मोशन था उन्हीं को इजाजत दी है बोलने की। दो मिनट आप भी बोल लीजिये।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आपकी बाहिद जात है। आपकी जात तो खुदा की जात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक 'संजय' अखबार निकाला है। उसमें निकला है कि खुदा की नसबन्दी की जावेगी।

श्री मोहरसिंह : मुझे केवल इतना ही कहना है कि पशु का इलाज करने वाले डाक्टरों का भी वेतन दूसरे डाक्टरों के वेतन के बराबर कर दिया तो वैद्य को 150 रुपया दे रहे हैं यह उचित नहीं है। मिनिस्टर महोदया को उनके साथ न्याय करना चाहिये। उनकी तनख्वाह को बढ़ाना चाहिये। आज इमर्जेन्सी का युग बीत गया। आन्दोलन के लिये उतारू हैं लोग। आप पुनः विचार करें और वेतनमान को बढ़ायें।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : इससे, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल चुके हैं तो दो शब्द मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। यह मानवीय प्रश्न है। दर दर भटकाने के बजाय जो भी सरकार को निर्णय लेना है वह शीघ्रातिशीघ्र लेना चाहिये। आखिर सरकार है। यह कुंजड़े-मूंजिये की दुकान तो नहीं है। आपको कम से कम निर्णय लेना चाहिये, सदन को विश्वास में लेना चाहिए। सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। यदि नहीं करना चाहते हैं तो मांग ठुकरा कर स्पष्ट कह देना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आश्वासन देकर आश्वासन से मुकरना अच्छी परम्परा नहीं है।

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1976–77 के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति का छठा, सातवां व आठवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (सभापति, अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति 1976–77 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :

(क) राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के आरक्षण से सम्बन्धित समिति का छठा प्रतिवेदन।

(ख) पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति (1974–75) के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का सातवां प्रतिवेदन।

(ग) राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के आरक्षण सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति का छठा व सातवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री दिनेश रांगी ।

श्री दिनेश रांगी (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं, अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1976-77 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :

(1) राज्य सरकार के नियंत्रित निर्देशित निगमों/उपक्रमों/मण्डलों/संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आरक्षण से सम्बन्धित समिति का छठा प्रतिवेदन ।

(ख) राजस्थान राज्य के चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में समिति का सातवां प्रतिवेदन ।

विधायी कार्य
प्रवर समिति का प्रतिवेदन :
नियत समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

श्री खेतसिंह ।

राजस्थान भूमिगत जल (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (जन स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय :

भूमिगत जल के विकास एवं उससे सम्बन्धित मामलों का विनियमन एवं नियंत्रण करने के लिए राजस्थान भूमिगत जल (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 1975 ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया ।

राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री गुमानमल लोढ़ा ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय :

"राजस्थान दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1958 को संशोधित करने के लिए विधेयक"

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया एवं समय बढ़ाया गया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगें

मांग संख्या 9, 16 व 21 का उपस्थापन

अनुपूरक अनुदान मांगें।

तीनों मांगें एक साथ ही रख दी जायं। और एक साथ ही तीनों पर डिस्कशन हो।

श्री खेतसिंह : अलग अलग मांगें हैं इसलिये अलग अलग मंत्री उनको प्रस्तुत कर देते हैं।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के संबन्ध में 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,63,83,000 तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई। मुख्य मंत्री।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,90,39,000 तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री रामनारायण चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,83,45,000 तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 9, 16 व 21 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

1. **श्री दीपंकर** (लाडनूं): मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोयला लकड़ी व्यापार योजनाओं के अन्तर्गत वनों की कटाई अंधा धुंध की जा रही है उसे रोके जाने हेतु चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीठड़ी ग्राम में पुलिस चौकी कायम कराने हेतु चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं क्षेत्र की सामान्य सड़क आवागमन के काबिल नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

4. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल): मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

Page No 35

(35)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

किया जाय (वृक्षारोपण कार्य-क्रम के अन्तर्गत लगाये वृक्षों पर हुए व्यय में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घाना पक्षी अभयारण्य का उचित विकास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृक्षारोपण कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधिक शाखा के आधुनिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेतनमान व मंहगाई भत्ते समय पर पुलिस कर्मचारियों को नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर)

श्री मनोहरलाल (कामां)

श्री विट्ठल भाई (गोरलखूंट)

श्री जोगिन्द (कुशलगढ़)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)

9. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय- (चुनाव व्यय व विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण की गई मजदूरी के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमावर्ती सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज-कीय सामान्य सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यंत्रों की खरीद में हुये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

13. श्री केसरीमल (ब्यावर): मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के गांव के पास तक की सीमा पर वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री हेमगी मल)

कम कर दिया जाय (वन सुरक्षा के लिये पेड़ों की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपात कालीन स्थिति के समय में विभाग द्वारा की गई ज्यादतियों पर चर्चा के लिए)

16. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ग्रस्त ब्यावर जालिया कादेड़ा काबरा रोड को पूरा पक्का बनवाने के लिये चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देराता बड़कोचरा सूरजपुरा बाढ़ग्रस्त रोड के कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर की छावनी से अजमेर रोड को मिलाने वाली सड़क पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़क और पुल के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में गोपालन पुष्कर रास बावरा की तरफ जाने वाली रोड पर नदी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बराखन से बुरका रेल सड़क जो अधूरी पड़ी है उसे पूरी कराने के लिये चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामनहेड़ा सकरा गाफा रोड लोहत की ओर जाने वाली को पूरा कराने की चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनपुरा के पास से सिलोवेरो होकर सेन्दड़ा रोड से मिलाने वाली अधूरी रोड को पूरा कराने की चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

23. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला जालोर में सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण करने के बारे में चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर की तहसील सांचोर में लकड़ी के कोयले बनाने एवं उसे बाहर भेजने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कर दिया जाय (वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला जालोर में लगाए गए वृक्षों को जीवित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में वृक्षारोपण अभियान में पौधों का वितरण एवं नई नर्सरी स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशिक्षण में नया दृष्टिकोण अपनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को पुलिस थानों में तैनात करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस मोटर चिकित्सा की कार्य प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विशिष्ट व्यक्तियों के आने पर पुलिस दस्तों की तैनाती में विशेष भत्ता दिलाने पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस आफिसर्स के यात्रा भत्ता एवं मोटर गाड़ियों पर किए गए अपव्यय के बारे में चर्चा के लिए)।

33. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा लघु निर्माण कार्य में एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में हुए अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर एवं जालोर में सामरिक महत्व एवं सीमावर्ती सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर की हवाई पट्टी की मरम्मत करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर की सामान्य सड़कों की मरम्मत एवं रपटों एवं पुलियों की मरम्मत करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

37. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में जवाई नदी पुल की मरम्मत, बाकोली नदी पुल, बांडी नदी पुल की मरम्मत एवं जैतपुरा नदी पुल के निर्माण में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जिला जालोर में (1) मालपुरा-नैनावा पक्की सड़क (2) सिवाड़ा-चीतलवाना (3) सारा-गुन्दाऊ-सांकड़-दुगावा (4) सांचोर बोखावाड़ी-सरवाना-पेवल सड़क बनवाने हेतु चर्चा के लिये]।

39. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337-सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सारा-गुंदाऊ-सांकड़-दुगावा मेटल सड़क पर रपटों एवं पुलियों के निर्माण के बारे में चर्चा के लिये)।

40. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात की सम्पत्ति की रक्षा हेतु चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन को स्ट्रीम लाईन करने हेतु चर्चा के लिये)।

42. श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (सूरतगढ़): मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण और वन विभाग में वृक्षारोपण करने में तालमेल न होने से वृक्षारोपण करने में हुई शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करते समय वनों को वैज्ञानिक ढंग से स्थापित न करने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ फार्म द्वारा लाखों पेड़ काटे जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में वहां की जलवायु के अनुकूल वृक्ष न लगाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

47. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना सूरतगढ़ द्वारा यूथ फैडरेशन के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकद्दमे बनाने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के पुलिस स्टेशन सादुलशहर द्वारा मजारों के विरुद्ध भूतियों की मदद करने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (राज्य सरकार द्वारा लोक सभा चुनावों के दृष्टिकोण से पुलिस अधिकारियों के तबादले करके उनका चुनाव अभियान में सक्रिय दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना सूरतगढ़ में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना नोखा के थानेदार द्वारा जनता पर झूठे मुकद्दमे बनाने, भंयकर अत्याचार करने पर चर्चा लिये)।

52. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की पुलिस द्वारा आपातकालीन स्थिति के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों पर पुलों की स्वीकृति न किये जाने के कारण सिंचाई में हो रही हानि पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव मानेवाला तहसील सूरतगढ़ से गांव गेरले वाला जाने वाली सड़क पर पुल निर्माण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

56. श्री वीरेन्द्र सांद गुप्ता (बानसूर): मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर की सिरस्का अभयारण्य में चीता परियोजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337–सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के बानसूर पंचायत समिति में सड़कों की मरम्मत कराने में तथा नई सड़कें

Page No 40

(५०)

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)
बनवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठलभाई (गोगलखूंट)

श्री मनोहरलाल (दामां)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री जोगिन्दर (हुशलगढ़)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर)

58. श्री गोपालसिंह (खण्डेला): मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए भारी व्यय पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में विकास का सन्तुलन रखने के लिए सीकर जिले में पलसाना से खण्डेला तक अधूरे सड़क निर्माण के कार्य को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये)।

61. श्री रतीराम यादव (तिजारा): मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में अनुसूचित कर्मचारियों को उनके आरक्षण के अनुपात में स्थायी नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपातकालीन स्थिति में पुलिस में बढ़े भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिजारा से अरोली के मध्य सड़क व पुल का कार्य तुरन्त पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिजारा क्षेत्र में नन्दरामपुरवास से बूढ़ी बावल के बीच नदी पर सड़क का पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिजारा—टपूकड़ा—भिवाड़ी सड़क के बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने और अभी तक मरम्मत न करने पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337—सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़बास से तिजारा तक की सड़क चौड़ी करके पुनर्निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

67. श्री केदारनाथ (गंगानगर): मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री केदारनाथ)
कर दिया जाय (इमर्जेन्सी में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता के प्रति अमानवीय व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की आपराधिक शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा गंगानगर जिले भर की सड़कों की मरम्मत पर जो उपेक्षा की नीति अपनाई गई है पर चर्चा के लिए)।

70. श्री रामलाल (बाड़ी) : मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना बसेड़ी के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 327 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी से सरमथुरा व करौली की सड़क और पुल को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

72. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक सभा के चुनावों के वक्त सीकर छात्रावास के लड़कों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने पर चर्चा करने हेतु)।

73. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादुलपुर से सांखू तथा सादुलपुर से सिद्धमुख सड़क की तुरन्त मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

74. श्री अजीतसिंह (टोंक) : मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337 सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले की सड़कों की मरम्मत हेतु चर्चा के लिये)।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9, 16 व 21 पर विचार

श्री अध्यक्ष : मांगों पर विचार। श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313 वन संपदा के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है। निवेदन यह है कि

(12.30 म.प.)

(श्री धर्मसिंह यादव; उपाध्यक्ष; पीठासीन)

वन संपदा आज धीरे धीरे नष्ट हो रही है। वन संपदा किसी भी देश की एक विभूति होती है। अनेक देशों में रहने वाले व्यक्ति वनों में पलने वाले वन्य प्राणी को मनुष्यों के हित के प्राणी के रूप में

(श्री दीपंकर)

मानते हैं, उनके प्रति उनका आकर्षण होता है और उनकी रक्षा का हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं। यहां आकर वे वन्य प्राणियों की प्रशंसा करते हैं और अपने देश के अन्य प्राणियों से उनका मिलान करते हैं लेकिन यहां के जंगलात की स्थिति यह हो रही है कि कुछ ठेकेदार लोगों ने सरकार के अधिकारियों से मिल कर अच्छे से अच्छे जंगलों को नष्ट करवा दिया, अच्छी से अच्छी उनमें उपलब्ध चीजें गायब हो गयीं। अब उनके संरक्षण के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है। जंगल के दुर्लभ प्राणियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अब तक जंगल सस्ती दर से कट गये। पेड़ों से कोयला बनाया, कोयला बनाने के नाम पर जंगलों को काटा गया और उन पर खेती की। इससे अजीब स्थिति पैदा हो गई है। हमारे यहां आज किसी गांव में भी जायें वहां पड़त भूमि है–चाहे जंगलात विभाग के अन्तर्गत नहीं है। पर हर गांव में पड़त भूमि है। वह इस तरह है जिस तरह गंवई सांड होता है और अन्य पशु हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता है। इनमें पशु आदि भ्रमण करते हैं, रहते हैं और खाते-पीते हैं। इस तरह इनको काटने से बड़ी मुश्किल हो गई है। जो भी भूमि जंगलात के नाम थी, जो भी भूमि पड़त थी, जो इस तरह के जंगल थे, बीड़ थे, जिनको बीड़ के नाम से पुकारते हैं उनकी कटाई बेरहमी से की गई। इस कारण आज बड़ी मुश्किल हो रही है। हमारे जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी तरह से जंगलात को बचायें। नया कार्यक्रम जो अपनाया है नये दरख्त लगाने का उसमें यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिये कि किस तरह के, कैसे पेड़ किस जगह लगाये जायं। किसी जगह जलवायु ऐसी होती है कि वहां नीम के पेड़ लग सकते हैं, किसी जगह पीपल के, तो किसी जगह सीसम लग सकता है। इसलिये नये सिरे से जरूरत महसूस की गई, यह हमारे यहां के हालात के अनुसार थी। इस तरह से कोई चेष्टा की गई तो कुछ ही अर्से में जंगलात से बहुत बड़ी आमदनी सरकार को होगी। जंगल से न केवल लकड़ी उपलब्ध होगी बल्कि अन्य जानवरों की सुरक्षा भी हो सकेगी। अन्य जानवरों के शिकार की मनुष्य कोशिश करते हैं और उनका जीना दूभर कर देते हैं जैसे शेर है उसको रक्षा जंगलों से होगी। आज बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि काले हिरण की बहुत कम संख्या रह गई है इसलिये आवश्यक है कि उनका संरक्षण हो। कुछ लोग सरकारी अधिकारियों से मिलकर जो शिकार भी कर डालते हैं वह नहीं होना चाहिये। इसमें बड़ी बहबूदी और तरक्की की एक बात है कि दुनियां भर से, साइबेरिया से हमारे यहां पर चिड़ियां आती हैं, हिमालय की तराई से आती हैं और यहां आकर कुछ समय के लिए रहती हैं। इनको देखने के लिये राजस्थान में दूर-दूर से लोग आने लगे हैं वे चिड़ियां वास्तव में देखने काबिल हैं। दरअसल में जो जीवधारी हैं, छोटे पक्षी हैं, पशु हैं उनके संरक्षण की बात हाथ में लें तो यह बहुत जरूरी बात है कि दूर-दूर से आने वाली चिड़ियों, पशुओं आदि को हम संरक्षण दें। बड़ी खुशी है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। जब मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित नहा किया गया था

(श्री दीपंकर)

तब इसका शिकार भी करते थे, इसका गोश्त भी खाते थे। इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया तो आहिस्ता आहिस्ता संरक्षण की व्यवस्था हुई तो जरूरी हो गया, कड़ा दण्ड दिये जाने लगा इस तरह से मोर पक्षी है–उसने संरक्षण पाया। उसी तरह से और भी संरक्षण पाएंगे।

जंगलात विभाग में जिस तरह की गड़बड़ हो रही है उसके कारण कोयला मंहगा है जब कि पहले कोयला सस्ता था। आजकल सरकार क्या कर रही है कि लकड़ी काटकर कोयला बनाकर बेचती है, उसके भाव और पहले जो ठेकेदार को ठेका दिया जाता था उसके भावों में बड़ा भारी अन्तर है, लेन देन में बड़ा भारी अन्तर है। जहां आवश्यकता है और जिलाधीश मांगें वहां मांगने पर भी कोयला नहीं पहुंचाया जाता है। कहीं पर कोयला खराब हो रहा है और आमदनी चाहिये वह नहीं हो रही है और कई जगहों पर जहां जरूरत के मुताबिक आवश्यकता नहीं है वहां अधिक पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की गड़बड़ हो रही है। इसलिए जरूरी है कि जंगलात के विषय में सरकार अधिक ध्यान दे।

एक निवेदन विशेष तौर से है। वैसे सरकार मना करती है कि गीली लकड़ी नहीं काटी जाती है परन्तु हर शहर में देख लीजिये, गीली लकड़ी गांवों से कट कर आती है, उसे पुलिस द्वारा ले जाया जाता है और पुलिस वाले उस लकड़ी को जलाने के काम में लेते हैं। इससे एक दरख्त काटा गया, उसकी कीमत कहां मिली ? दण्ड देने की प्रक्रिया को जरूर काम में लें। जो काट कर लाये वह दण्ड जरूर भोगे। पुलिस को क्या अधिकार है उसको जलाने का ? यह जरूरी है कि सरकार में जमा होनी चाहिये उसकी रकम। मैं देखता हूं कि कई पुलिस थानों के बाहर भी गीली लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ रहता है। मैंने एक बार जांच की। रसोईदार से थाने में पूछा कि लकड़ी कहां से लाते हैं? तो बताया, बाहर पड़ी है न। लकड़ी पकड़ लेते हैं और काम में लेते हैं हमें तो खरीदनी ही नहीं पड़ती है। यह तो शोभाजनक बात नहीं है। सरकार ने आदेश गीली लकड़ी काटने के लिए नहीं दिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिये।

दूसरी जो आपकी मांग है वह है 16 और उसका संबंध जहां तक है वह पुलिस से है। पुलिस से संबंधित मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी बजट सत्र आया है मैंने एक प्रश्न हमेशा उठाने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह गृह मंत्री के जरूर ध्यान में लाना चाहता हूं कि पुलिस एक अपने में अलग महकमा है और सिविल डिफेन्स अपने में एक अलग महकमा। सिविल डिफेन्स की ट्रेनिंग जुदा है और उसका सहायक होम गार्ड है जिनको डिप्टी कमान्डेन्ट के तहत रखा गया है। यह अलग से मिलिट्री टाइप का आर्गेनाइजेशन है। मगर दुर्भाग्य है कि हमारे होमगार्ड पुलिस के मातहत हैं। पुलिस के महकमे में होम गार्ड रहने से न तो पुलिस वाले होमगार्ड वालों के सिस्टम को समझते हैं और न होमगार्ड वाले पुलिस वालों के सिस्टम को यहां तक कि बराये नाम ट्रेनिंग लेने को आते हैं तो 5 रुपये प्रति-दिन के हिसाब से देते हैं। हिन्दुस्तान में होमगार्ड्स ने सेवाएं दी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है लेकिन उनके साथ किसी प्रकार की वर्दी

(श्री दीपंकर)

आदि के देने में सौतेला व्यवहार करते हैं। जो डिप्टी कमान्डेन्ट हैं उनको डिप्टी कमाण्डेन्ट के रूप में ही रिटायर होना पड़ता है। उनको डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का दर्जा नहीं है। अगर वे चाहें तो अपनी सर्विस तब्दील कराकर पुलिस में नही जा सकते। होमगार्ड में बी. ए. पढ़े-लिखे कई महानुभाव, कई व्यापारी, वकील, समाज के अच्छे-अच्छे आदमी सेवा देने के लिए आते हैं और तकलीफ के दिनों में इस देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनके काम की क्या कीमत है? अगर वे थाने में जायें और खाना खाना चाहें तो उन्हें कहा जाता है कि यहां कायदा है, रसोइये को इतने रुपये जमा करायें तब खाना खा सकते हैं। नहीं करायें तो फिर भूखे मरने के सिवाय और कोई जरिया नहीं है। होमगार्ड जो मिलिट्री की तरह का आर्गेनाइजेशन है इसको पुलिस से जुदा किया जाना चाहिये। उसकी जुदा तौर की स्थिति है, जुदा तौर की ट्रेनिंग होती है तो पुलिस के महकमे से उसे अलग किया जाना चाहिये–अलग से उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। वह अलग से बड़ी चतुराई और योग्यता के साथ में आपकी राजस्थान की सीमा की रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है यह सही बात है कि पुलिस का कोई तरह का अच्छा व्यवहार नहीं है। तो उस पर चैकिंग करने का कोई तरीका अगर आपके पास में है तो वह होमगार्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : साहब, मुझे तीन मांगों पर बोलना है, बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जितना समय है उसी में से दे सकता हूं।

श्री दीपंकर : आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ जाऊं?

श्री उपाध्यक्ष : This is to be decided by you.

श्री दीपंकर : तो मेरा एक निवेदन यह है कि पुलिस से होमगार्ड को अलग करना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि सिविल डिफेन्स और होमगार्ड की ट्रेनिंग के लिए भवन बनाने के लिए भारत सरकार से जो बहुत बड़ी राशि मिली है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। यह सरकार के लिए शोभाजनक नहीं है। यह कहा जाता रहा कि हमारे पास भू-खण्ड नहीं है भूखण्ड के लिए प्रस्ताव आया तो जो श्री निरंजननाथ जी आचार्य की यादगार में एक अखाड़ा खोल रखा है, उसकी कीमत तीन-चार लाख रुपये है, वह उस भू-खण्ड को देने के लिए तैयार हैं तो सरकार को उसको लेकर वहां भवन बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार से मांग की गयी है। यदि 3 लाख रुपये में भवन नहीं बन सकता तो इसके लिए और भी पैसा मिल सकता है बशर्ते कि पहले मिले हुए पैसे का उपयोग कर लें। तो राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के दिये गये पैसे सिविल डिफेन्स के खर्च में नहीं लेने की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होमगार्ड्स के लिए ड्रेसेज की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो। इनके अलावा इसको अलग महकमा बनाया जाये और फिर देखें कि किस तरह

(श्री दीपंकर)

वह लोग सहायक हो सकते हैं शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि जो स्थान डी.एस.पी. के खाली हैं उनको भरा जाना चाहिए। मैं तो खुद होमगार्ड में रहा हूं पुलिस वाले इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं कि होमगार्ड का कोई व्यक्ति रिपोर्ट लेकर थाने में जाता है तो उसको कहा जाता है, अच्छा, अच्छा, बैठ जाओ। वह बी.ए. पास होते हैं और अच्छे-अच्छे लोग होते हैं। अगर इस तरह से बेइज्जती हो होमगार्ड के सिपाहियों की और उनसे कहा जाय कि पानी की बाल्टी भरकर लाओ, इस तरह से यह पुलिस वाले करें तो उचित नहीं है।

पुलिस के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की रचना समाज में व्यवस्था हेतु की गयी है और इनफार्मेशन देने के लिए वायरलैस सैट्स लगाये हैं, कुछ थानों को जीपें भी दी हैं। मैं मेरे इलाके की एक खास बात निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम मीठड़ी है वहां पुलिस चौकी थी और वहां भवन भी बना हुआ है। उसको वहां से इसलिए हटा दिया गया कि जसवन्त गढ़ पुलिस थाना पहले से है। यह 22 मील दूर है। ग्राम मीठड़ी में महाजनों की वस्ती है और वहां कई चोरियां भी हो चुकी हैं। पंचायत एक स्वयंसेवी संस्थान का गठन करके और दो हजार रुपया लगाकर गश्त लगवा रही है, लालटेनें वगैरह का इन्तजाम किया है। तो ग्राम मीठड़ी के अन्दर चौकी कायम होनी चाहिए लेकिन नहीं की गयी। जब भी इसके मुतल्लिक मैं आई. जी. साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारा काम है नये थानों की रचना करना, चौकियों का नहीं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय आइन्दा के बजट में यह जरूर देखें कि मीठड़ी बहुत इम्पार्टेन्ट जगह है। वहां से दोनों थाने बहुत दूर हैं। सीकर का इलाका पास होने से मीणों का वहां आवागमन अधिक है और चोरियां बहुत होती हैं। आज भी हजारों रुपयों का माल गया हुआ वापिस नहीं आया है। इसलिए यह चौकी कायम की जाये•••

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दीपंकर : एक पाइन्ट और है।

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow too much time to any one member.

श्री दीपंकर : एक ही सेन्टेन्स में कह दूंगा।

अब सड़क और नालों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो भी सड़कें बनी हुई हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। नागौर जिले में मुख्य मंत्री जी पधारे थे तो उन्होंने यही बात कही कि बरसात के बाद इनको ठीक करा देंगे। हमारे यहां पानी और आवागमन के साधन नहीं हैं। हमारे एरिया में जो भी सड़कें हैं वह टूटी हुई हैं। मुख्य मंत्रीजी डीडवाना पधारे थे सीकर होते हुए तो उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण करायेंगे लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में जो अकाल के समय में सड़कें बनी वह भी पूरी नहीं बनीं और न मरम्मत हुई। बसें प्राइवेट लोग चलाते

(श्री दीपंकर)

ने उन्होंने भी सड़कों की हालत खराब होने की वजह से बन्द कर दीं। इसलिए लोगों का आना जाना बन्द हो गया है। बहुत मेहरबानी होगी यदि जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करा सकें।

बस, इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सदन को सूचित करना है कि आज 4.15 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जायेगा और अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत कर उन्हें पारित किया जायेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारी भी राज्य कर्मचारियों में शामिल हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने 9-3-77 से राज्य के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता और गृह किराया भत्ता देने की घोषणा की थी किन्तु आज बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने केवल अभी तक 5 किश्तों में से दो ही किश्तें दी हैं और वह भी पूरी नहीं दीं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 5 किश्तें नहीं दी गयीं, यह बहुत अशोभनीय बात और अपमानजनक बात राज्य कर्मचारियों के साथ है। राज्य सरकार ने जो वायदा किया था कि केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता दिया जायेगा उस वायदे को सरकार को पूरा करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अनिवार्य सेवा मुक्ति के नाम पर बिना कुछ बताये कर्मचारियों को निकाल दिया गया और इमर्जेन्सी के काल में सरकार ने सख्त निर्णय लिये। उस समय लोग कुछ नहीं बोल सकते थे और अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। हुआ यह कि 40-40 वर्ष के नौजवानों को अनिवार्य सेवा मुक्ति के नाम पर निकाल दिया गया। इस मंहगाई के युग में जिनको निकाल दिया गया वह किस प्रकार से अपना जीवन-यापन कर रहे होंगे, किस प्रकार से अपने परिवार का पेट पालन कर रहे होंगे राज्य सरकार को इसका ध्यान नहीं है। इसके फलस्वरूप 3 हजार से अधिक कर्मचारियों को जीवन बीमा की राशि नहीं दी गयी, पेन्शन नहीं दी गयी, ग्रेच्युटी नहीं दी गई और 19 माह में हजारों राज्य कर्मचारियों के सामने रोटी की समस्या आ गयी, बच्चों को पालने की समस्या खड़ी कर दी गई। यही नहीं किया, माननीय उपाध्यक्ष जी, परिवार नियोजन के नाम पर, जबरदस्ती नसबन्दी के नाम पर जितना कोटा राज्य कर्मचारियों को पूरा करना था वह नहीं कर पाये तो उनकी वेतन-वृद्धि रोक दी गयी, उनको निलम्बित कर दिया गया और बहुतों को सेवा मुक्त भी कर दिया गया। 450 कर्मचारियों को इसके लिए दण्डित किया गया और उनमें 200 महिला कर्मचारी भी हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दबाने के लिए कई प्रकार के आदेश प्रसारित किये। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी के समय केन्द्रीय सरकार के गलत निर्णयों से और राज्य सरकार के गलत निर्णयों से

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
सरकार को यह सब कुछ भुगतना पड़ा है। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार तमाम पुराने आदेशों को निरस्त करके जिन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा मुक्ति के नाम पर हटा दिया गया है उनको वापस ले और फिर राज्य सरकार यह समझती है कि कोई कर्मचारी अयोग्य है या किसी ने बेईमानी की है तो उसे उसके ऊपर केस चलाना चाहिए। उसके लिये कमेटी बैठाई जानी चाहिए और उसके बाद निकाला जाना चाहिए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इमर्जेन्सी में जिनकी वेतन वृद्धि रोक दी गयी, जिनको पेन्शन और ग्रेच्युटी नहीं मिली और जिन लोगों के साथ अन्याय किया गया उन कर्मचारियों को राज्य सरकार पुनः नौकरी में ले। जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी है तो कमेटी बैठाकर कार्यवाही करें तो मुनासिब होगा।

इसी तरह से राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मकान का किराया देने की बात कही थी। उनकी यह मांग मन्जूर कर ली लेकिन राज्य सरकार उसकी अभी भी अवहेलना कर रही है। मेरी दूसरी मांग यह है कि राज्य के कर्मचारियों को भी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान आप मकान किराया दें।

मेरिट के आधार पर लोगों की पदोन्नति की जायेगा–इस प्रकार का नियमों में संशोधन करके यह अधिकारियों के हाथ में दिया गया। इससे कइयों को नुकसान हुआ है। इसलिए मेरिट के स्थान पर वरिष्ठता का आधार माना जाना चाहिए जिससे कि बड़े बड़े अधिकारियों को मनमानी करने का अधिकार नहीं मिले।

इसी प्रकार से जो राज्य कर्मचारी कई वर्षों से सरकार के मकानों में रह रहे हैं उनका काफी किराया कट चुका है। इसलिए जो कर्मचारी जिस मकान में रह रहा है उसको हायर–पर्चेज के आधार पर उसी कर्मचारी को दे दें, जो पैसा कट रहा है उसके आधार पर दूसरे मकान बनाये जायें और नये आने वाले कर्मचारियों को वह मकान दिये जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने जयपुर शहर में बुलडोजर चलाये थे, लोगों के मकान तोड़े थे, संजय मार्केट के नाम पर बुलडोजर चलाये, जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार का हुक्म मानकर यह सारा कार्य किया ऐसे 11 बुलडोजर चलाने वालों को, एग्रो इन्डस्ट्रीज में भेज दिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया और वहां से जी.ए.डी. में भेज दिया गया। उनको 4–4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। आज वे कर्मचारी परेशान हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा मुक्त किया गया है उनको वापस लिया जाये। मंहगाई भत्ता दिया जाये। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां हों। मकान किराया दिया जाये। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार को गम्भीरता से इन पर विचार करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये राज्य सरकार

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

ने जिस मंत्री को, जिस कांग्रेसी विधायक को बिठाया है उसको मिनिस्टर लेवल की सुविधा दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, वह कांग्रेस के विधायक जो सुविधा पा रहे हैं, राज्य सरकार को उसको समाप्त करना चाहिये।

चुनावों के दौरान आपको मालूम होगा, जो कृषि भूमि थी और उसे आबादी में परिवर्तित करने के लिए जो चार्जेज थे, केन्द्रीय सरकार ने माफ कर दिये। जयपुर शहर में छोटी-छोटी भूमि वाले हैं जो कृषि से आबादी में कन्वर्शन चाहते हैं, वे परेशान हैं। 30 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, उनकी भूमि आबादी में कन्वर्ट नहीं की जा रही है। उनको पानी के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है। मकान उनके बन गये हैं। राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं जिस प्रकार केन्द्र ने माफ कर दिया उसी प्रकार राजस्थान को आज करना चाहिये। इसलिए आबादी के चार्जेज हैं राज्य सरकार उनको माफ करे। पानी के कनेक्शन पर जो रोक लगाई है वह रोक भी हटाये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इमर्जेन्सी के दौरान जिस समय हम जेलों में थे, हमने सोचा जयपुर शहर की 109 कच्ची बस्तियों का विकास हो गया होगा लेकिन किसी भी कच्ची बस्ती वाले को पट्टा नहीं दिया गया। नकली पट्टे दिये गये। राष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्री और विधायकों से वहां पट्टे दिलाये गये। जमीनों का कब्जा नहीं दिया। जो सड़कें बनी थीं वे टूट गईं। उन पर मिट्टी आ गई। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लोगों को रोशनी की व्यवस्था नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, किस टाइम तक यह बहस चलेगी?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सन् 1975 तक जो व्यक्ति जिस कच्ची बस्ती में बैठा हुआ है उसको सरकार को रेगुलेराइज करना चाहिये। उस बस्ती का विकास करना चाहिये। उनको पट्टे देने चाहिये। बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये। पानी की व्यवस्था करनी चाहिये। जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों के लोगों, विशेषकर 109 कच्ची बस्तियों के लोगों, के लिये जो घोषणायें की गईं सरकार उनको पूरा करे। घाटगेट कच्ची बस्ती के नाम पर बुलडोजर चलाया गया। एक छोटी बच्ची नीचे आकर दब गई और वह मर गई। उसका बाप मारा मारा फिरा लेकिन राज्य सरकार ने उसकी सुनवाई नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि राज्य सरकार ने इमर्जेन्सी के नाम पर लोगों को हटाया। फुटपाथ पर बैठने वालों को हटाया। उनको बेघर बरबाद कर दिया। इन्दिरा मार्केट के नाम पर व्यक्तियों को हटाया। वहां दुकानें बनी हैं; लोग परेशान हैं कई आदमियों को दी नहीं गईं। जयपुर शहर का विकास किया जाना चाहिये था। जिन लोगों को वहां से हटाया गया उनको कहीं बसाया जाना चाहिए था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, जिन लोगों को दुकानें दी जानी चाहिये थीं, वह नहीं मिलीं।

श्री केदारनाथ : आज कोई मसला बच न जाये।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : बल्ब भी नहीं लगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : 22 दुकानें जो हैं सरकार का कहना है कि 22 दुकानें हम देंगे। यह जो दुकानें विस्थापित लोगों को मिलनी चाहिये थीं, वे नहीं दे रहे हैं। संजय मार्केट के नाम पर लोगों को वहां से हटा दिया गया है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : विस्थापित लोगों को सारी दुकानें दी गई हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : घाट की गूणी में जाकर देखें····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दो मिनट और लूंगा।

जयपुर शहर के अन्दर देखेंगे, हाउसिंग बोर्ड के अन्दर आप देखेंगे, मकानों के लिये लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये। उनमें से 1973 के बाद एक हजार लोगों को मकान दिये गये। आज भी 13 हजार व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड की पेन्डिंग लिस्ट पर हैं उनको मकान नहीं मिले हैं।

बावजूद इसके, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में जब इन्दिरा मार्केट बना, मंत्री महोदय ने, राज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया····

श्री उपाध्यक्ष : कौन सी मांग पर बोल रहे हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनको खुद को ही मालूम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान के लोगों की कठिनाइयां हैं, उनको दूर किया जाये····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने दुकानें दीं और बल्ब क्यों नहीं लगाये? प्रश्न यह है।

श्री केदारनाथ : अभी तो फाईन पालिसी और आयेगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : और सारी बातें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज कार्पोरेशन में 45 हजार रुपये में माइत में बॉडी बिल्डिंग का काम करवाया यानी बसों के चेसिस के ऊपर बाडी बिल्डिंग का काम संजय जी को दिया, वह नहीं दिया जाना चाहिये था। 35 हजार में यहां बनवा सकते थे। राजस्थान में 2 करोड़ रुपये का और उस पर 10 परसेन्ट ब्याज का नुकसान हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर शहर में हाई कोर्ट की बेंच ला दी। इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा, हाई कोर्ट की बेंच लाये तो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है, कृषि भवन, सारी अदालतें वहां लाई जायें···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कलेक्टोरेट को वहां लाया जाये इससे जनता को सहूलियत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो पिछले दिनों राज्य कर्मचारियों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
के साथ अन्याय किया है, जयपुर शहर के साथ अन्याय किया है, लोगों को बसाया नहीं, लोगों को नकली पट्टे दिये गये। हाउसिंग बोर्ड ने कोई काम किया नहीं, सारी अव्यवस्था है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट का समय और उपाध्यक्ष महोदय।

मेरे पास सबूत मौजूद हैं, राज्य सरकार के पी डब्ल्यू. डी. ने किस प्रकार से सारा खर्चा किया। संजय के नाम पर, जयपुर शहर के नाम पर, सरकार के नाम पर करोड़ों रुपया वसूल किया गया लेकिन जो स्वागत हुआ उसका परिणाम लोगों के सामने आ चुका। जयपुर शहर में संजय के स्वागत ने इस देश के कांग्रेसियों का भट्टा बिठा दिया, लोगों को मालूम हो गया वह संजय का स्वागत नहीं, लोगों को दबा कर रखने का स्वागत हो रहा था···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनट का समय और चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में कांग्रेस मंत्रिमण्डल में किसी प्रकार का विश्वास नहीं रहा है। मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस में अविश्वास प्रकट कर चुकी है इसलिए संविधान में 42वें संशोधन को वापस लिये जाने के संकल्प को पास किया जाये और अगर नहीं किया गया तो वह तो यूं हीं होने वाला है। इसलिये मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में जनता का कांग्रेस पर से विश्वास उठ चुका है इसलिए राजस्थान विधान सभा को भंग किया जाये और विधान सभा के पुनः चुनाव कराये जायें। आपने जो अन्याय किये हैं राजस्थान की जनता पर, वह आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से सबक देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इन पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरी मल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव पर दो मिनट कहूंगा।

एक तो वन विभाग द्वारा खास तौर से जिस प्रकार हमारी वन सम्पदा नष्ट हुई है उसके बारे में निवेदन करूंगा। जिस अवैज्ञानिक तरीकों से वनों का सफाया हो रहा है और वन विभाग के लोग ही जिस प्रकार वनों को नष्ट करवा रहे हैं उसको रोका नहीं गया तो वन सम्पदा करीब 2 समाप्त हो जायगी। मेरे इलाके में बड़े-बड़े वन थे वे आज साफ हो गये। स्थिति अब यह हो गई है कि जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है। कोयला और अनाज का एक ही भाव है। कोयला और अनाज दोनों आज की तारीख में रुपये, सवा रुपये किलो का मिल रहा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, जिस देश में कोयला और अनाज एक ही भाव हो तो उसके क्या कहने। हमारे यहां खाने के लिए अनाज और जलाने के लिये कोयला या लकड़ी एक ही भाव है। तो मेरा यह मानना है, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री केशरीमल)

हमारी वन सम्पदा का बिलकुल नाश किया जा रहा है और जो पेड़ लगाये गये हैं वे भी कोई ढंग से नहीं लगाये गये हैं। हजारों, लाखों पेड़ लगाये गये हैं लेकिन आज उनको ढूंढने निकलो तो एक भी नहीं मिलेगा। केवल उनके खड्डे ही शेष रह गये हैं, पेड़ उनमें से गायब हो गये हैं, या लगे नहीं हैं और यदि लगे हैं तो सूख गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पेड़ लगाने के साथ-साथ उनकी कोई रक्षा नहीं की गई है। पेड़ लगाने के साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कि उस जगह की मिट्टी कैसी है, उस जगह पानी की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार का पौधा किस प्रकार की मिट्टी में पनप सकता है और किस प्रकार उस लगे हुए पेड़ की रक्षा की जा सकती है। जब तक इन चार बातों का ध्यान पेड़ लगाने में नहीं रखा जायेगा तब तक पेड़ लग ही नहीं सकते हैं और हमारी वन सम्पदा बढ़ ही नहीं सकती है। मेरा ख्याल है आज सेन्ट पर्सेन्ट पेड़ नष्ट हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़कें बन रही हैं उनमें मोड़ निकालने के नाम पर ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े पेड़ों को, जो वर्षों से थे, जिनकी वर्षों से सुरक्षा रखी गई, वो भी साफ कर दिया गया है। मैं समझ नहीं सकता कि जिन पेड़ों को पनपाने में वर्षों का समय लगा, वर्षों तक जिनकी रक्षा की, उनको सड़क सीधा करने के नाम पर और लकड़ी की चोरी के लिये कटवा दिया। लोग उन पेड़ों की लकड़ी बेचकर खा गये। इसके साथ-साथ समस्या बनी, उपाध्यक्ष महोदय, लकड़ी जब उपलब्ध नहीं है तो क्या सरकार कोई रास्ता निकाल रही है ? क्या जनता को कोई अन्य प्रकार का सस्ता विकल्प दे रही है इसके स्थान पर एक ऐसा शहर है जिसमें 10 मुर्दे रोज जलते हैं और 10 मुर्दों को जलाने के लिये करीब सवा सौ मन लकड़ी चाहिये तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां यदि बिजली का साधन है तो दाह संस्कार के लिये बिजली का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है जिससे लकड़ी की बचत हो सके और जो वन सम्पदा नष्ट होती जा रही है वह बच सके। एक पेड़ कटे और दो पेड़ लगें तब तो वन सम्पदा का विकास हो सकता है और जो खर्चा है उसके लिये कोई रास्ता निकालें या ऐसी स्थिति लायें जिससे लोगों को दाह संस्कार में लकड़ी का प्रयोग न करना पड़े। लकड़ी से कोयला बनाना आवश्यक है इसलिये पेड़ लगाना बहुत जरूरी है और लगाने के बाद रक्षा भी जरूरी है। यह मुझे वन सम्पदा के बारे में कहना है।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दूसरा पुलिस के बारे में निवेदन करना है। पुलिस और बहुत से मामले हो सकते हैं। पुलिस कर्मचारियों को सहूलियतें भी मिलनी चाहिये किन्तु वे खत्म हो गईं। अभी अक्तूबर 1976 में वेतन फिक्स करने की बात चली उसमें उनका महंगाई भत्ता वेतन में मिला दिया गया लेकिन बाजार में चीजों के भाव इतने बढ़ गये कि जैसे उनको महंगाई भत्ता कोई मिला नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की हालत बिगड़ेगी। उनकी हालत बहुत खराब है। मेरा मानना है यह सारा विभाग ही उपेक्षित है चाहे एक छोटा सिपाही हो और चाहे एक जमादार हो। इस तरह की श्रेणी के लोग तकलीफ में हैं। राज्य सरकार के सामने ऐसे मसले रखे गये हैं लेकिन सरकार ने न मालूम क्या कवच डाल

(श्री केसरीमल)

रखा है कोई बात हो वह उनके सामने आ जाय तब भी कोई उसका जवाब नहीं देगी। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को कई पत्र कोटड़ा काण्ड के बारे में लिखे हैं। नसबन्दी के बारे में गृह मंत्री को लिखा, मुख्य मन्त्री जी को लिखा कि कोटड़ा में बहुत भयंकर नसबन्दी का काण्ड हुआ है। नसबन्दी का नाम जरा सा है लेकिन पुलिस ने गांव के 15–20 आदमियों की लिस्ट बना ली, पान्ना, कान्ना, धन्ना आदि नाम लिख लिये और वह लिस्ट लेकर किसी आदमी के पास पहुंचे। कहा, धन्ना तेरा नाम है तुझे चलना है। वह कहता है, हुजूर! मुझे तो छोड़ दो अच्छा इतने पैसे दे तो तेरा नाम काट देंगे और दूसरा चला जायगा। इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने पूरे गांव से पैसे खाये हैं। इस कारण उनको सजा देना तो दूर उनको रोका तक नहीं गया है।

एक हमारे मेवाड़ी गेट पर ऐसा इन्सपेक्टर आया जिसने औरतों व लड़कियों के साथ बलात्कार तक किया मोहल्ले वालों ने कहा यह क्या हो रहा है तो उसने कोई परवाह नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, जहां सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर सरकार को कोई हक नहीं कि वह जनता के वोट ले और यह हुआ है हमने कहा मोहल्ले में चोरी हुई है। एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले के घर पर चोरी करा दी और जब पता चला कि चोरी हो गई है तो दो घण्टे बाद ही माल आ गया। हमने जोर दिया कि चोर को क्यों नहीं पकड़ा गया तो कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? पुलिस वाले ने ही पुलिस वाले के घर में चोरी की थी। सरकार खुद चोरी करवाती है और चोरों को पनाह देती है और उनसे पैसा कमाती है। कोटड़ा काण्ड हुआ, औरतों को बन्द कर दिया गया और यह कहा गया कि औरतें लड़ने आई थीं। अब, उपाध्यक्ष महोदय, सोचिये रात को औरतें लड़ने को आयेंगी? पर पुलिस वालों को औरतों के साथ ज्यादती करनी थी, पैसे कमाने थे। यही कारण है, पूरे इलाके में लाख कोशिश करने पर भी कांग्रेस को वोट नहीं मिले। औरतों को आज भी जेलों में डाल रखा है। आज भी उन पर डी. आई. आर. के केसेज चल रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी उन केसेज को वापस लें और उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लें और उचित दण्ड दिलायें जिसने जनता को लूटा है और सताया है और जनता से पैसा वसूल किया है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री केसरीमल : जी हां, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

जहां तक सड़कों का मामला है, पुलियाओं का मामला है। आस-पास में मैंने कई जगह देखा है राज्य सरकार ने एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनाई है। मैं पांच साल से बराबर कहता आ रहा हूं सरकार को। मेरे इलाके में ज्यादा नहीं एक किलोमीटर सड़क बनवाना चाहता हूं। एक टुकड़ा ऐसा है जो कई गांवों को दुःख दे रहा है। कई मिनिस्टर हुए, कितने ही अधिकारी आए उन सबको निवेदन किया लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री केशरीमल)

मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि उनसे इस टुकड़े को बनवा सकूं। जो सरकार एक किलोमीटर सड़क नहीं बना सकती, जो सरकार एक छोटी सी पुलिया नहीं बना सकती, जिस सरकार में इतनी सी क्षमता नहीं वह सरकार किस प्रकार गांवों में जाकर कहेगी कि हमें वोट दो। यह सरकार अन्याय कर सकती है, यह सरकार ज्यादतियां कर सकती है लेकिन सड़क नहीं बना सकती। सड़कें अधूरी पड़ी हैं, वर्षों से बनी हुई सड़कें हैं, चाहे कोटड़ा की सड़क हो, देवला की सड़क हो, ब्यावर शहर से बाहर गांव तक जाने वाली सड़क हो, कितनी ही ऐसी रोड्स हैं जो अधूरी पड़ी हैं जिन पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानवर तक नहीं निकल सकते, पांच पांच साल से उन पर पत्थर पड़े हुए हैं, सड़कों पर गिट्टी डाल दी गई है लेकिन उनको दबाया नहीं जा सका है। एक किलोमीटर सड़क को नहीं बना सकते हैं। टूटी हुई पुलिया को नहीं बना सकते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो फिर जनता के सामने जाकर कैसे वोट हासिल कर सकते हैं। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो सका। यह सरकार तो पूंजीवादी सरकार है। जो पैसा पैदा करते है वह चन्द लोगों के हाथ में जाता है। यह हिन्दुस्तान के 77 घराने हैं जिनके पास करोड़ों, अरबों रुपये की सम्पदा इकट्ठी है। सरकार से वह कर्जा लें उसको वापस चुकाए नहीं। सरकार टैक्स मांगे तो वे दें नहीं, सरकार से पैसा लिया उसको वापस लौटायें नहीं, सरकार उनसे लेना चाहे तो सरकार को दें नहीं और जो प्रोफिट कमाया हजारों, लाखों, करोड़ों रुपया वह सब इनके पास इकट्ठा है। परिणामस्वरूप आज बिड़ला की सम्पत्ति पौने तीन सौ करोड़ से 1076 करोड़ को हो गई और सरकार खोखली हो गई। जो सरकार टूटी पुलिया नहीं बना सकती, सड़क नहीं बना सकती, जहां विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां की स्कूल की छत टूट कर गिरने वाली हो उसके चूना नहीं लगा सकती तो फिर इससे ज्यादा चूना सरकार के भी लगने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, फारेस्ट विभाग की जो डिमाण्ड है उसके बारे में तीन चार कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किए हैं। जो रोड साइड के ऊपर प्लान्टेशन किए गए हैं उनको जीवित रखने के लिए, उनके मेंटीनेन्स के लिए राज्य सरकार को सोचना चाहिए। प्लान्टेशन आप करते हैं उसके बाद में मेंटेन किस तरीके से किया जाय इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा अभी जितना प्लान्टेशन किया गया है, जितने प्लाण्ट उगाए गए हैं उनके लिए जिलेवार नर्सरी नहीं होने से हमारे वहां पर जूनी पत्नावर प्लान्ट्स का वितरण किया गया है जब कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो प्लान्ट लगाए गए हैं वे दिनों दिन मरते जा रहे हैं। इसलिए उनको जीवित रखने के लिए, उनको मेन्टेन करने के लिए प्रोविजन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा जो लकड़ी का कोयला कुछ लोग बनाते हैं उनको

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ट्रांजिट पास के लिए बाहर जाना पड़ता है। यानि सांचौर में कोयला बनाने वाले को जोधपुर आकर ट्रांजिट पास लेना पड़ता है। इससे लोगों को बहुत इन्कन्वीनियेंस होती है। जो ए. सी. एफ. है जालौर जिले में या रेन्जर है उसको ऑथोराइज कर दिया जाय। इससे पैसा तो बहुत थोड़ा वसूल होता है लेकिन लोगों को कठिनाई बहुत होती है। इसके लिये विभाग को सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा जो पुलिस विभाग की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड है उसके बारे में भी चार पांच कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। पुलिस ट्रेनिंग कालेज में जो ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है जो एज लिमिट पार कर चुके हैं। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने की क्या उपयोगिता है। जो योग्य पर्सन हैं, पुलिस की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए जो ट्रेंड लोग हैं उनको पुलिस थानों में तैनात करने की आवश्यकता है। पुलिस थानों में वैसे ही लोग रहते हैं जो आज की आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते हैं। ट्रेनिंग देने में राज्य सरकार का जो दृष्टिकोण है वह उचित नहीं है। ट्रेनिंग देने के बाद भी उनको दफ्तर में बैठाये रखें, जिनसे लोगों का कन्सर्न नहीं पड़ता तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है। आज की यह आवश्यकता है कि पुलिस की जो जिम्मेदारी है, नए ढांचे, सेट अप में पुलिस का क्या दृष्टिकोण हो, उस दृष्टि से उनको ट्रेनिंग देकर जिलों में सदर थानों में एक्टिव सर्विसेज में लगाया जाना चाहिए और थानों में तैनात करना चाहिए ताकि मुकद्दमों के इन्वेस्टीगेशन में अपनी जवाबदारी निभा सकें। आज के टाइम के अनुसार जिस तरह के पुलिस सेट अप की आवश्यकता है उसके आधार पर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, इस बारे में राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा पुलिस की क्राइम ब्रांच के लोग दफ्तर में बैठे हुए ही इन्वेस्टीगेशन करते हैं और किसी मौके पर जाकर जांच नहीं करते हैं। क्राइम ब्रांच का भी ट्रेंड स्टाफ थानों के अन्दर होना चाहिए, ऐसे ट्रेन्ड कर्मचारी वहां पर होने से मदद मिल सकेगी। क्राइम ब्रांच वाले भी दफ्तर में बैठे-बैठे इन्वेस्टीगेशन कर लेते हैं और बाहर मौके पर नहीं जाकर कोरी कागजी कार्यवाही करने से ठीक से इन्वेस्टीगेशन नहीं हो पाता है। इसलिए क्राइम की जांच करने के लिए व्यवस्था के नाते जिलों में किसी तरह एक्टिव पुलिस को मदद देने की दृष्टि से राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा अभी जो पुलिस विभाग का खर्चा बढ़ाया गया है वह आर्म खरीदने में और जीपों को खरीदने में लगाया गया है लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, कांस्टेबल हैं, जो वी. आई. पीज. की ड्यूटी में आर. ए. सी. के जवान, पुलिस के दस्ते घण्टों ड्यूटी पर खड़े रहते हैं उनको कोई अलाउन्स नहीं मिलता है। उन पर कुछ भी खर्चा नहीं करके टी. ए., डी. ए. का पैसा अफसरों पर खर्च कर दिया जाता है, जीपें खरीदने में खर्च किया जाता है यह जो मनोवृत्ति है इसको बदलने की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आवश्यकता है। जो कर्मचारी ज्यादा काम करते हैं, एक्टिव ड्यूटी पर रहते हैं, जो लो पेड कर्मचारी हैं जैसे कांस्टेबल हैं, आर. ए. सी. के जवान हैं, जिनको ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है उनको अलग से अलाउन्स भत्ते वगैरह दिए जाने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि जो बढ़ा हुआ प्रावधान है वह ज्यादातर पुलिस की जीपें खरीदने में, आर्म्स खरीदने में और आफिसर्स के टी. ए., डी. ए. में खर्च किया जाता है वह उपयुक्त नहीं है। जो एक्टिव सर्विस में हैं और ज्यादा काम करते हैं उनको ज्यादा देने की आवश्यकता है। वास्तविक लॉ एण्ड आर्डर को मेंटेन करने में उन्हीं की ज्यादा जिम्मेदारी रहती है और उनको ज्यादा काम करना पड़ता है तो उनको ज्यादा पेमेंट किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा यह जो रोड्स की डिमांड है उसके बारे में भी मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। बाड़मेर से सांचोर तक की जो डिफेन्स रोड है उसकी हालत ठीक नहीं है। इसके बारे में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो मुख्य अभियन्ता हैं मेरे ख्याल से नींद ले रहे हैं, मेरी बात पर ध्यान नहीं पड़ रहा है उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मंत्री महोदय सुन रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : करने वाले तो वे ही लोग हैं। पास में ही गुजरात राज्य की रोड्स की जो हालत है उसको देखते हुए बाड़मेर जिले में जो रोड की हालत है वह संतोषजनक नहीं है। वर्षों पहले यह सड़क बनी थी। मिलिट्री के इधर-उधर आने जाने से टूट-फूट गई है इसलिए रिपेयर करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा यह जो जवाई नदी है, आकोली नदी है और बांडी नदी है, वहां मुख्य अभियन्ता महोदय तो पधारे थे, मंत्री जी ने तो मेरे आग्रह करने के बाद भी इस जिले का मुंह नहीं देखा है, अब जाने की कृपा करें, परन्तु जो वहां पर एक मात्र रोड है, तीन तीन महीने तक रोड बारिश के कारण पानी आ जाने से बन्द रहती है। ट्रेन के अलावा कोई साधन नहीं रहता है। चार चार महीने तक जिला हैड क्वार्टर से सब डिविजन हैड क्वार्टर कट आफ रहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस जिले के महत्व को देखते हुए जो आवागमन का एकमात्र साधन है, उसको देखते हुए आकोली नदी के पुलिया रपट के निर्माण की आवश्यकता पर ध्यान दें। बांडी नदी पर पहले जो रपट बनी थी वह टूट गई है वह वापस बनाई जाय और जेतपुरा पुलिया भी जो आबूरोड से बाड़मेर जाने का एकमात्र साधन है, टूटी हुई है। लोगों की जीपें तक नदी में फंस जाती हैं। अभी छंगाणीजी गए थे उनकी गाड़ी फंस गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनकी गाड़ी तो अभी भी फंसी हुई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस नदी पर एक पुलिया नहीं है इस कारण गाड़ियां फंस जाती हैं, आवागमन का सीधा सम्बन्ध कट

Page No 56

(56)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जाता है ·(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान रख कर इन पुलियाओं को ठीक करावें। अगर पुलिया नहीं बना सकें तो कॉजवे बना कर इस रोड को मेन्टेन करें।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा जिला जालोर में फैमिन के अन्दर पक्की रोड्स बनाई गई थीं लेकिन उनको मेंटीनेंस लिस्ट में नहीं लिया गया है जिससे इन रोड्स का मेंटीनेंस नहीं होता है। जितनी रोड पक्की है वह मेन्टानेंस लिस्ट में नहीं होने से बराबर टूट रही है। इसलिए इस भाकूपुरा—नेनवा रोड के महत्व को देखते हुए इसके लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। यह बेकवर्ड जिला है इसलिए जो रोड फेमिन में बनी हैं, सालों में जो पक्की रोड्स बनाई हैं उनको कम से कम एक बार रिपेयर तो करा दें ताकि आने जाने में सुविधा हो जाये। रिपेयर का बजट इस प्रकार का होना चाहिए ताकि वहां के आवागमन के साधन के रिपेयर के काम हाथ में लिए जायें। उपाध्यक्ष महोदय, रोड्स के बारे में बजट का अलॉटमेण्ट हुआ है, वह पिछले साल जालोर जिले में बहुत कम अलॉट हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बरसात की नदियों के कारण रोड्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जो मेटल रोड्स हैं उनका आप दौरा करें ताकि रिपेयर के लिए मिनिमम पैसा दे सकें। जिले के महत्व को दृष्टि में रखते हुए अधिकाधिक पैसा दें ताकि टूटे हुए पुलों एवं सड़कों को सुरक्षित किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं, उनके बारे में मैं अर्ज करूंगा। वैसे तो माननीय गिरधारीलाल भार्गव ने अभी कहा उसको मैं एण्डोर्स करूंगा मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में भी मैं निवेदन करूंगा हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर हर किस्म की आबोहवा है। हर किस्म का वातावरण है। इत्तिफाक से मैं रूस गया तो मैंने वहां देखा, न वहां परिन्दे हैं, न जानवर हैं। कोई वन सम्पदा वहां नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारा मुल्क जब आजाद हुआ तो 30 हजार शेर थे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 18 सौ टाइगर रह गये हैं। पांच सात टाइगर हमारे राजस्थान के जंगलों में भी हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन है यह राजस्थान की जो सम्पदा है, फोरेस्ट की जो सम्पदा है, उसका प्रोटेक्शन होना जरूरी है। नागवार न हो तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस को नष्ट करने वाले वह नहीं हैं जो गोचर, खेतिहर या शिकार करने वाले लोग हैं बल्कि मेरा खयाल है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वह सेंचुअरी में जाकर शिकार करते हैं। एक दो कलेक्टर की शिकायत हुई थी। मैं इस सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता हूं। मेरा निवेदन है, हमारी जो वन सम्पदा है, फोरेस्ट की जो सम्पदा है, उसकी हम सुरक्षा करें। आज जो फोरेस्ट डेस्ट्राय हो रहे हैं, उसको रोका जाये। आज जो लोकेज हो रहा है, उसको रोका जाये। जितनी पौध आप लगाते हैं, उससे ज्यादा डेस्ट्राय होते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फोरेस्ट की जो सम्पदा है इसके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं वह सुझाव आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
हमारे राजस्थान में यह जो डेजर्ट है, मैं निवेदन करूंगा कि यूरोप एशिया में इसी किस्म के डेजर्ट हैं। इजरायल में डेजर्ट हैं। वहां इस किस्म की स्कीमें हाथ में ली गईं कि डेजर्ट आज सरसब्ज बना हुआ है। तो मैं पूछता हूं राजस्थान में जहां रेगिस्तान में दूर दूर तक दरख्त नजर नहीं आते हैं तो इन मुल्कों के साइंटिस्ट्स से तब्दीले ख्याल करके केमिकल आदि डाल कर दरख्त कायम करें। मैंने जब विधान सभा में एक बार डिबेट हुई थी तो यह सुझाव दिया था संक्षेप में। तो मैं निवेदन करूंगा वन मंत्री महोदय से कि वह जानकारी करायें, दूसरे मुल्कों में डेजर्ट कैसे सरसब्ज किया है। हमने दिल्ली से लेकर जयपुर तक थांवले बना दिये हैं। लाखों रुपया उनमें लगाया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हुआ है? कौन कह सकता है कि हमने कितने दरख्त लगा दिये हैं? जो बबूल के पौधे थे उनको बकरियां खा गई हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक सारे थांवले खाली पड़े हुए हैं। कितना रुपया बरबाद किया गया है? इसके लिए कौन दोषी हैं? आपको मालूम होगा। अधिकारियों ने यह थांवले बनाये हैं। कितना पैसा जाया किया गया है। यह सही है कि हमको योजना पर अमल करना चाहिए लेकिन अमल करने में हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा नष्ट हो जाये, वह नहीं करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि अब प्लान बनायें तो यह देखें कि कितने पानी की जरूरत दरख्त को होगी इसको देखकर आप प्लान बनायें। यहां पर डेजर्ट बढ़ता चला आ रहा है इसके लिए यह जरूरी है कि हम दरख्तों की उपज को बढ़ायें। मैं वन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता था।

अब मुझे पुलिस के बारे में कुछ निवेदन करना है। मुझे कहना पड़ता है कि पुलिस में कुछ तो सुधार हुआ है। लेकिन लोअर लेवल पर जुल्म और तशद्दुद के किस्से वकील होने के नाते सुनता रहता हूं। लेकिन अगर कोई किसी कांस्टेबल, हैड-कान्स्टेबल और थानेदार के खिलाफ कम्प्लेण्ट कायम करे तो वह इतना महकताना खायेगा कि वह आदमी भाग जाएगा। इतना प्रेशर पड़ेगा। मेरे साथी दुर्गालाल बिजली वाले पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अब मुकदमा किया तो यह हुआ कि यह लाठी चार्ज सरकारी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए किया गया इसलिए मुकदमा नहीं हो सकता है। इस बारे में क्या हो सकता है? मैंने एक तरीका सोचा है। केरल मिनिस्ट्री का जब मि. नम्बूदरीपाद ने निर्माण किया था तो उन्होंने इसके लिए यह किया था कि छोटी छोटी एरिया वाइज कमेटियां बना दी थीं जिनको यह अधिकार था कि वे थाने में जाकर इस बात की जानकारी कर सकें कि किसी आदमी के साथ में जुल्म और तशद्दुद हुआ है। वह कमेटी नम्बूदरीपाद की मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद खत्म हो गई। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय एक एडवाइजरी कमेटी बनायें जिसमें होम कमिश्नर साहब हों, आई.जी.पी. साहब हों और एक दो असेम्बली के लोग मौजूद हों, इस प्रकार से उसका निर्माण किया जाय और पुलिस द्वारा टोर्चर की और पुलिस की ज्यादतियों की जो शिकायतें आती हैं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

इस संबंध में जो शिकायतें आवें तो वह कमेटी इस बात को तय करे कि आया वह शिकायतें सही हैं या नहीं। आज होता यह है कि अगर कोई पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को दरख्वास्त देता है तो वह डिप्टी एस.पी. को भेज देता है, डी. एस. पी. उसको इन्स्पेक्टर के पास और इन्स्पेक्टर उसको थानेदार के पास पहुंचा देता है, फिर जाकर के उस व्यक्ति से सम्पर्क होता है जिसकी तरफ से दरख्वास्त आती है। यह ठीक है कि आपने बड़े पैमाने पर सुधार किये हैं, उनको सही तरह से लागू करने की गरज से मैंने निवेदन किया कि इस किस्म की एक कमेटी का निर्माण किया जाय ताकि पुलिस द्वारा जो अत्याचार और ज्यादतियां होती हैं वह रोकी जा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और जनता को जो ज्यादतियों का शिकार होना पड़ रहा है वह रुक जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो चार मिनट में समाप्त करता हूं।

मेरे क्षेत्र में जो जो डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तोपखाना हजूरी में आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी है वहां पर सिपाही रहते हैं। इसके बारे में निवेदन करना है। कई मर्तबा यह होता है कि वहां पर जो सिपाही हैं, और छोटे बड़े आफिसर भी होते हैं, मैं यह नहीं कहता सभी बुरे हैं, कुछ आफिसर अच्छे भी होते हैं, और खासतौर से अच्छे आफिसर भेजे जाते हैं लेकिन वहां पर सिपाही उस एरिया में घुस जाते हैं और शराब पीकर नाजायज हरकतें करते हैं जिससे जनता को शिकायत होती है। इसके बारे में मैंने होम कमिश्नर साहब को भी एक लैटर भेजा था। सिपाही उन दरवाजों से आते हैं, एक बार एक बनिये से उन्होंने सामान खरीदा। उसने पैसे मांगे तो उसको मारा पीटा और चले गये। इसलिए मैंने निवेदन किया कि मेहरबानी करके इस आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी को यहां से शिफ्ट कर दीजिये क्योंकि इसके शहर में रहने से दो दिक्कतें हैं, एक तो नागरिकों को उनसे तकलीफ होती है और दूसरी बात पुलिस आफिसरों की प्रतिष्ठा पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि शहर बीच में आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी कायम करना गलत है। कम से कम मैं यह निवेदन करूंगा कि वह दरवाजे, जो तोपखाना हजूरी की तरफ से खुलते हैं, को आप बन्द कर दीजिये। तीन दरवाजे और हैं जिनमें से होकर वह जा सकते हैं। यह एक छोटी सी बात है जिसके बारे में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने होम कमिश्नर साहब की तवज्जह दिलाई थी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह इसको तय करें। वैसे भी यू. आई. टी. की तरफ से पुलिस को बहुत बड़ा एरिया दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अब मैं दो मिनट सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सड़कें किसी भी आबादी के

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

विकास का सबसे बड़ा जरिया है। मेरे क्षेत्र में ऐसे ऐसे हिस्से हैं जिनको आप देखकर शहर का हिस्सा नहीं मानेंगे। आपको वहां जाकर खड़ा कर दिया जाय तो आप यह अहसास करेंगे कि यह कोई गांव का हिस्सा है। मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदय इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि वह सड़क बने, उसका विकास हो, उसका खर्चा भी जनता बरदाश्त करने को तैयार है लेकिन अधिकारियों का उसमें समर्थन नहीं होने के कारण वह नहीं हो पा रहा है। 60 लाख की स्कीम भी तय हुई थी, मैंने यह सुझाव भी दिया है कि आप इसका पैसा जनता से ले सकते हैं लेकिन वह स्कीम आज भी चीफ टाउन प्लानर के आफिस में पड़ी हुई है और जंग खा रही है। यह महकमा हम पर लाद दिया गया है, न तो इसकी कोई जरूरत है और न इसमें कोई काम ही है सिवाय इसके कि जो काम होने चाहियें उनमें वह रुकावट पैदा करें। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की जो निर्धारित नीति है और वह जिस इन्टेन्शन के साथ काम कर रही है तो उसको अधिकारियों पर यह बन्दिश लगानी चाहिए कि वह सारे काम को एक टाइम लिमिट में पूरा कर दें। मंत्री महोदय ने कहा कि 15 दिनों में दे दीजिये लेकिन इसके बावजूद भी डेढ़ महीना हो गया

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन कठिनाइयों की तरफ ध्यान दें इन कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा करें और एक अवधि के अन्दर उसको पूरा करने की कोशिश करें ताकि हम अपने आगे का रास्ता बना सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शान्तिलाल कोठारी!

श्री शान्तिलाल कोठारी (सिरोही) : Mr. Deputy Speaker, Sir, The hon. Members on the opposition have been referring to the recent election results, linking them with rejection of the Congress programme. It is not true. People have not rejected the Congress party programme for upliftment of masses of all sections. What they have rejected is the unfortunate leadership in the Rajasthan Congress Legislature Party lock, stock and barrel. In order to make it an instrument of service, it is necessary that the present leadership of the Rajasthan Legislature Congress Party must resign.

I have warned time and again in the past on the floor of the House and in the party meetings of the deepening degeneration of basic norms of public life in the Congress Party, more particularly, in those who are assigned important Government positions. I have also warned of political and economic corruption, perpetrated so widely due to loss of character in public life.

The recent mandate, which has gone against us massively, must be understood not only for intros-

(श्री शान्तिलाल कोठारी)

pection, for which there is no time, but for quickly getting out of positions of power, that would save Congress Party and help restore the confidence of the people. Consequently, I did not attend the last session completely, for the simple reason that I could not have become a party to the ratification of that amendment of the Constitution. I told the leadership here as well as at the Centre of the dire damages consequent to the passage of such an amendment. I have also endeavoured my best to insist upon the leadership to remove Emergency much before elections and to release public leaders who were jailed. We in the process had affected out reputation and had unfortunately begun to follow the decisions of the Party most blindly. Now that leadership, which has made the Congress Party captive, must be removed so that genuine Congressism can yet get a chance to rehabilitate.

What we need is complete overhaul and surgery. The contemporary politics in India, and more particularly in Rajasthan, has gone beyond party politics where game of numbers used to be played. It has assumed dimensions of nation's polity and society, where first and foremost need is recovering the norms of public life. Rajasthan Congress must stop playing the number game. I and a large number of friends have been privately this concern for a long time and, more particularly, after elections.

Corrupt men, whatever positions they may be occupying, must be dealt with severely by the Party before they are dealt with more severely by the polls, and by the arbiters of Commissions of Enquiries. I still hope, though over-optimistically, that lame excuses and half truths would not govern their public pronouncements.

श्री उपाध्यक्ष : Please speak in Hindi so that everyone may understand.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह कह रहे हैं कि हिन्दी में बोलिये जिससे लोग समझ सकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हिन्दी तो हो चुकी, बहुत अच्छी अब तो अंग्रेजी में बोलने दीजिये।

श्री शान्तिलाल कोठारी : The people are watching very very carefully as watchdogs. We are on trial before the court of the people. Let us face them. Thank you.

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 313, मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

और मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 337–इन तीनों मांगों के अन्दर मोटी-मोटी रकमें सप्लस ग्रान्ट के रूप में राज्य सरकार ने इस सदन के अन्दर विचारार्थ पेश की हैं। किस किस काम के लिए कितनी कितनी रकम क्यों मांगी गई है इसका कोई विवेचन इसमें नहीं किया गया है। इसलिए एक जनरल डिस्कशन इन तीनों बहुत अहम मांगों पर चल रहा है। सबसे अहम मांग मांग संख्या 9 है जो वन के सम्बन्ध में है। बीस सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ, उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको गति देने के लिए काम चालू हुआ, उसी समय पांच सूत्री कार्यक्रम भी शुरू हुआ बीस सूत्री कार्यक्रम को कांग्रेस के ईमानदार लोग अपनी पूरी ताकत के साथ जब इम्प्लीमेन्ट करने में जुट गये तो उस आर्थिक प्रोग्राम के मुकाबले के अन्दर एक और सुधारवादी प्रोग्राम जो स्वामी दयानन्द के समय से चलता आ रहा था जनता के सामने रखा गया। मुझे खेद नहीं होता अगर उसको ईमानदारी से अदा किया जाता। उसमें दो मुख्य प्रोग्राम थे, एक तो वनों का विकास और दूसरा दहेज प्रथा का उन्मूलन। एक वन विभाग से सम्बन्धित है और दूसरा पुलिस विभाग से सम्बन्धित है। दहेज प्रथा के अन्दर किस प्रकार के निकृष्ट और क्रूर अत्याचार के शिकार गंगानगर जिले में हुए उसकी बेन-जीर मिसाल मैं इस सदन में पेश करूंगा जिसमें पुलिस ने सारे देश के अन्दर दहेज की दुहाई दी। सुलोचना नाम की एक लड़की को जिन्दा जला दिया गया लेकिन पुलिस विभाग ने कातिल को गिरफ्तार भी नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले वन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। वन देश की संपदा है, विकास का एक बहुत बड़ा साधन है। वन देश की उन्नति के लिए बहुत इम्पार्टेंट आइटम है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वन लगाने के नाम पर वनों का ह्रास किया गया। सूरतगढ़ फार्म में जब संजय गांधी का 'वन लगाओ' प्रोग्राम पूरी प्रचंडता से चल रहा था तो रात में ही निर्ममता से पेड़ काट दिए गए। मैंने माननीय सिंचाई मंत्री श्री देवपुरा व वन मंत्री को पत्र लिखे, मैंने पर्सनल मीटिंग करके उनका ध्यान आकर्षित किया कि लाखों पेड़ सूरतगढ़ फार्म पर दिन दहाड़े काटे जा रहे हैं दूसरी तरफ आप जंगल लगाने की बात कर रहे हैं। इस सूरत-गढ़ फार्म को आज डेढ़ा पानी देते हैं, यह आपकी प्रापर्टी है, सूरतगढ़ फार्म नहरों को जगह जगह काट लेता है और किसान को सिंचाई नहीं करने देता। इस तरह दो लाख पेड़ों का नाश किया गया। जब वन लगाने की बात चली तो गंगानगर के किसान में भय पैदा किया कि अध्यादेश आने वाला है और किसान का भय बढ़ने लगा कि लकड़ी नहीं मिलने वाली है। सारा राजस्थान जानता है कि नहरी क्षेत्र का किसान अगर एक पेड़ काटता है तो 10 पेड़ लगाता है, रात दिन पेड़ लगाने में किसान जुट गये फिर भी हर प्रकार के अत्याचार, झूठे मुकदमें किसान को सहने पड़े। इस प्रकार गंगानगर की बहुत वन संपदा बजाय बढ़ने के नष्ट हो गई।

तीसरी बात, एक आदेश जारी हुआ कि धोक नहीं काटा जा सकता, लाना नहीं काटा जा सकता। कौनसी इसकी छाया

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

होती है ? गंगानगर जिले में खुद बीकानेर शहर में लकड़ी की कीमत 75 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। गन्ना 12) रुपये प्रति क्विंटल बिक गया। 13.75) रुपये क्विंटल की मांग गंगानगर के किसान ने की, 75 पैसे की वृद्धि 10 दिन मिल बंद होने के बाद वित्त मंत्री द्वारा स्वीकृत की गई। 75 पैसे गंगानगर के किसानों को रो-रो कर दिए गए और 65) रुपये प्रति क्विंटल लकड़ी खुले आम बाजारों में बिकती रही। मुर्दों को जलाने के लिए भी लकड़ी उपलब्ध नहीं हो सकी। यह वन लगाने के नाम पर हुआ। हमने 20 सूत्री कार्यक्रम कमेटी की मीटिंग में कहा कि 3 विभाग वन लगाते हैं पी. डब्ल्यू. डी. अपने इलाके में लगाता है, नहरी विभाग और वन विभाग भी अलग से पेड़ लगाते हैं। इन तीनों विभागों का कोई तालमेल नहीं, कोई आपस में इनकी मीटिंग नहीं होती। कोई यूनाइटेड प्रोग्राम तो ओरिजिनेट कीजिएगा। पी. डब्ल्यू. डी. के पास कौनसा पानी उपलब्ध होता है ? वन विभाग को कौनसी साईन्टिफिक इन्फार्मेशन है। सारे का सारा काम आप सिंचाई विभाग के नीचे दीजिए। सारे पानी का कन्ट्रोल उसके पास है। अगर जगह जगह वन लगेंगे तो कन्ट्रोल्ड तरीके से पानी भी देना पड़ेगा। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप हजारों पेड़ जो पी.डब्ल्यू.डी. ने लगाए, वे मर गए, सड़ गए। उनको भेड़ बकरी खा गईं।

अब मैं आदिवासी क्षेत्र के लिए कहना चाहता हूं। जो भयंकर अत्याचार वन विभाग ने आदिवासी क्षेत्र में लोगों के साथ किया, वह बताऊंगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में जो अत्याचार किया गया उसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलेगी। वन विभाग के लोगों को धारा 91 में अधिकार दिए गए। जिस जमीन पर 30-30 साल से गरीब आदिवासियों का कब्जा था, वह अपना हल चला रहे थे, उन पर वन विभाग ने मुकदमे बनाए और आदिवासियों की निर्मम पिटाई की गई। क्या मछलियों के पानी पीने से समुद्र का पानी समाप्त हो सकता है ? क्या आदिवासी वन का शत्रु है ? वह तेंदू के पत्ते, लकड़ी से अपना जीवन निर्वाह करता है उस पर आपने इतनी भयंकर रोक लगा दी। आपने मुकदमे बनाए और सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर वन विभाग के अधिकारियों ने किया। आपने कान्ट्रेक्ट सिस्टम पर वन देने शुरू कर दिए और ठेकेदार लूट कर वन खा गए, सारे वन काट लिए और सरकार को एक्सचेंज में कुछ नहीं दिया। ये इस विभाग की ज्यादतियां हैं। वन लग जाते तो अच्छी बात थी। उसका कोई वैज्ञानिक तरीका होता है।

आखिर लिफ्ट इरिगेशन के बारे में बहुत वादविवाद चला है। चेयरमैन कंवर सेन ने बाकायदा एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं है। राजस्थान का जो 60 प्रतिशत डेजर्ट है वह दुनियां का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र बन सकता है बशर्ते कि कालोनाइजेशन और सारे एरिया को डेवलप करने का साईन्टिफिक तरीका हमारे सामने हो। जिस पानी की हम कल्पना करते हैं, 200—300) रु. पर बीघा से इरिगेशन चार्जेज 1200) रु. होंगे। मेरा निवेदन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है दुनियां में सबसे बड़ा एनीमल हस्बैंड्री केन्द्र हम राजस्थान में डवलप कर सकते हैं। मैंने स्वयं ईस्ट जर्मनी में जाकर इस बात का अध्ययन किया। आर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं गया था, किसान आर्गेनाजेशन की तरफ से विशेष रूप से जि‍स प्रकार से उन्होंने अपने पास्चर लैंड्स और वनों को डवलप किया है, एनीमल हस्बैंड्री को डवलप किया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। अभी माननीय सदस्य नोमेडिक लोगों के लिए कह रहे थे। अगर हम एक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रीएट करके वन और पास्चर लैंड को डवलप करें तो 60 प्रतिशत राजस्थान का रेगिस्तान विकसित होकर विश्व में अपना निश्चित स्थान बना सकता है।

अब पुलिस विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मुख्य रूप से मैंने 5 प्रकार के कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिए हैं। जिस प्रकार से अनिवार्य रूप से लोगों को रिटायर किया गया एक तो इस सम्बन्ध में है। मैं पिछले बजट सत्र में अपने कटौती प्रस्तावों के जरिए इसी सदन में बोला था, वह सदन के रिकार्ड में, प्रोसीडिंग्स में मौजूद है। उस समय 40–50 थानेदारों के रिटायरमेंट के केसेज भी मैंने सदन में रखे थे। उनमें जिनको सबसे ज्यादा मेरिट सर्टीफिकेट्स मिले थे और जिन पर सबसे कम चार्जेज थे उनको रिटायर किया गया। जिन एस.एच.ओज. के खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप थे उनको अनिवार्य रूप से रिटायर नहीं किया गया। इसी प्रकार की स्थिति इन्सपेक्टर्स और हैड कान्स्टेबल्स के सम्बन्ध में भी है। मैं गृह मंत्री को चैलेंज करके कहता हूं कि जितने कान्स्टेबल्स, हैड कॉन्स्टेबल्स, इन्सपेक्टर्स और पुलिस अधिकारी रिटायर किए गए, उनमें से 60 प्रतिशत विंडिक्टिव तरीके से रिटायर किए गए हैं, उनका री-इन्वेस्टीगेशन किया जाय तो अलार्मिंग रिपोर्ट्स सामने आयेंगी। इसका कारण था कि या तो उन्होंने अपने सुपीरियर अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी, पैसा नहीं दिया, एस.पी., आई.जी.पी. और डी.आई.जी. को प्रसन्न नहीं किया या कोई अन्य कारण रहे जिनके कारण उनको रिटायर किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा चैलेन्ज है, अगर आप इस सदन की एक कमेटी उन केसेज के रिव्यू के लिये बैठायें तो आपको उसके आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में कई बार एक सब इन्सपेक्टर श्री प्रेमचन्द अग्रवाल के काले कारनामों के बारे में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से और कटमोशन के जरिये सदन में वर्णन किया है। इसी प्रेमचन्द अग्रवाल सब इन्सपेक्टर ने एक संतोष नाम की हरिजन बालिका की हत्या कर दी थी। जब लोग इसके बारे में एफ. आई. आर. लिखाने गये तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इसी प्रेमचन्द थानेदार ने तीन महीने तक उस केस की एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं उस केस का उस थानेदार ने डुप्लीकेट रिकार्ड बना डाला। इसकी बाद में जांच हुई और जयपुर से आदेश होने पर स्वयं डी. आई.जी. पी., श्री बजरंग लाल शर्मा ने उसकी जांच की। उनको सस्पेन्ड किया लेकिन उससे क्या होता है कुछ भी कार्य-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
वाही उसके खिलाफ में आज तक नहीं हो सकी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं आपको मैं दूसरा एक केस और दहेज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। एक चन्दूलाल नाम के व्यक्ति की लड़की श्रीमती सुलोचना को दहेज के पांच हजार रुपये नहीं दिये जाने के कारण हत्या कर दी गयी। यह पीलीबंगा का केस है। सुलोचना के बाप द्वारा पांच हजार रुपये टीके के नहीं देने के कारण उस लड़की सुलोचना को जिन्दा जलाया गया। यह वारदात 11-9-76 को है। पहले तो उसको बहुत ही निर्ममता से पीटा और उसके बाद में उसको जिन्दा जलाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, सुलोचना के पेट में आठ महीने का गर्भ था, वह भी साथ जिन्दा जल गया। पहले तो सुलोचना को पीटा गया, बाद में उसके सभी जेवर उतार लिये गये और फिर उसको निर्ममता से पीटकर सिर्फ पांच हजार रुपये के लिये उसकी जान ले ली। उपाध्यक्ष महोदय, उस लड़की को पीलीबंगा अस्पताल में ले गये लेकिन वहां पर इलाज नहीं हुआ। उसकी हालत गिरती रही और बाद में उसे बीकानेर ले गये। वहां पर उसने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने अपने डाईंग डिक्लेरेशन में यह कहा कि उसके साथ क्या वारदात हुई। पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं। इस तरह सुलोचना का हत्याकाण्ड हुआ था जो कि पूरे हिन्दुस्तान में अखबारों में छपा था। आपने भी शायद हमारे ब्लिटज अखबार में उस केस को पढ़ा होगा। उसमें तो यह कह दिया कि इनमें डाईंग डिक्लेरेशन मरने वाले का नहीं था पर इस चन्दूलाल की लड़की के मामले में तो स्वयं श्री चन्दूलाल ने वहां पर जो समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्षा श्रीमती अविनाश हांडा हैं उनको बताया मैंने उसका उल्लेख कई बार सदन में किया और मुख्य मंत्री जी को बार-बार निवेदन किया, गृह मंत्रीजी को बताया लेकिन वहां के बदमाश लोगों ने इस केस को पूरी तरह दबाने की कोशिश की। इतना ही नहीं उस लड़की के बाप और चाचा को वहां के गुन्डे अनोपसिंह और उसकी पार्टी वालों ने बन्दूक की नोक पर जान से मारने की धमकी देकर उनसे लिखवा लिया कि हमारी बेटी की हत्या नहीं हुई। मैंने खुद ने वहां पर ए. एस. पी. को पूरी तरह से सिचुएशन से अवगत कराया और बताया कि किस तरह अनोपसिंह और गुन्डे लोगों ने लड़की के बाप और चाचा को बन्दूक की नोक पर भयभीत किया....

श्री ओंकारलाल चौहान : आप यह जब रेग्यूलर बजट पेश हो तब बयान कर देना।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उसके बाद में उन्हें ले जाकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने उन लोगों से मैंने एफीडेविट दिलाया कि किस प्रकार गुन्डों ने उनसे बन्दूक की नोक पर हत्यारे के फेवर में बयान देने के लिये मजबूर किया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, वह हत्यारे अरेस्ट नहीं हुए। तो इस प्रकार के केसेज प्रेमचन्द थानेदार द्वारा हो, जिसके बारे में मैंने बीसों दफा निवेदन किया उसके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
बाद आपने सस्पेन्ड कर दिया तो क्या हुआ। इसी प्रकार डींगा हरिजन बालिका के साथ अत्याचार हुआ, सरगना डकैती काण्ड को दवाया गया। स्वयं डी. आई.जी. ने 12 चार्जेज में से सात चार्जेज को माना पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई हत्याकाण्ड हुए हैं। पर वह पुलिस आफिसर अभी तक पुलिस में ही है।

आपको बाकी केसेस तो वर्णन नहीं करूंगा पर अब थोड़ा सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में, जिस पर भी मैंने कट मोशन रखे हैं, एक दो बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गंगानगर जिले की सड़कों की हालत खराब है। सभी जापा रोड्स की मरम्मत कराना बहुत ही आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 'जापा रोड' नाम लिया उसका कारण है वैसे तो जापा कहते हैं डिलीवरी को पर आज उन रोड्स की यह हालत है कि वह बुरी तरह से सैंकड़ों जगह टूटी हुई हैं। दस-दस, पन्द्रह वर्ष हो गये हैं पर उनकी कोई मरम्मत आज तक नहीं हुई। कई बार इन जापा रोड्स पर जब औरतें प्रेगनेन्सी पीरियड में बसेज में यात्रा करती हैं तो बीच में ही उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों के रोने की आवाज आपको उनमें सुनाई दे जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बोर्डर एरिया है इसलिए उन रोड्स की हालत इस तरह रहना हमारे देश के लिए हितकर नहीं है। आप उनकी हालत सुधारिये। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल डिफेन्स डिपार्टमेन्ट्स से करोड़ों रुपये मिलते हैं पर इन रोड्स की हालत सुधरती नहीं है और करोड़ों रुपयों का गबन हो जाता है। मैंने कई बार निवेदन किया। अभी भी 29 करोड़ रुपये का प्रावधान डिफेन्स मिनिस्ट्री ने बोर्डर रोड्स की मरम्मत के लिये रखा है लेकिन कोई मरम्मत इन जापा रोड्स की नहीं हो रही है। जब जब भारत-पाकिस्तान की लड़ाई हुई चाहे 1965 में चाहे 1970 में इन गंगानगर की रोड्स को टैन्कों से बुरी तरह रोन्दा गया है और वह मीलों तक टूटी हुई हैं। इसमें सूरतगढ़ से जैतसर ले लें, अनूपगढ़ से रायसिंहनगर ले लें यह सभी सड़कें, सूरतगढ़ के आसपास की सड़कें टूटी हुई हैं। साथियस प्रेगनेन्सी के केसेज में औरतें मर गयी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यह जो सारा का सारा इलाका है, जो कि घग्घर नदी के आस पास का है, इस एरिया में तो सड़कों के बिना ऐसी हालत खराब हो जाती है कि लोगों का आना जाना बन्द हो जाता है। घग्घर में बाढ़ आने से सारा गंगानगर का जिला हिन्दुस्तान से कट आफ हो जाता है और पाकिस्तान से मिल जाता है। आस पास का सारा इलाका आपस में कई जगह कनेक्ट नहीं रहता है। तीन महीने तक पूरा गंगानगर जिला सारे देश से कट आफ हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको चाहिये आप गंगानगर जिले की रोड्स को ठीक कराने के लिये फर्स्ट प्रायोरिटी दें। वरना आज तो यह रहा है कि जहां भी रोड्स टूटी हैं दस पांच जगह से पैचेज लगा कर बाकी पैसा यह पी.डब्ल्यू.डी.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वाले खा जाते हैं। आपको चाहिये कि जितने भी गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं इन गांवों को लिन्क रोड बनाकर एक दूसरे से लिन्क कीजिये। वरना मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि केन्द्र में आपके हाथ से सत्ता निकल गयी है, डिफेन्स मिनिस्टर दूसरे आ गये, फोरिन मिनिस्टर दूसरे आ गये हैं, और उनके संबंध आपके उन समाजवादी देशों के साथ अच्छे नहीं रहेंगे जैसे कि पहले थे, जिन बलिष्ठ देशों ने आपकी मदद की थी उनकी नीति में परिवर्तन आ सकता है। अब वह समय आ गया है इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि समय रहते आप इन बोर्डर रोड्स को अच्छी हालत में करा कर, सीमावर्ती जिले में रोड्स बनाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित कीजिये। यही मेरा राजस्थान में राज्य करने वालों से निवेदन है कि बोर्डर सिक्योरिटी को गम्भीरता से लें और रोड्स की हालत सुधारने के लिये तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटमोशन दिया था वह तो आया नहीं है और दूसरा ही कट मोशन मेरे नाम से आ गया है। मैंने तो वह कट मोशन दिया था अलवर जिला प्रशासन द्वारा जिले की जंगलात भूमि को रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट द्वारा तब्दील करने में सरकार की असफलता के बारे में।

एक माननीय सदस्य : आप दोनों पर ही कार्यवाही करने के लिये कह दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेष तौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने इसके बारे में विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था प्रश्न संख्या 74, उसके उत्तर में राज्य सरकार ने यह कहा था कि दिनांक 6-12-74, 4-12-76 और 3-3-76 को 100 बीघा जंगलात की भूमि को बदला गया। दूसरे प्रश्न के जवाब में यह कहा कि यह राज्य सरकार के विचाराधीन है। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी तक उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आश्वासन दे दिया फिर भी कुछ कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि अलवर जिले की जंगलात की भूमि को, जिसके बारे में मैंने सदन में प्रश्न किया था और सरकार ने आश्वासन भी दे दिया था, तुरन्त बदलने की कार्यवाही की जाये।

दूसरा जो कटमोशन है, अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति में सड़कों की मरम्मत कराने तथा नई सड़कें बनवाने के बारे में जो कि मैंने नहीं दिया था पर पता नहीं कैसे आ गया उसके लिये भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पी. डब्ल्यू. डी मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भी पूरी कार्यवाही करें। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय पी. डब्ल्यू. डी. जो हैं वह सारी स्थिति से वाकिफ हैं उन्हें पूरी जानकारी है। इसलिये मैं अधिक नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी सड़कों की मरम्मत को जाय व नई सड़कें बनाई

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
जाय। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे कट मोशन मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री जीवित।

(अनुपस्थित)

श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रतीराम यादव।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री रामलाल (बाड़ी)।

श्री रामलाल (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। पहला वन संपदा के सम्बन्ध में, दूसरा सड़कों और पुलियाओं के सम्बन्ध में और तीसरा पुलिस के सम्बन्ध में।

सबसे पहले मैं वन के विषय में निवेदन करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का नारा दिया गया और अधिक पेड़ लगाये गये लेकिन ऐसी जगहों पर पेड़ लगा दिये कि चार-चार पांच-पांच मील पर पानी तक नहीं। जो पेड़ लगाये उनका क्या हाल हुआ वह देखकर उचित कार्यवाही करें।

इलेक्शन के पहले यह बात कही गयी थी कि जंगलात में जो जमीन आ गयी है उसकी फसल को कुर्क करेंगे। यह कह कर काफी पैसे वाले थे उनसे पैसा ले लिया। गरीब आदमी को यह कहा कि यदि कांग्रेस को वोट दोगे तो सारी फसल कुर्क कर देंगे और यदि जनता पार्टी को दोगे तो नहीं करेंगे। यदि यह बात सही नहीं है तो सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा नहीं करने देंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : नाम बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : वोट तो दे दिये अब क्या है?

(2.05 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

श्री रामलाल : पुलिस विभाग के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें स्टाफ बहुत बढ़ गया है। बागरी सम्मेलन किया था फिर भी डकैतों की समस्या है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कमी करायी लेकिन फिर बढ़ गयी। पोस्टें कई जगह कायम कर रखी थीं वह हटा दी गयी हैं इस कारण भी दिक्कतें पैदा हो गयी हैं इसलिये वापस

(श्री रामलाल)

उसको बहाल किया जाय। पहाड़ी इलाकों में ठेकेदार मजदूरों से काम कराते हैं। मजदूरों को वे लोग मार मार कर भगा देते हैं उनका शोषण करते हैं। इस बारे में आपको कुछ करना चाहिये।

कुछ लोग ऐसे हैं जो हराम का खाना चाहते हैं काम नहीं करना चाहते। कई लोग बदमाशों के खिलाफ दरख्वास्तें देते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। एक्शन कुछ नहीं होता है। सरमथुरा गांव है। वहां दो नामी बदमाश थे। एक तो ठाकुर की बन्दूक लेकर भाग गया और दूसरा एक लड़की को लेकर भाग गया। एक का नाम बुद्धा और दूसरा का नाम सांवना है। रिपोर्ट पुलिस बसेरा में की थी। वह लड़की तो कोर्ट ने सुसराल वालों को दे दी। उस लड़की को उसके घर से पकड़ कर ले आये और उसका भाई बन्दूक लेकर भाग गया। पैसे के लालच में पुलिस को ऐसा काम नहीं करना चाहिये, ऐसे बदमाश आदमियों की मदद नहीं करनी चाहिये। डकैतों की समस्या दिन व दिन बढ़ रही है इसलिये मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में व्यवस्था करें।

अब पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। धौलपुर के आगे पुलियों की कमी है। वह नेशनल हाई वे है। आगे करौली होकर सीधा मध्य भारत को रास्ता जाता है। तीन चार पुलियाओं पर काम कराया। यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है मध्य भारत जाने के लिये, इसलिये आप मेहरबानी करके पुलियाओं को पूरा बनवा दीजिये।

कुछ हमारे यहां थोड़ी बहुत सड़कें हैं उनकी ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। इधर से और उधर से आने जाने में सवारी को बहुत परेशानी होती है क्योंकि अभाव है सड़कों का। किशनगढ़ में सवारी का साधन चल रहा है तो वहां सड़क ठीक कराने की आवश्यकता है। जंगल में बस का टायर बर्स्ट हो जाता है तो वह खराब हो जाती है। इसलिए इन सड़कों की मरम्मत कराई जानी चाहिए। हमारे यहां तीन पुल हैं और इन तीनों पुलों के लिए पैसे की जरूर जरूरत होगी मगर इन तीनों नदियों पर पुल बन जायें तो हमारा संबंध सीधा मध्य प्रदेश से हो सकता है। कई सड़कें ऐसी हैं जैसे धौलपुर से बाड़ी-बसेड़ी होती हुई भरतपुर सड़क है उस पर एक पुल बना हुआ है लेकिन वह टूट गया है और इससे भरतपुर आने जाने का रास्ता बरसात के दिनों में बन्द हो जाता है और आगरा होकर आना पड़ता है। उस पुल को भी बनाया जाये। मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय सभापति जी, मेरे दो डिमाण्ड पर कटमोशन हैं। मैंने जो कटमोशन दिये हैं उनके सम्बन्ध में दो चार बातें कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग के ऊपर और रोड्स के ऊपर मेरे दो कटमोशन हैं। वैसे तो पुलिस का करेक्टर वैसा ही होता है जैसा कि गवर्नमेन्ट का क्लास कलेक्टर होता है। इसलिए मैं उसके ऊपर इधर उधर की बात कहूं या लांछित करूं यह कोई शोभास्पद बात नहीं होगी, लो हम क्योंकि पुलिस का विभाग

(श्री मोहरसिंह)

जनरक्षा का विभाग कहलाता है अगर वह कहीं भक्षक का काम करने लग जायें तो उसे चेताना, मार्ग पर लाना और सही रास्ता बताना आवश्यक हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर पुलिस का महकमा खास तौर से बिगत 20-21 महीनों में दमन, आतंक और घृणा का प्रतीक रहा है। जहां तक इमर्जेंसी के समय का सवाल है पुलिस ने शानदार काम नहीं किया। जनता को पुलिस के खिलाफ जगह जगह से शिकायतें मिलती ही रही हैं। यहां सदन के अन्दर भी बहुत सी बातें बताई गईं पुलिस के बारे में। मैं भी काफी बातें बतला सकता हूं लेकिन विषयान्तर में नहीं होना चाहता और समय की भी मैं बचत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जबरन परिवार नियोजन का सवाल आया उसमें पुलिस ने जो कार्य किया वह बड़ा घृणास्पद था। लोगों को खेतों के अन्दर काम करते हुए जब रैवेन्यू के तहसीलदारों ने जबरदस्ती पकड़ा तब पुलिस ने उनकी मदद की और बुरी तरह से उन लोगों को पीट पीट कर मोटरों में डालकर जबरन परिवार नियोजन कराया। इसलिए पुलिस का जो रक्षक का काम था उसके बजाय उसने भक्षक का काम किया।

इसी तरह से चाहे डाकुओं का सवाल हो और चाहे चोरियों के सवाल हों पुलिस को जो अपना फर्ज का अन्जाम देना चाहिए वह नहीं दे रही है और विगत महीनों में तो पुलिस अपने फर्ज से बिलकुल ही मुस्तसना रही। मैं अपनी राइसर तहसील के बारे में कह सकता हूं। कुछ ही वर्षों में वहां काफी कत्ल हुए, डाके भी पड़े और चोरियां भी हुईं लेकिन पुलिस ने अपने फर्ज का अन्जाम नहीं दिया। जैसा कि आपको भी मालूम है कि कांग्रेस की तरफ से चुने हुए एम.एल.ए. श्रीराम को मार दिया गया उसके बावजूद भी किसी आदमी को कोई सजा नहीं हुई। या तो मैं यह समझता हूं कि पुलिस है ही नहीं और अगर है तो ऊपर से उसको संरक्षण इस प्रकार का है कि कातिल को मत पकड़ो चाहे कितने ही कत्ल हों या डाके पड़ें। इसके लिए सारी बातें बतलाने की आवश्यकता नहीं है, इतना समय भी नहीं है लेकिन जगह-जगह से शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस अपने फर्ज का सही अन्जाम नहीं दे रही है। डाके, कत्ल और चोरियां आदि के लिए या तो पहले साजिश हो जाती है मिलकर नहीं तो इसमें पुलिस की अकर्मण्यता जरूर रहती है।

माननीय सभापति महोदय, एक मामला मुझे सीकर का याद आया। मैं कामरेड त्रिलोकसिंह जी के चुनाव के काम के लिए रींगस आया हुआ था। वहां पर मुझे पता लगा कि आज कामरेड त्रिलोकसिंह के चुनाव आफिस पर हमला किया गया जो कि वहां छात्रावास की एक कोठरी में था। वहां पर बोर्डिंग के लड़कों के ऊपर लाठी चार्ज किया और मुझे पता लगा कि 48 लड़कों को पकड़ लिया गया। क्या मामला हुआ इसके बारे में मालूम हुआ कि एक होटल के पास लगे हुए लाल झण्डे को उतारा गया। कामरेड त्रिलोकसिंह के भाई हरदयालसिंह और बालूराम कल्याणसिंह सर्किल इन्सपेक्टर के पास गये और उन्होंने पूछा कि यहां हमारा

(श्री मोहरसिंह)

झण्डा लगा हुआ था, आज नहीं है, वह किसने उतारा? आपस में बातें हुई तो थोड़ी गरमागरमी भी हुई और होना स्वाभाविक भी है। वे यहां से चल दिये। इधर सादी वर्दी में पुलिस का डी. एस. पी. बैठा हुआ था और उसी होटल में किशन मोदी, जो कि कांग्रेस के केन्डीडेट थे, का लड़का भी बैठा हुआ था। मालूराम और कामरेड त्रिलोकसिंह का भाई हरदयालसिंह स्कूटर पर थे। उन्होंने पीछे से आकर उनके आगे जीप लगा दी और पकड़ लिया। हरदयाल सिंह थोड़ा शरीर में कमजोर था और डी.एस.पी. ने उनको दबाया। उसने आवाज लगाई। इधर बोर्डिंग के लड़कों ने कहा कि सादी वर्दी में यह डी. एस. पी. यहां क्यों आया। कोई मुकदमा नहीं। वह डी. एस. पी. उस समय शराब के नशे में था। उसको वहां से ले जाकर बोर्डिंग के कमरे में पकड़ कर बैठा दिया। उस समय लड़कों ने यह सोचा कि हम कलेक्टर को जाकर कहेंगे कि तुमने ऐसे आफिसर्स को अपने यहां रखा हुआ है। इतने में होटल के पास से अफसरों की आवाज आई. साथ ही पुलिस वाले भी वहां आ चुके थे। लड़कों में भगदड़ मच गयी। कलेक्टर ने लड़कों को बुलाया। 350-400 आर. ए. सी. के लोगों ने बोर्डिंग को घेर लिया। रेला साहब एस. पी. ने व्हिसल बजाई। डी. एस. पी. कमरे में बन्द था जिसके लिए लड़के कलेक्टर के पास कहने के लिए गये थे। आर. ए. सी. वालों ने सोचा कि लड़कों का बोल है तो उसको पीटना शुरू किया। उसने काफी कहा कि मैं तो डी. एस. पी. हूं मगर आर. ए. सी. वालों ने कहा कि नहीं तुम डी. एस. पी. नहीं बल्कि बदमाश हो। उस समय 48 लड़कों को पकड़ा गया और उन सबको एक छोटी सी कोठरी में कोतवाली में बन्द कर दिया गया। मैं पहुंचा तो कलेक्टर साहब को मैंने कहा कि श्रीमानजी, मैं भूख हड़ताल करूंगा वरना आप इस केस को निपटाओ। जो अन्याय किया है, बोर्डिंग के दरवाजे तोड़ दिये, जगह जगह और सामान लूट कर ले गए, चुनाव आफिस से झण्डों और दूसरी चीजों को उठाकर ले गए, वहां से पतली-पतली लकड़ियां जो झंडों के लगाने की थीं उन तक को ले गए। मैंने कहा कि आपको चुनाव के दिनों में इस प्रकार की बाधायें उपस्थित नहीं होने देनी चाहिए थीं। पुलिस के अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिए और जो चीजें उठाकर ले गये हैं वह उनको वापिस दें। कलेक्टर साहब कहने लगे, मोहरसिंह जी यह चुनावों का काम है और आप संजीदा आदमी हैं आप भूख हड़ताल मत करो हम लड़कों को छुड़वाते हैं। इससे पहले दिन जमानत और मुचलकों पर और उस दिन जाति मुचलकों पर लड़कों को छोड़ा गया। आज उनके ऊपर 151, 107 के मुकदमें चल रहे हैं। वह परीक्षा देंगे या अपने मुकदमों की पेशी पर जायेंगे? इतना ही नहीं मुझे बाद में पता लगा कि 5 लड़कों के ऊपर जिनमें त्रिलोकसिंहजी का इलेक्शन एजेन्ट भी है और एक स्टूडेन्ट फेडरेशन का लड़का है किशन, जितने भी भारतीय फौजदारी के दफात मिल सकते थे हमारी सरकार ने वायदा खिलाफी करके लगा दिये 452, 147, 148, 149, 342, 353 372, 395 और 427 डाका मारा था

(श्री मोहरसिंह)

क्या ? इस प्रकार से जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। सारे के सारे गलत केसेज बने हुए हैं। मैंने सी. एम. से बात की है, होम कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा कि लिख के दीजियेगा। यह सारी बातें हुईं। इस पर कार्यवाही होनी चाहिये थी। लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं की है। आपने खुली छूट दे रखी है। चाहे चुनाव कार्यालयों पर हमला करें, लेकिन आप उनका कुछ नहीं कर सकते। डी. एस. पी. सादा वर्दी में पहले छात्रावास में नशे में जावे और उसके बाद में संगीन मुकदमा बनाये मुकदमा बाद में घड़ा गया। इसको सी. एम. साहब को, होम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिये। इसके अलावा उन लड़कों का सामान करीब 6½ हजार रुपये का है वह वापिस करना चाहिये और दूसरे एस. पी. का, डी. एस. पी. का वहां से तबादला तुरन्त करना चाहिये। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि चुनाव में हार जाना दूसरी बात है लेकिन आप हमें कमजोर नहीं समझें। एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन और देखते हैं, यदि कुछ नहीं होगा तो आन्दोलन होगा और आपकी लाठी और गोली उसे रोक नहीं सकेगी। सीकर का इलाका है यह सरकार इसमें बच नहीं सकेगी। आपके पास तौर आये, सी.पी.एम. के सेक्रेट्री ने सारी बातें लिख कर दीं। इसके लिये तुरन्त कार्यवाही करें। यह एक घटना सीकर की मैंने आपके सामने बताई। सभापति महोदय, आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब को साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि पुलिस के अन्यायों को समाप्त करें। पुलिस को प्रेम और सेवा की भावना से काम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि लोक सभा के चुनावों के समय सीकर छात्रावास के लड़कों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया और 41 छात्रों के ऊपर जो मुकदमें बनाये हैं वे वापस लिये जायें। इसके साथ ही अन्य तीनों मांगों को फौरन माना जाना चाहिए।

इसके साथ ही सड़कों के बारे में निवेदन करूं। जहां तक मेरे इलाके का सवाल है मैं एकमात्र सी. पी. एम. की तरफ से जीत कर इस सदन में यहां आया हूं। कहा गया जीत कर आ गये तो क्या, मोहर सिंहजी, काम किस से करवाओगे। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि आपकी इमर्जेंसी वाले ताले भी हट गये। हमें काम करवाना आता है। इसके बावजूद जिस ढंग से एकमात्र विरोधी का आपको काम करना चाहिये वह आपने नहीं किया। जगह जगह से आपके पास हस्ताक्षर करवा कर भिजवाये हैं।

जहां तक अच्छे पानी का सवाल है, चन्दनमलजी ने 15-20 जगह पीने के पानी के लिये काम शुरू किये हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात को अच्छी कहूंगा। लांछन लगाना ही मेरा काम नहीं है। लेकिन जो लापरवाहियां की जा रही हैं उनकी ओर बार बार ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरी तहसील में दो गांव हैं सांखू और सिद्धमुख। 2।। हजार 2।। हजार के गांव हैं। आज 8? वर्ष हो गये। 96 के अकाल में सड़कें बनाना शुरू की थीं वे आज तक नहीं बनीं। सड़कों का निर्माण आज भी नहीं हुआ। बबहुर

Page No 72

(72)

(श्री मोहर सिंह)

गंगानगर तक शार्टेस्ट रूट यह हो सकता है, सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सांखू और इसके बाद सादुलपुर, मादरा और नोहर। इस प्रकार शार्टेस्ट रूट बन सकता है लेकिन सड़कें नहीं बनीं क्योंकि यह मोहर सिंह का इलाका है। यह नियत अच्छी नहीं हमारी बातें हुई थीं रामनारायण जी से लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद पैसों की कुछ कमी हो, लेकिन यह कमी हमारे इलाके के लिए ही क्यों? हमारे इलाके के लिए मैं खास तौर से बता देना चाहता हूं बिजली, पानी, सड़कें आदि सहूलियतें, जो देनी चाहिये, वहां भी जनता को नहीं दी गई क्योंकि वह विरोधी एम. एल. ए. मोहर सिंह का इलाका है, एक विरोधी दल के विधायक का इलाका है। हमारे इलाके में अब तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में जनता की आवाज को ध्यान में रखकर सड़कों का बहुत जल्द से जल्द निर्माण करवाइये। पुलिस के अत्याचारों की जो बात कही है इसको ध्यान में रखकर एस.पी. और डी.एस.पी. का वहां से तबादला कीजिये और जो छात्र चुनाव में कार्यकर्ता थे, उनका सामान वापस दिलवाइये, उनका केसेज वापस लीजिये। सभापति महोदय, मेरे इलाके में इस तरह की बातें हुई। एक कार्यकर्ता को मैंने भेजा, मैं अकेला था, बीमार चल रहा था वह व्यक्ति कहने के लिए गया उसको भी अन्दर ठूंस दिया। कार्यकर्ताओं को छोटी-छोटी कोठड़ियों में डाला गया। कलेक्टर को मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं लड़कों को छोड़ दूंगा, केसेज विथड्रा हो जायेंगे। सब मामले ठीक हो जायेंगे। उन पर विश्वास किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज भी केसेज चल रहे हैं। इसलिए होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि वे इस मामले को देखें और जल्द से जल्द लड़कों के केसेज हटायें, एस.पी. और डी.एस.पी. का तबादला करें और 6॥ हजार का जो सामान चुनाव आफिस से गया है, वह वापिस दिलायें। पुलिस ने जो जबरदस्त लाठी प्रहार करके लूट खसोट की है, उस सब की जांच हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं होम मिनिस्टर साहब से व सार्वजनिक निर्माण मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो बातें कही हैं इन पर कार्यवाही करें।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टोंक) : सभापति महोदय, पुलिस विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। सभापति महोदय, यह बात माननी पड़ेगी कि राजस्थान की पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के अन्दर काफी सफल रही है अन्य प्रान्तों के मुकाबले में। राजस्थान में हम रात दिन सफर कर सकते हैं लेकिन अन्य जगह दूसरे प्रान्तों में रात में सफर करना भी मुश्किल हो जाता है। उन सब के कम्पेरिजन में राजस्थान पुलिस सुरक्षा प्रदान करने में सफल रही है। रास्ते में आने जाने में चोर-डाकुओं का डर नहीं है। यह बड़ी खुशी की बात है कि लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने में राजस्थान की पुलिस सफल रही है। अगर लॉ एण्ड आर्डर में कहीं खराबी है तो मैं उसमें पुलिस का दोष नहीं मानता हूं चाहे नसबन्दी के मामले हों या अन्य कोई और मामले हों। पुलिस ने काफी संयम बरता है। जो राज्य सरकार

(श्री अजीत सिंह)

के आदेश थे, उनका पुलिस को पालन करना था और उसमें भी पुलिस ने तो संयम से काम किया। मैं मानता हूं पुलिस का बहुत अच्छा प्रशासन है। लेकिन इसके साथ ही, सभापति महोदय, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं। आप पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार को दूर कर सकें तो ठीक होगा। भ्रष्टाचार का मामला पुलिस से नहीं निकल सका है। पुलिस वाले निकृष्ट से निकृष्ट मामले में भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहां तक कि, सभापति महोदय, सब्जी वालों से, ठेलों वालों से, कुल्फी वालों से, पैसा लेना ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। जब तक भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिटेगा तब तक जनता में पुलिस के प्रति और सरकार के प्रति आदर का भाव कायम नहीं रह सकता है। डेमोक्रेसी में ऐसी छोटी छोटी हरकतें करना ठीक नहीं है। इन छोटी छोटी बातों का जनता पर बड़ा भारी असर पड़ता है।

थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो कहते हैं हमारे कागज पेन्सिल की व्यवस्था नहीं है। कागज पेन्सिल रिपोर्ट लिखाने वाला स्वयं लाये, सभापति महोदय, यह बड़े दुःख की बात है। उनको रिपोर्ट लिखने को कागज नहीं मिलता, लिखने को पेन्सिल नहीं मिलती। कागज के बिना वह कह देता है कि आपकी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती है और क्लाइन्ट को कागज पेन्सिल जमा करानी पड़ती है तब जाकर थाने वाले रिपोर्ट लिख पाते हैं। इस इमर्जेन्सी में तो हालत और खराब हो गई है। आपने उनके लिए इस प्रकार का कोई फण्ड नहीं दिया है। जनता जो रिपोर्ट लिखाने जाय उस पर इसका क्या असर पड़ता है? उसकी तो छुट्टी हो गई। इन छोटी छोटी बातों के लिये क्यों आप शिकायत का मौका देते हैं? इन बातों को कहने में भी हमको शर्म आती है। सफेदी करने वाला जाय तो उसको पैसे देते नहीं हैं, बल्ब खराब हो गया है तो उसके लिये पैसे देते नहीं हैं, और जो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाय उससे पुलिस वाले कागज पेन्सिल वसूल कर लेते हैं।

इन छोटी छोटी बातों को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं लेकिन आप इन पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आप जैसे प्रगतिशील मिनिस्टर के लिए यह उचित नहीं है। आप ध्यान दें तो ठीक हो सकता है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।...

श्री गोपाल जोशी : आप बड़ी बड़ी बातों के लिए तो सन्तुष्ट हैं।

श्री अजीतसिंह : ये छोटी छोटी बातें जनता को बहुत परेशान करती हैं। बड़े चोर तो बड़े होते हैं और बड़े आदमियों की उनको शह होती है।

दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आजकल एक बड़ी भारी दिक्कत सोने की चोरी के मामले में होती है। जिसका सोना चोरी चला जाता है, वह रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहता है और जब सोना बरामद होता है तो वह सब पुलिस वाले खा जाते हैं या फिर 50—50 हो जाता है। या तो ऐसे केस बरामद होने

(श्री अजीत सिंह)

पर उस सोने को गवर्नमेंट जब्त कर ले या फिर इस प्रकार के केसेज में गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत कुछ कार्यवाही करे। लेकिन जो इस प्रकार की आपा-धापी होती है वह बुरी चीज है। सोने की चोरी का मामला खराब हो जाता है और, सभापति महोदय, आजकल चोर भी बड़े होशियार हो गये हैं, वे सोना ही ज्यादा चुराते हैं, सोने की रिपोर्ट लिखाना भी मुश्किल हो जाता है। पब्लिक या पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुमने इस तरह की चोरी लिखाई तो तुम गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट के मामले में फंस जावोगे इसलिये मत लिखाओ। इसलिये जो इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा होती जा रही है, उस पर आप निश्चित रूप से ध्यान दें।

सभापति महोदय, दूसरी प्रकार का पुलिस का भ्रष्टाचार यह है कि ट्रक वालों से, ठेली वालों से, दुकान वालों से घूंस लेते हैं पुलिस वाले इस प्रकार के लोगों की लिस्ट बना लेते हैं जिनका नियम बन गया है कि यह तो पुलिस वालों को देना ही देना है, बिना दिये उन लोगों का काम ही नहीं चल सकता है, क्योंकि रात दिन पुलिस वाले उनको बिना बात के परेशान करते रहते हैं। इस प्रकार की जो गड़बड़ियां पुलिस आये दिन करती है, उन पर आप अपना चैक लगावें।

दूसरे, सभापति महोदय, इलेक्शन के दौरान पुलिस ने व्यवस्था की दृष्टि से अच्छा काम किया है लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिनको मैं निवेदन करना चाहूंगा। पुलिस को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा और इस बारे में जो अलाउन्स उनको देना चाहिये था वह नहीं दिया गया। सिपाही जो इस प्रकार की ड्यूटी में जाते हैं वे जो वहां के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनके यहां खाना खाते हैं और फिर यह बात हो जाती है कि जिसकी खाऊंगा, उसकी बजाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको पेमेन्ट पहले करना चाहिए। इस प्रकार भ्रष्टाचार उनमें पनपता है, क्योंकि ये किसी बड़े आदमी के यहां, जो प्रभाव रखता है, भोजन करते हैं जो एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर देते हैं, जिससे फेयरनेस खत्म हो जाती है....

(2.37 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन)

मेरा निवेदन है इस ओर भी आप ध्यान देंगे।

छोटे छोटे शहरों में आपने ट्रैफिक पुलिस को नहीं लगा रखा है। मेरा निवेदन है तहसील लेवल पर कम से कम इस प्रकार दो सिपाही लगाने चाहिएं ताकि जो आये दिन छोटे-छोटे झगड़े हो जाते हैं वे नहीं हो सकें। मैं मेरे क्षेत्र टोंक का ही निवेदन करूं, सिर्फ 8 सिपाही ट्रैफिक के लगा रखे हैं। अब टोंक जैसे शहर में 8 सिपाही का लगाना कहां तक उचित है? इसलिए मेरा निवेदन है कि जन संख्या की दृष्टि से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जन संख्या की दृष्टि से आप एनेलेसिस करें तब कहीं इसमें शांति और सुरक्षा हो सकेगी। दूसरे जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस में जो ट्रैनिंग दी जाती है वह पर्याप्त नहीं है। मैं यह चाहूंगा ऐसी लाइन में जो लोग हैं या

(श्री अजीत सिंह)
जो थानेदार होते हैं उनको पर्याप्त ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए आपके जो पुराने थाने हो गये हैं वे नये ढंग से काम करने में, अभी अनभिज्ञ हैं। उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए आप अपने हिसाब से देखें कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है और कौन कितना काम करने वाला है तो निश्चित रूप से जनता को अच्छी राहत मिलेगी और उनको कानून के अनुसार न्याय मिलेगा। आज कई परिवार ऐसे हैं जिनको कानून की जानकारी तक नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि नये ढंग से उनको ट्रेनिंग दें।

दूसरे आपने पुलिस डाग्स की व्यवस्था की थी। पुलिस ने वह आजकल बन्द कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस डाग्स से चोरी बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। चोरियों को पकड़ने में पुलिस डाग्स बहुत काम करते थे और चोरी आसानी से बरामद हो जाती थी। इसलिए इस ओर भी आप गौर करें और इस प्रकार कुत्तों के स्क्वेड को लगाने की व्यवस्था करें कम से कम तहसील हैड क्वार्टर पर तो अवश्य ही करें। कुत्तों से चोरी पकड़ने का बहुत अच्छा साधन था। आम आदमी भी यह कहता है कि पुलिस के कुत्तों को बुला लो तो चोरी पकड़ ली जायगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसको फिर से चालू करें।

दूसरा आपने नये थाने तो कायम कर दिए पर फोर्स में बढ़ोतरी नहीं की। नए प्लान के अन्दर पुलिस व्यवस्था में जो फोर्स की व्यवस्था बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ पायी। पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ती तभी जाकर एफिशियेंसी बढ़ती और ज्यादा अच्छे ढंग से काम हो सकता था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट।

एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया और जहां पर रखा वहां पर भी काफी छोटा कर दिया है। यदि आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट तो हर डिस्ट्रिक्ट में होना आवश्यक है आपने दो तीन जिलों को मिला कर हैड-क्वार्टर बना दिया इसलिए उनकी अप्रोच से बाहर हो गया है। कैसे तो उनको खबर पहुंचायें, कैसे उनको स्पोट पर लायें और रेड हैंडेड पकड़वायें? यह रेड हैंडेड पकड़वाने वाली बात बनती नहीं है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो रैड हैन्डेड पकड़वाने वाली व्यवस्था है यह भी ऐसी है कि जिससे लोग पकड़ में नहीं आते। इसमें कुछ भी नहीं हो पाता बड़ी दिक्कतें पेश की आती हैं। इन्वेस्टीगेशन करने में भी प्रायः यह होता है कि कैसेज कई वर्षों तक पेन्डिंग रह जाते हैं, ज्यादा समय निकल जाने से गवाह बिगड़ जाते हैं। इसके अन्दर आप ऐसी व्यवस्था करें कि आपके आफिसर्स ज्यादा ध्यान दे सकें और जनता को लाभ मिल सके वरना यह सारा डिपार्टमेंट रखने से खर्चा भी उतना होता है लेकिन काम ठीक नहीं होता है, काम संतोषप्रद नहीं होता है और जनता को कोई लाभ नहीं है। अगर आप इसकी ठीक से व्यवस्था नहीं कर सकें तो आप इस डिपार्टमेंट

(श्री प्रजोत सिंह)

को ही खत्म कर दें। इस तरह से रखने से तो कोई फायदा नहीं है। जितने चालान होते हैं उनमें कई खत्म हो जाते हैं, लोग इतने तंग हो जाते हैं कि गवाह बिगड़ जाते हैं। डिपार्टमेंट का कोई लाभ नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में आप ध्यान दें।

अब मैं पी.डब्ल्यू. डी. के माननीय मंत्री महोदय का कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा खास पाइन्ट यह है, माननीय मंत्री जी, जिलों में आपकी पी. डब्ल्यू.डी. की रोड्स कौन सी हैं, प्लान रोड्स कौन सी हैं और फेमिन रोड्स कौन सी हैं उनका क्लासिफिकेशन कर दीजिए। कृषि मंडी को कौन सी रोड देना चाहते हैं उसका क्लासिफिकेशन कर दीजिए। कौन सी रोड को आपके डिपार्टमेंट के अन्दर में रखना चाहते हैं, उनकी मरम्मत कौन करेगा इसका क्लासिफिकेशन होने के बाद ही मालूम होगा कि इस पर कृषि मंडी काम करेगी या आपका डिपार्टमेंट काम करेगा। यह प्लान रोड है या कौन सी रोड है, इस पर कृषि मंडी को काम करना है या डिस्ट्रिक्ट रोड है। होता क्या है कि उसमें सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डामर लगा देते हैं इसलिये एक भी रोड ठीक नहीं रहती है। हालत यह है कि सारी रोड्स की हालत खराब होती जा रही है। इसलिए जो भी रखना चाहें रखें लेकिन उनकी मरम्मत का इन्तजाम माकूल होना चाहिए। सब का थोड़ा-थोड़ा मुंह पोंछने से कोई फायदा नहीं है। जो छोड़ना चाहें, जो कृषि मंडी को देना चाहें यह साफ बता दें कि कौन काम करेगा। बराबर क्लासिफिकेशन नहीं होने के कारण कृषि मंडी मरम्मत कराना चाहते हुए भी नहीं करा सकती है। आपके पास बजट तो है नहीं कि सारी रोड्स की मरम्मत करवा सकें। जब कभी जिस ओर प्रेशर पड़ा उधर ही रोलर चला जाता है आपका। जरूरत को नहीं देखते कि कहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है और इससे आवागमन के अन्दर बड़ी बाधा पड़ रही है। इस जमाने के अन्दर रोड्स की विशेष आवश्यकता है। रोड ठीक नहीं होती हैं तो गांव का विकास होता नहीं है। जिस गांव में सड़क चली गई उस गांव का विकास होता है। इसलिए आप रोड्स की ओर ध्यान दें और अप्रोच दें और कृषि मंडी को देनी हो तो उनको दें। हमारे यहां दस लाख रुपया कृषि मंडी के पास पड़ा है लेकिन रोड पर काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मालूम नहीं है कि कौन सी रोड उनके पास है। जो फेमिन रोड्स हैं, जो अकाल के टाइम में डिपार्टमेण्ट ने बनाई थीं, अकाल राहत मंत्री महोदय को पता नहीं कि कौन सी रोड है और किसे ठीक करना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो भी निर्णय करना हो आप कर दें और क्लासिफिकेशन कर दें कि कौन सी रोड किस के पास रहेगी ताकि उनकी व्यवस्था ठीक तरह से हो सके।

टोंक रोड आपने बनाई है। इस रोड को चौड़ा कर दिया है लेकिन इसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है। आपको मालूम है कि यह टोंक रोड टोंक शहर के अन्दर से होकर जाती है। आपने इतनी लम्बी सड़क बनाई तो यह दो फर्लांग का चक्कर देकर शहर के बाहर से इस रोड को निकलवा दें तो शहर वाले आपके बड़े आभारी होंगे। इस पर शहर में बड़े एक्सीडेन्ट होते हैं। आप भी उस रास्ते से गुजरे होंगे। आपने देखा होगा कि

(श्री अजीत सिंह)

वहां कितने एक्सीडेंट होते है। लोग रात दिन परेशान हैं। यह थोड़ा सा टुकड़ा है। इसको अगर आप शहर के बाहर से निकलवा दें तो हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा होगी। यही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

घोषणा

श्री मीठालाल द्वारा सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मीठालाल, सदस्य विधान सभा ने विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 28 मार्च, 1977 के पत्र द्वारा त्याग-पत्र दे दिया है।

जनता पार्टी विधायक दल का गठन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों न राजस्थान विधान सभा में जनता पार्टी विधायक दल के गठन की घोषणा करते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण करने की सूचना दी है :—

1.	श्री लक्ष्मणसिंह	नेता
2.	श्री मूलचन्द सामरिया	उप नेता
3.	श्री गुरदयालसिंह संधु	सचेतक
4.	श्री गिरधारीलाल भार्गव	सचेतक
5.	श्री विट्ठल भाई	सचिव
6.	श्री केदार नाथ	सदस्य
7.	श्री गुमानमल लोढ़ा	सदस्य
8.	श्री अजीतसिंह	सदस्य
9.	श्री गोरधनसिंह	सदस्य
10.	श्री श्रीकिशन	सदस्य
11.	श्री मनोहरलाल	सदस्य

माननीय वन मंत्री जी

श्री चेतराम : और कितने रह गए साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : That may be enquired from them.

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9, 16, व 21 पर अग्रेतर विचार

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, वन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में वन सम्बन्धी सप्लीमेंट्री ग्रांट, मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मुख्यतया जिन 11 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उनमें से वन विभाग के ऊपर 9 माननीय सदस्यों ने अपनी टिप्पणी दी। सर्वप्रथम इन अनुपूरक अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह वह राशि है जो कि इस साल में खर्च की गई है या उनमें वह धनराशि है जो कि आगामी वर्ष के लिए बहुत ही आवश्यक है जिसका इसमें समावेश किया गया है। किन्तु फिर भी माननीय सदस्यों ने अपनी ओर से जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं, वे मूल्यवान हैं। उनकी मैं कद्र करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपने जो भी सुझाव कार्यक्रम में दिए हैं, आपके सुझावों का यथा सम्भव सहयोग लेने की ओर ध्यान रखा जावेगा।

मान्यवर, जो मांग 2 करोड़ 65 लाख 83 हजार रुपये की सदन में रखी गई है उसमें मुख्यतः कुछ बिन्दु हैं, हमारे राजस्थान

78

(राज्य मंत्री, वन)

के जो जू हैं उनकी मरम्मत के लिए और उनकी देख रेख के लिए, या उनके कर्मचारियों के नवीन वेतनमान किए गए हैं उससे सम्बन्धित कुछ अंश उस मांग के अन्तर्गत हैं। दूसरे कुछ हमारी मशीनरी रिपेयर करने योग्य है, उसकी मरम्मत के लिए जो धनराशि दी हुई है, वह अपर्याप्त होने के कारण कुछ रकम और रखी गई है। इसके साथ में कुछ ऐसी योजनायें हैं जो कि हमारी सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स के अन्तर्गत आती हैं। जैसे सोयल कंजर्वेशन स्कीम है और उसी तरीके से हमारी फ्लड प्रोजर्वेशन स्कीम है। हमारी जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम्स हैं उनके अन्तर्गत यह आती हैं। इसके अन्दर यह राशियां रखी गई हैं लेकिन जो इसमें मोटी राशि रखी गई है वह हमारे गत वर्ष में, जो वर्ष समाप्त हो रहा है, एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया था, इसकी जो तैयारी रही उसके अन्तर्गत राशि खर्च हुई है। इसके अन्दर ज्यादा भाग इस कार्यक्रम के लिए रखा गया है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जहां 55 लाख पेड़ लगाने थे उसके विरुद्ध राजस्थान में करीब 85 लाख पेड़ लगाये। पेड़ों को हमने वितरण किया अलग अलग विभागों में। जैसा कि सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, खड्डे खाली नजर आते हैं। अगर नहरों के किनारे लगाये जाते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा निवेदन है, 50% वृक्षारोपण नहरी क्षेत्र में किया गया है। उसका मूल्यांकन किया गया। वह काफी अच्छा नजर आ रहा था। आपके द्वारा अवलोकन किए हुए खड्डों का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें मैं विशेष नहीं कह सकता हूं। यह बात आपको विदित है कि इस कार्यक्रम को एकदम हाथ में लिया गया था। जुलाई-अगस्त में इस कार्यक्रम को लिया गया था। क्योंकि पौध छोटी थी उसके नहीं पनपने की सम्भावना हो सकती है। फिर भी हमारे यहां स्टेट की जो मूल्यांकन समिति है, उसने सारे कार्यक्रम का अवलोकन किया है। उसने यह कहा है कि 50% अच्छा परिणाम रहा है। उसमें कहीं नुकसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है कि कोई लाभ नहीं हुआ हो। एकदम यह कार्यक्रम हाथ में लिये जाने के कारण कुछ कमियां रही हैं। तो हमने कुछ अच्छे प्रोग्राम हाथ में लिये हैं। आने वाले वर्ष में कार्य करने के टार्गेट दुगुनी मात्रा में हों इसकी तैयारी होनी चाहिए। अगले वर्ष 1 करोड़ 30 लाख पौधे लगाने का प्रोग्राम है। पहले 55 लाख लगाये। आगामी वर्ष में 1 करोड़ 30 लाख लगाने हैं। जो धनराशि इसके लिए चाही है वह इसमें है। माननीय सदस्यों ने वृक्षारोपण के अन्तर्गत यह बात बताई है कि विभागों का सहयोग नहीं हो पाया है। मेरा निवेदन है कि विभागों की परस्पर मीटिंग हुई है और स्वयं उन्हीं के द्वारा यह प्रोग्राम हाथ में लिया गया है। उन्हीं के प्रयास से यह सब कुछ हुआ है। हो सकता है कहीं अधिक गड्ढे नजर आये हों, पी. डब्ल्यू. डी. की सड़कों के किनारे ऐसे गड्ढे देखने को मिले हों, जैसा कि माननीय सदस्य गफ्फार अली ने बताया कि दिल्ली से लेकर कोटा तक जायें तो गड्ढे बहुत मिलेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि कई स्थानों पर सघन वृक्षारोपण किया है, यह प्रयोग आप देख सकते हैं। रोड साइड प्लाण्टेशन किया है। बहरोड़,

(श्री मूलचन्द मीणा)

अजमेर और भरतपुर रोड़ साइड प्लाण्टेशन है। जो कुछ कार्यक्रम विभाग ने किया है, वह अच्छा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और सफलता से काम कर सकेंगे।

दूसरा चिड़ियाघरों के बारे में है। हम बड़े जानवरों के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए कुछ राशि रखी है। चिड़ियाघरों को एक आकर्षक स्थान बनाने के लिए राशि रखी है। कुछ दिनों पहले जोधपुर चिड़ियाघर का प्रस्ताव था। वहां एक ऐसा केज बनाना चाहते हैं जिससे कि दर्शक पिंजड़े के अन्दर जाकर जानवरों को देख सकें। इसका नाम रखा गया है 'वाक इन केज' वह बन रहा है। इसके लिए 40—45 हजार की राशि रखी गई है। इसी प्रकार से जयपुर में जू है। इसके अन्दर भी कुछ सुधार किये गये हैं। इसके लिए भी कुछ रुपया दिया जा रहा है। इस प्रकार से हम चाहते हैं जू की अच्छे रूप में व्यवस्था हो। इसके लिए भरपूर प्रयत्नशील हैं। सस्पेन्शन ब्रिज, डियर पार्क का छोटा स्वरूप होगा। सेण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के अन्दर यह जारी किया गया है।

फ्लड कान्जर्वेशन का काम है। इसमें पानी के बहाव की स्टडी की जाती है। पानी की गति का रिकार्ड रखा जाता है। किस स्पीड से सिल्ट इरोजन होकर डैम में जाती है। सोइल कन्जर्वेशन का कार्य किया जाता है। यह भी एक प्रोग्राम है। सोइल कन्जर्वेशन के लिये राशि रखी गई है। इसका मतलब यह है कि किसानों पर ज्यादा भार नहीं आवे। 50% सब्सिडी किसानों को दी जाती है। इसमें सेण्ट्रल से दी हुई राशि भी है। इसमें मेड़ बांधने का काम भी आता है जहां जमीन का कटाव होता है। इसके लिये कुछ राशि रखी गई है। सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड में राशि रखी गई है। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो लाख पेड़ जो सूरतगढ़ फार्म के मैनेजर ने कटवा कर साफ करा दिये हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : अभी मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : देवपुरा जी दो क्षण के लिए प्रकट हुए थे।

एक माननीय सदस्य : अभी पूछ लीजिएगा।

श्री मूलचन्द मीणा : राजस्थान में...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो तभी मानूंगा जब सूरतगढ़ फार्म का मैनेजर जेल में हो। उसने दो लाख पेड़ कटवा दिये। वह नेहरू जी के हाथ के लगाये हुए पेड़ थे।

श्री मूलचन्द मीणा : माननीय सदस्य ने कहा था लेकिन वह सेण्ट्रल से सम्बन्धित है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप उसका पानी बन्द कर सकते थे। अगर कोई नसबन्दी नहीं करवाता है तो आपने गांव के उस गरीब आदमी का पानी बन्द कर दिया तो सूरतगढ़ फार्म का पानी बन्द करने में क्या दिक्कत आ गई? पेड़ काटने के लिए देवपुरा जी ने कहा था? आप पानी रोक

(80)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
देते। गरीबों की नसें काटने के लिए तो आप पानी रोक देते हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने पेड़ क्यों काटे। उसकी स्थिति क्या थी। इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है। इसका मैनेजमेण्ट सेन्टर से सम्बन्धित है। उन्होंने क्या सोचकर किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्थान की धरती पर उगे हुये पेड़ हैं। राजस्थान की धरती से ताल्लुक रखने वाले पेड़ हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : यह बात सही है किन्तु कभी पेड़ों को काटना पड़ता है। रोड को वाइड करने के लिए बीच में आने वाले पेड़ काटने पड़ते हैं। जैसा ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। लेकिन कोशिश यह की जानी चाहिए कि पेड़ों का नाजायज तरीके से काटना बन्द हो, अनुचित कार्यों के लिए या व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से उसको नहीं काटा जावे। इसके पीछे दृष्टिकोण यही है कि वन-सम्पदा की दिनों-दिन बढ़ोतरी हो, घटे नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि सूरतगढ़ में फार्म चल रहा है। उसके लाखों की तादाद में पेड़ बेचे गये उनको बेचकर प्रोफिट में बताया गया। आखिर दो लाख पेड़ों की उनको क्या जरूरत थी, कितने मुर्दे फूंकने थे या उनको कोई हल बनाने थे ? एक दो पेड़ नहीं थे।

श्री मूलचन्द मीणा : इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्यों काटे गये यह मेरे से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई रेवेन्यू लैण्ड है या प्राइवेट लैण्ड है या कोई काश्त करना चाहता है तो बिना पेड़ काटे कैसे की जाय। तो इस तरह से कई कारण हैं। इसमें मैं नहीं जाना चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जोधपुर एरिड जोन ने अपने कोलोब्रोरेशन में पेड़ लगाये। वह एक उनका अचीवमेण्ट था। वह लैण्ड बारानी थी, एग्रीकल्चरल लैण्ड नहीं था। नेहरूजी ने 1955 में उस बैल्ट का उद्घाटन किया था। वहां पर रूथलेसली पेड़ काटे गये और इस तरह से काटते रहे कि कोई उनको रोकने वाला नहीं था। आखिर राजस्थान सरकार के हाथ में भी पावर थी उसका पानी रोक सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह एक राष्ट्रीय विचारधारा है कि सभी को वनों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान सरकार ने समय-समय पर पेड़ लगाने का प्रयत्न किया है और यह कोशिश रही है कि हमारे पेड न कटें। लेकिन फिर भी जैसे कोई काश्तकार है अगर वह हरे पेड़ काटता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। तो वह खुद के काम के लिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए तो काट सकता है लेकिन अगर वह बेचता है तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है और इसकी इजाजत लेनी पड़ती है। अगर कोई इजाजत नहीं लेता है तो यह एक जुर्म माना गया है। उसको सजा के लिए तैयार रहना चाहिये।

(श्री मूलचन्द मीणा)
अधिकारियों की कुछ ढिलाई हुई होगी तो उनके खिलाफ में कार्यवाही की जायेगी।

(3.18 म.प.)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सभापति, पीठासीन)

श्री सभापति: श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 9, 16 और 21 के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। इसमें जो मांग संख्या पुलिस विभाग से संबंधित है उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग के संगठन के बारे में, उसके पुनर्गठन एवं आधुनिकरण के बारे में व अपराध एवं अन्वेषण के बारे में अपने कुछ अमूल्य सुझाव पेश किये हैं, उसके लिये मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रगट करता हूं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पुलिस संगठन को अधिक व्यापक उद्देश्यपूर्ण, कुशल एवं सक्षम बनाने के लिए उच्चकोटि के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी है। राजस्थान में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये एक पुलिस अकादमी की स्थापना की गयी है। अलवर तथा गंगानगर नगरों में कन्ट्रोल रूम तथा उड़न दस्ते खोले हैं। अब 9 बड़े नगरों में उड़न दस्ते एवं कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। राज्य में वायरलेस संचार अब वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी पर कार्य करने लगा है। पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सीरम विज्ञान एवं टोक्सीकोलोजी के नये खण्ड स्वीकृत किये गये हैं। विभाग की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शाखाओं में नये पद स्वीकृत किये गये हैं जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है। इस वर्ष 10 नये टेलीफोन स्वीकृत किये गये हैं। इसके अलावा राज्य के 21 प्रमुख स्थानों पर पुलिस निरीक्षकों को भार साधक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इस तरह से जयपुर से अजमेर, बीकानेर, कोटा तथा उदयपुर को संचार सेवा के अन्तर्गत टेलीप्रिन्टर लाइन से जोड़ दिया गया है। पुलिस परिवहन क्षमता को बढ़ाया गया है। संचार सेवा में नये यंत्र एवं उपकरण खरीद कर उसे सुदृढ़ किया गया है। पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रलेख खण्ड का विस्तार किया गया है। अपराध एवं अपराधियों के रिकार्ड को कम्प्यूटराइजेशन स्कीम को राज्य सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। इस स्कीम पर विभिन्न चरणों में लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपये व्यय होंगे। प्रारम्भिक चरण शुरू किया जा चुका है और 1976-77 में करीब 2 लाख 35 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस विषय में सम्बन्धित अन्य प्रारम्भिक कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

वायरलेस पुलिस विभाग में संचार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राज्य की स्टेट वायरलेस शाखा ने बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी योगदान दिया है। भारतवर्ष में वायरलेस विभाग एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समस्त सुपरवाइजरी अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, सर्किल आफिसर्स एवम् नियंत्रण कक्ष तथा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

यातायात नियंत्रण से सम्बन्धित अधिकारियों को मोबाइल सेट्स दिये गये हैं जिनकी संख्या 186 है। राज्य भर में 675 वायरलेस सेट कार्य कर रहे हैं। 340 सेट्स थानों में लगे हुए हैं और 80 सेट्स पुलिस चौकियों में लगे हुए हैं। इनके अलावा बाढ़, चुनाव एवम् अन्य विशिष्ट परिस्थितियों में भी समय समय पर वायरलेस की सहायता दी जाती रही है।

पुलिस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भी कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षण को उच्च कोटि की प्राथमिकता दी गयी है। परम्परागत प्रशिक्षण को छोड़ कर अब प्रशिक्षण में साइकोलोजी (मनोविज्ञान) को पढ़ाने का काम शुरू किया गया है। राज्य में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सभी श्रेणी और स्तर का प्रशिक्षण कार्य अब अपर पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) के संचालन में हो रहा है। यह नया पद इसी वर्ष बनाया गया है।

इस समय राजस्थान में निम्न प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं :—

1. राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

2. आर.ए.सी. एण्ड ए.पी. ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर

(ए.पी. व आर.ए.सी. के लिए)

3. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़

4. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर
5. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर

} सिविल पुलिस के कान्स्टेबल्स की ट्रेनिंग के लिये।

6. सिक्यूरिटी ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर

7. वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

इस वर्ष विशेष तकनीकी विषयों के अग्रेतर प्रशिक्षण के लिये पुलिस अधिकारियों को राज्य से बाहर भी ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है।

जहां तक पुलिस प्रशासन के संगठन और कार्य-प्रणाली का सवाल है राजस्थान सरकार ने समय समय पर विभिन्न कदम उठाये हैं और राजस्थान पुलिस का कुशल प्रशासन है अन्य राज्य की तुलना में। हमारे यहां की प्रशासन व्यवस्था और कार्य-प्रणाली अन्य राज्यों से अच्छी है।

माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा जो पुलिस प्रशासन और व्यवस्था एवं प्रशिक्षण के बारे में बातें कही हैं, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है और इस बात का जिक्र किया है कि राजस्थान सरकार राज्य में शान्ति व्यवस्था कायम करने में सफल रही है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। शान्ति व्यवस्था के प्रकार जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचारों के द्वारा योगदान दिया है और शान्ति व्यवस्था के बारे में पुलिस के कार्यों की जो सराहना की है मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमें जो राशि भारत सरकार से मिलने वाली थी उसका उपयोग नहीं कर पाये। उदयपुर में योजना प्रारम्भ करनी थी लेकिन प्रारम्भ नहीं कर पाये। जहां तक मेरी जानकारी है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में प्रशिक्षण की योजना इस वजह से प्रारम्भ नहीं की जा सकी कि जो संस्था काम करने जा रही थी उसने जिस भूमि को इस कार्य हेतु देने का प्रस्ताव किया है वह विवादास्पद थी, इस कारण हम कार्य नहीं कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भारत सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं करना चाहते। निश्चित रूप से हम उसका उपयोग करेंगे और विकास कार्य करेंगे।

चौकी कायम करने के सम्बन्ध में कहा गया, पहले पुलिस चौकी थी और अब हटा दी गयी है और नजदीक चौकी के साथ जोड़ दी गई है। आपको ज्ञात होगा कि पुलिस पुनर्गठन के अन्तर्गत पुलिस पुनर्गठन एवं आधुनिकरण योजना को राजस्थान में गत वर्षों में लागू कर दिया गया था। चालू वर्ष में इसके द्वितीय चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों से पुलिस संगठन को और अधिक व्यापक, उद्देश्यपूर्ण, कुशल एवं सक्षम बनाने की गति में तेजी लाई गयी है। पुलिस पुनर्गठन के फलस्वरूप कुछ चौकियों की कमी की है। 70 चौकियां कम हुई हैं। कुछ पुलिस चौकियों को क्रमोन्नत किया गया है तथा नये थाने भी खोले गये हैं।

जहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल है पुलिस हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की दृष्टि से जहां भी उपयोगी हो उन स्थानों पर पुलिस स्टेशन कायम किये जायं, चौकियां कायम की जायं इस दृष्टि से पुलिस स्टेशन और चौकियां कायम भी जावेंगी और आवश्यकता हुई तो इस प्रस्ताव पर दुबारा विचार किया जावेगा।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटड़ा काण्ड में परिवार नियोजन को लेकर के पुलिस ने ज्यादतियां कीं। माननीय सदस्य ने सदन में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं सारे तथ्यों की जानकारी करूंगा और जो भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाये जावेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। राजस्थान सरकार ने जब भी ऐसी शिकायतें आयीं, रिश्वत की, चोरी की, तो उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही की है और उनको दुरुस्त किया है। कोटड़ा के सम्बन्ध में जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं उसको लाइट में जांच करवा कर कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पोइन्ट उठाया कि हमारी जो आर्म्ड कान्सटेबुलेरी है वह जयपुर के मध्य स्थित है। वहां रहने वाले नागरिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिये लेकिन वह स्थापित नहीं कर पाये इसलिये आर्म्ड कान्सटेबुलेरी को, जो जयपुर के मध्य स्थित है, दूर रखना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा और देखूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने खास तौर से इस बात का जिक्र किया कि जो कान्सटेबल

(श्री गुमानसिंह शक्तावत)
और हैड कांस्टेबल हैं उनको कम्पलसरी रिटायर कर दिया जब कि उनको नहीं करना चाहिये था।

(3 30 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हीं को कम्पलसरी रिटायर किया गया है जिनकी सी.आर. व कार्यकुशलता अच्छी नहीं थी। ऐसे कर्मचारियों को रिटायर करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था जिससे प्रशासनिक चुस्ती लाई जा सके। इसके लिये एक कमेटी बैठी और उसने उनके मामलों को रिव्यू किया और उसने अन्तिम निर्णय लिया। इस सम्बन्ध में जिन कर्मचारियों को रिटायर किया गया वे अपना केस रिव्यू कमेटी के सामने रिव्यू के लिये भेज सकते हैं। रिव्यू कमेटी में हैड कान्स्टेबल और कान्स्टेबल, जिनको रिटायर किया गया कम्पलसरिली, के मामलों को रिव्यू किया गया। रिव्यू कमेटी में आई. जी. पी. और सेक्रेटरी भी थे। इसलिये यह कहना कि किसी अधिकारी ने अपनी नाराजगी के कारण हटा दिया, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी अपर्चुनिटी है, इस बात का मौका है, यदि किसी तरह से ज्यादती हुई है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो वे रिव्यू कमेटी के सामने बाकायदा केस प्रस्तुत करके रिव्यू करवा सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने एक दो केसेज का जिक्र किया। श्री चन्दूलाल की लड़की जला डाली गयी और कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह से एक श्री प्रेमनाथ का मामला उठाया और कहा कि कई बार सदन में प्रश्न उठाया लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रेमनाथ का सवाल है, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, इन आरोपों की जांच बीकानेर रेंज के डी. आई. जी. से करवाई है। उन्होंने सी.सी.ए. 16 के तहत नोटिस दिया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार किसी अधिकारी को बचाना नहीं चाहती। यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो राज्य सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में हिचकिचाएगी नहीं। जहां तक चंदूलाल की लड़की का सवाल है और दूसरा केस भी बताया है, उन्होंने अभी यह केस प्रस्तुत किया है इसलिए विशेष रूप से प्रकाश नहीं डाल सकूंगा लेकिन जानकारी करके मैं अपनी ओर से तथ्यों से अवगत कराऊंगा।

चूरू का जिक्र किया गया खास तौर से यह कि सीकर में लोकसभा चुनाव में कई व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको पकड़ कर हिरासत में बिठा दिया और उनके साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया गया। मेरी जानकारी के आधार पर चूरू में जो घटनायें हुई थीं, वे दूसरी प्रकार की घटनायें हैं। मुझे बताया गया है कि 10-1-77 को कुछ व्यक्तियों ने मिलकर, छात्रावास के लड़कों ने झण्डे को फाड़ा, एक रैस्टोरेंट के मालिक राधेश्याम को पीटते हुए ले गए और छात्रावास में बन्द किया। स्थानीय अधिकारी जब छात्रावास में रेस्टोरेंट के मालिक को छुडाने के लिए पहुंचे तो छात्रावास के व्यक्तियों ने पुलिस अधिकारियों को चोट पहुंचाई इस तरह से यह

श्री केशरीमल : लेकिन इन्होंने जो जगह बताई है, सूरतगढ़ में पेड़ काटे गये उसमें कौनसी इजाजत ली गई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई इजाजत नहीं ली गई। इजाजत लेनी चाहिए थी। देवपुराजी को तीन चिट्ठियां लिखीं, आप यह कह सकते हैं, कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के मालिक हैं लेकिन मालिक होते हुए भी उसका पानी नहीं रोका।

श्री मूलचन्द मीणा : इसकी जांच करवा ली जायेगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी विचारधारा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, इस बात को सभी मानते हैं, एक पेड़ काटें तो दो लगायें इस बात को हमने भी स्वीकार किया है। एक पेड़ काटें तो दो पेड़ लगायें, इस तरह का नियमों में भी प्रावधान है। लेकिन नियमों के बन जाने से या उनको बता देने से ही उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है। हमने यह भी देखा है कि इतना होने के बावजूद भी कई तरीके से लकड़ी काट ली जाती है। उनको पकड़ते हैं तो वे फारेस्ट वालों को रेवेन्यू की बता देते हैं और रेवेन्यू वालों को फारेस्ट वालों की बता देते हैं। इसलिए हमको जनता का दृष्टिकोण बदलना होगा। पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए और हमारे सभी जन प्रतिनिधियों को इसमें सहयोग देना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन इसमें आदिवासियों को क्या रिलीफ दीजियेगा ?

श्री मूलचन्द मीणा : इसी तरह से सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आदिवासियों का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में पहले से निर्णय लिया हुआ है कि ऐसे आदिवासी जिन्होंने 15—20 साल से किसी जमीन पर कब्जा कर रखा और मकान बना रखे हैं तो उन लोगों को बेदखल नहीं किया जाय और उनको रेग्यूलराइज कर दिया जाय। अभी कानून में यह दे दिया है कि 1971 से पहले के जो भी कब्जे हैं वे बदस्तूर रहेंगे। एक बात और इसमें थोड़ी-सी यह देखना पड़ेगा और वह सभी को सोचना पड़ेगा कि वह जमीन कहीं जंगल में तो नहीं है जिससे कि फारेस्ट का नुकसान होता हो, अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो

(3.08 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

कलेक्टर साहबान और प्रमुख साहब, हमारे सी. सी. एफ., सी. एफ. उस कमेटी में बैठेंगे और उसको कोई आल्टरनेटिव जमीन देकर बेदखल करेंगे। उसके बिना उनको बेदखल नहीं करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मन्त्री महोदय, कलेक्टर और सी. एफ. ने तो बहुत देख लिया, पर किसी गरीब व दिवासी को उसमें रखिए। इनको तो आप छोड़िये, किसी आदिवासी एम. एल. ए. को रखिये। ये किसी को निहाल करने वाले नहीं हैं, न फारेस्ट के आफिसर करने वाले हैं और न कलेक्टर। इससे काम नहीं चलने वाला, किसी आदिवासी क्षेत्र के एम. एल. ए. को रखिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द मीणा : माननीय सदस्य, कम से कम इन तो सहयोग कर सकते हैं। जब प्रस्ताव जिलाधीश को जांय तो उस समय सहयोग कर सकते हैं और जिला स्तर पर सही दृष्टि से देखने की कोशिश कर सकते हैं।

श्री केशरी मल : आप जन प्रतिनिधियों की कमेटी•••

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य बीच में इन्ट्रप्ट नहीं करें। मन्त्री महोदय को सुन लीजिये पहले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सुन तो रहे हैं बहुत तबीयत से। इतनी सी बात कह रहे हैं कि आप जन प्रतिनिधियों की भी एक कमेटी बना दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको भी बोलने का अवसर मिला है, उसमें आपको जो कहना था वह कहा, अब माननीय मन्त्री महोदय को कहने दीजिये। आप उनको सुनिये।

श्री केशरीमल : माननीय सभापतिजी कुछ बातें नहीं आ रही हैं, उसके बारे में हमारा सुझाव है।

श्री सभापति : पूरा स्टेटमेंट होने के बाद आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं और सुझाव रखते हैं कि उसमें माननीय सदस्य भी शामिल रहें, वैसे प्रमुख साहब तो उसमें हैं लेकिन यह सुझाव है इस पर राज्य-स्तर पर बैठ कर विचार किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल हमारा सुझाव है कि जनता कमेटी बनाई जाय और कलेक्टर उसके मातहत हो। Don't keep the Collector as Chairman of that Committee.

श्री सभापति : मैं अपने निवेदन कर चुका हूं कि उनको बोलने दीजिये। माननीय मन्त्रीजी, आप अपनी बात कहिए जो आपको कहना है।

श्री मूलचन्द मीणा : जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न उठाया ट्रांजिट पासेज देने के बारे में। उसने वहां के ठेकेदार कोयला बनाते हैं और बेचने के लिए ले जाते हैं उन्हें परेशानी होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ऐसे क्षेत्रों के लिए, जहां पर कि फारेस्ट कम है, ट्रांजिट पास देने के लिये रेवेन्यू आथोरिटी को वायस्ट कर दिया है और फारेस्ट डिपार्टमेंट अब वहां पर इन्टरफीयर नहीं करेगा।

सभापति महोदय, इसके लिए जो तहसीलदार मौजूद हैं उनके पास जाकर लोग अप्रोच कर सकते हैं। तहसीलदार उन लोगों को कोयला व लकड़ी के लिये ट्रांजिट पास दे देंगे। इसमें जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन सी तहसीलों में यह व्यवस्था की गई है अगर माननीय सदस्य चाहें तो उसकी सूची आपको दे सकता हूं। इसमें जिलावाइज आथोरिटीज हैं, आप चाहें तो मैं नाम निवेदन कर दूं। इसमें जोधपुर एरिड जोन में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर हैं। बीकानेर में कुछ गंगानगर है। जयपुर में बैराठ और जमवा रामगढ़ तहसीलों को छोड़ कर

(श्री मूलचन्द मीणा)

बाड़ी का इलाका है। जोधपुर में पाली है बाली व देसूरी व खारची तहसीलों को छोड़ कर। अलवर जिले में रामगढ़, किशनगढ़बास तहसील को छोड़ कर है। धोलपुर में बाड़ी, भरतपुर में बयाना तहसीलों को छोड़ कर है। इस प्रकार की व्यवस्था हमने कर रखी है ताकि जनता को कष्ट नहीं हो। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने जो सरकारी डिपो खोलने की बात कही है उनके बारे में व्यवस्था की गयी है और राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं। जहां भी जनता से डिपो के खोलने की डिमांड है उसके लिये यह निवेदन है कि सभी जगह पर डिपो खोलने मे यह दिक्कत है कि वह अधिक महंगे होंगे क्योंकि डिपो खोलने के लिये सरकार को कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है और दूसरे खर्चे लगने से काफी महंगा रहता है। इसलिये राज्य सरकार ने जिलाधीशों को यह कहा है कि लकड़ी व कोयले के डिपो जहां खोले जायं वहां विक्रय केन्द्र रखे जायें, या जो इनके एजेन्ट्स कायम किये जायं उन्हें वहां निकट के कूप या डिपो से नकद पैसे लेकर कोयला लेने वाले को कोयला और लकड़ी लेने वाले को लकड़ी दी जाय। लोडिंग और अनलोडिंग का जो खर्चा और दूसरे जो खर्चे हैं उन सभी को देख कर ही कलेक्टर भाव तय करे या जो सक्षम अधिकारी है वह भाव तय करे। ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे दिक्कत न हो। अधिक से अधिक स्थानों पर लकड़ी, कोयला, चाहे लकड़ी का कोयला हो, चाहे पत्थर का कोयला हो लोगों को मिलने में दिक्कत नहीं हो ऐसी व्यवस्था की गयी है।

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने जंगलों के बारे में कुछ अपने कटौती प्रस्ताव रखे थे। सभापति महोदय, राजस्थान में जंगलों की कमी पहले से ही थी। राजस्थान में पहले 11 प्रतिशत भाग में जंगल थे और जंगलों का डेन्स फोरेस्ट एरिया है वह हमारे यहां पर साढ़े बीस प्रतिशत था लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जन संख्या के बढ़ने से इसमें भी कमी आ रही है। अब लगातार राज्य सरकार पर यह प्रेशर आ रहा है कि इन भूमि को रिलीज किया जाय। अभी यहां अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अलवर जिले में वन भूमि को रिलीज करने की सिफारिश को थी वह जल्दी रिलीज की जाय। तो मेरा निवेदन है कि अब स्थिति जन संख्या के बढ़ने से ऐसी हो रही है कि कई जिलों से, चारों तरफ से यह मांग आ रही है कि वन भूमि को रिलीज किया जाय। जब एक बार जंगल खतम होते हैं तो जंगलों का प्लान्टेशन करने में काफी दिक्कत आती है। जैसे हमारे यहां उदयपुर में यह जो पहाड़ दिखायी देते हैं उनमें काफी घने जंगल लगे हुए थे। अब पत्थर इन पहाड़ों में से निकालने के कारण इन जंगलों के पेड़ों को खत्म किया गया। अब अगर इनमें पेड़ लगाना चाहेंगे तो इनमें समय भी लगेगा और खर्चा भी लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, हम सभी को यह चाहिये कि इन जंगलों को नष्ट होने से बचायें और इनकी खूबसूरती को नष्ट नहीं होने दें।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर वन्य प्राणियों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाया। इसके लिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने सन् 1972 में एक वाइल्ड लाइफ

(श्री मूलचन्द मीणा)

प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। उस एक्ट में यह व्यवस्था है, उसके शिड्यूल एक में कई प्राणी ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। अगर उनको कोई मार देता है तो उसको सजा दी जाती है। इसके अलावा इन वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिये यहां पर सेन्चुरीज बनाई गयी हैं जहां कि विशेष प्रकार के वन्य पशुओं को विशेष सुविधा दी जाती है जिससे कि वे आराम से घूम सकें और उनकी सुरक्षा भी कायम रह सके। इसके अलावा उन गेम्स सेन्चुरीज में इन वन्य पशुओं का प्रजनन भी अच्छी तरह हो सकता है। तो सभापति महोदय, इस प्रकार राज्य सरकार ने इन वन्य पशुओं के संरक्षण के लिये सुविधायें प्रदान की हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव सदन में दिये हैं उनका मैं आभारी हूं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन मांगों को पारित किया जाय।

श्री केसरी मल : सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न है। आज लोगों को लकड़ी किसी के दाह संस्कार के लिए बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। उसके लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? क्या ऐसी जगह पर जहां लकड़ी की कमी है वहां बिजली से दाह संस्कार की व्यवस्था हो सकती है? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है? क्या बिजली से वहां दाह-संस्कार करने की विशेष तौर से व्यवस्था करने का सरकार का विचार है?

श्री मूलचन्द मीणा : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर यह कोशिश की गयी है कि लकड़ी को फालतू नहीं जलाया जाय और उसको नष्ट होने से बचाया जाय। जिस जगह कोयले की जरूरत हो वहां कोयला काम में लिया जाय और जहां लकड़ी की जरूरत हो वहां लकड़ी काम में ली जाय। इसी तरह पत्थर के कोयले के बारे में है। हमें इसको ध्यान से काम में लाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, क्या वन्य प्राणियों में, जिनकी सुरक्षा के लिये व्यवस्था की गयी है, मोर भी आता है?

श्री मूलचन्द मीणा : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो मैंने यहां इस सदन में दिनांक 26 जनवरी को एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस आशय का दिया था कि रायसिंहनगर में चार लोगों ने एक मोर को मार डाला था और उसको मार के खा गये। जो शिकायत की, सभापति महोदय, 15 सदस्यों ने उस पर दस्तखत किये थे। पर मुझे दुःख है कि जिन लोगों ने उस मोर को मारा था उनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनका कोई चालान नहीं हुआ।

श्री मूलचंद मीणा : सभापति महोदय, इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है। आपने मुझे अभी बताया है तो इसकी मैं पूरी जानकारी मेरे विभाग से करूंगा और इसमें अगर वन विभाग के कर्मचारियों अथवा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

झगड़े की शुरुआत थी। शांति भंग करने के अपराध में और रैस्टोरेंट के मालिक को छात्रावास के कमरे में बन्द करने के अपराध में मुकदमा दर्ज किया गया है और 48 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। माननीय सदस्य को शिकायत है कि वहां डी-वाई.एस.पी. और एस.पी. ठीक तरह से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस सारे केस की जांच कराने का निर्णय किया है और डी. आई. जी., सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच को जांच के लिए देने का तय कर लिया है और जांच के जो परिणाम आयेंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

इसी तरह से टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जहां तक राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति का सवाल है, उन्होंने पुलिस की सराहना की है उसके लिए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस थानों पर जब रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो छोटी-छोटी बातों के लिए परेशान किया जाता है और वहां पर ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, पुलिस प्रशासन में सुधार की दृष्टि से राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं और कई अकुशल कर्मचारियों को रिटायर भी किया है। जो लोग ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते हैं या जनता के साथ सहयोग का व्यवहार नहीं करते हैं उन कर्मचारियों को भी पुलिस अधिकारियों ने समय-समय पर दंडित किया है। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जनता से ठीक तरह से व्यवहार करे और उनकी सेवा करे। इस व्यवस्था में जो भी कमी है, उसके लिए हम पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे और जनता की शिकायतों को दूर करेंगे।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी या कर्मचारी चुनाव के दौरान ड्यूटी पर गये उनको सरकार ने अग्रिम टी. ए. नहीं दिया, इसलिए प्रभावशाली व्यक्तियों के यहां भोजन करके वोटों में उन्होंने हेराफेरी की। अब तक तो राजस्थान में पुलिस प्रशासन के किसी व्यक्ति के बारे में किसी के साथ बैठ कर, चाहे प्रभावशाली हो या दूसरा, वोट में गड़बड़ी करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आप देंगे तो निश्चित रूप से मैं जांच करवाऊंगा और कोई कर्मचारी केवल खाना किसी का खाकर उसके प्रभाव में आया हो या वोटिंग में हेराफेरी की हो तो वह निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। सरकार ने जिन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर भेजा है उनके लिए निश्चित रूप से एडवांस टी. ए. की व्यवस्था की है। हमने जयपुर जिले में एक लाख रुपये एडवांस टी. ए. के रूप में पुलिस को दिये हैं इसलिए ऐसा प्रश्न पैदा नहीं होता।

उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में चोरियां पकड़ने में पुलिस डाग्स से सहायता मिलती थी वह सुविधा बंद हो गई। मेरा निवेदन है कि वे पुराने हो गये हैं इसलिए काम नहीं कर पाते हैं। ज्यों ही नये डाग्स प्राप्त हो जायेंगे, इस प्रणाली को फिर से प्रारंभ किया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अलग-अलग कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैंने उनके सवालात

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

के जवाब दिये हैं और यदि कुछ माननीय सदस्यों के सवाल रह गये हैं तो मैं बाकी कटौती प्रस्तावों की जानकारी करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 प्रस्तुत की गई है, उसे पारित करने की कृपा करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं तो प्रेमनाथ अग्रवाल के बारे में पूछना चाहता हूं कि डी. आई. जी. बजरंगसिंह ने जांच की है, उसमें कहा है तीन महीने तक एफ. आई. आर. पड़ी रही, डुप्लीकेट स्टेटमेंट्स सेम विटनेसिज के पकड़े गये वे लाकर में सील्ड हैं और आपकी कस्टडी में हैं। इसके बाद खुद आपने इस बात को स्वीकार किया है कि यह मेलोड्रामा होगा कि दुबारा सी. सी. ए. के तहत नोटिस दिया जाए। Prima facie it is a fit case for suspension. प्रेमनाथ अग्रवाल ऐसा कोनसा खुदा है कि इतनी बड़ी इर्रेग्युलेरिटी के बाद भी उसके सस्पेन्शन आर्डर्स नहीं किए?

दूसरी बात जो कमेटी कर्मचारियों के केसेज रिव्यू करने के लिए नियुक्त की है उसमें जो लोग सजा देने वाले थे उन्हीं लोगों को दुबारा अपील सुनने के लिए कहते हो। हैड कान्स्टेबल्स और इन्सपेक्टर्स के केसेज के अन्दर खुद एस. पी., डी. आई. जी. व आई. जी. जिम्मेदार हैं उनको अनिवार्य रूप से रिटायर करने के लिए। मैंने उनके मेरिट्स के आधार पर डिटेल्ड लिस्ट इस सदन में प्लेस की है और इस कमेटी पर आब्जेक्शन किया है। आप. इसमें चैयरमेन बनें, उसमें दो विधायक हों तब तो समझ में आता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक कम्पलसरी रिटायरमेंट का प्रश्न है, हैड कान्स्टेबल्स को रिटायर करने के लिए आई. जी. सदस्य नहीं थे बल्कि डी. आई. जी. चैयरमैन थे, एस. पी. सदस्य थे उन्होंने फैसला किया। रिव्यू कमेटी में गृहायुक्त चैयरमैन हैं, एक सेक्रेटरी सदस्य हैं और आई. जी. भी सदस्य हैं इसलिए वह कमेटी बिल्कुल भिन्न है। जिन्होंने रिटायर करने का फैसला किया वे रिव्यू कमेटी के सदस्य नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जन प्रतिनिधि है, आपमें हमारा विश्वास है, आप हीयरिंग करें, दो सदस्य इस सदन के लिए जायें। बहुगुणा इस बात के लिए निकाला गया कि उन्होंने खुद ने हीयरिंग नहीं दी। रिटायर्ड आदमियों ने नाराज होकर निकाल दिया, वह वापस पहुंच गया?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिन्होंने रिटायर किया, जिन्होंने सजा दी वे उस कमेटी के सदस्य नहीं हैं, हायर आथोरिटी के सदस्य हैं रिव्यू कमेटी में। एस. पी., डीवाई. एस. पी. और इन्सपेक्टर्स का रिव्यू हो चुका है। बाकी कान्स्टेबल्स और हैड कान्स्टेबल्स का रिव्यू नहीं हुआ है, उसका शीघ्र फैसला करेंगे।

प्रेमनाथ, एस. एच. ओ. के बारे में, जो रायसिंहनगर में था, कहा कि उसने गड़बड़ की थी। मैंने कहा था कि उसकी जांच के लिए डी. आई. जी. बीकानेर को नियुक्त किया गया है और डी. आई. जी.

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
ने रूल 16 सी. सी. ए. का नोटिस दे दिया है। उसकी कार्यवाही विचाराधीन है। कार्यवाही पूर्ण होते ही उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रेमनाथ के बारे में रूल 16 सी.सी ए. के तहत कार्यवाही चल रही है उसमें पूरी निष्पक्षता बरती जायेगी, कोई रियायत नहीं की जायेगी।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सीकर में जांच हो रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जांच कौन करेगा ? एस.पी. या डी.एस. पी. ? एस.पी. की इन्क्वायरी एडिशनल एस.पी., सी.आई.डी. कर लेगा क्या ?

जिस प्रकार से आकर 400 आर. ए. सी. वाले छात्रावास पर टूट पड़े यह चीज कहां तक ठीक मालूम होती है ? यह कहा गया कि कोई आदमी पकड़ कर कमरे में बैठा दिया गया था। वहां डी. एस. पी. आया था जीप लेकर सीकर वाले के इलेक्शन का पक्ष करके। उस बात को दबाने के लिए डी.एस.पी. ने यह साजिश की और यह मनगढ़न्त बात की गई। यह जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। पांच दिन तक कामरेड त्रिलोकसिंह को पुलिस घेरे रही और बोर्डिंग हाउस को चारों तरफ से पुलिस घेरे रही। यह चुनाव का मामला था। वहां विद्यार्थी रहते हैं तो क्या लड़कों के ऊपर यह आक्रमण नहीं था ? लड़कों पर केसेज थे तो उन्हें वारन्ट काट कर भेज कर बुलाया जा सकता था। इस प्रकार पुलिस के 350–400 आदमियों का हमला करना कहां तक न्यायोचित चीज मालूम होती है ?

यह 10 तारीख का मामला है और आज 18 दिन हो गये। क्या मंत्री महोदय इस बात का पता चिट्ठों से नहीं लगा सके, तार से नहीं लगा सके ? कितने जुल्म और ज्यादतियां उन लड़कों के साथ हो रही हैं। विद्यार्थियों के इम्तिहान के दिन हैं और 41 छात्र इस प्रकार से केसेज में घसीटे जा रहे हैं और बरबाद किये जा रहे हैं। यह क्या न्यायपूर्ण बात हो रही है ? मैं तो यह जवाब चाहता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक डी.एस.पी. साहब की जांच का प्रश्न है शिकायत पेश नहीं हुई है। प्रश्न सिर्फ इतना ही है।

श्री मोहरसिंह : डी.एस.पी. के खिलाफ शिकायत पेश नहीं हुई थी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनने का कष्ट करें। उसके सम्बन्ध में भी शिकायत है। जहां तक मुकदमे का प्रश्न है उस पर मुकदमा रजिस्टर किया गया है। राज्य सरकार ने इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए इस मुकदमे को क्राइम ब्रान्च को शिफ्ट करने के आदेश दे दिये हैं। उसके मुतल्लिक शिकायत होने पर पुलिस तफतीश ठीक तरह से नहीं कर रही यह बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी इन्वेस्टीगेशन कोई एडिशनल एस. पी. नहीं करेंगे, स्वयं एस. पी. अपने स्तर पर करेंगे।

श्री मोहरसिंह : कौन से एस. पी. ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एस. पी. क्राइम ब्रान्च करेंगे।

श्री मोहरसिंह : क्राइम ब्रान्च का मतलब सी. आई. डी. से है क्या ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह मुकदमा क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। एस. पी. क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहरसिंह : लड़कों की परीक्षा का सवाल है. उनकी तैयारी का सवाल है कितने दिन में आजाद करवा देंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमें लड़कों से दुश्मनी नहीं है।

श्री मोहरसिंह : दुश्मनी नहीं ? 41 लड़कों को घसीटा जाय-450 आर. ए. सी. के लोगों से हमला करायें तो दुश्मनी नहीं तो क्या है ? 18 दिन हो गये, आप कहते हैं शिकायत नहीं है तो शिकायत क्या होती है ? आपके पास क्या हजारों आदमी आकर खड़े हों–उसी का नाम शिकायत है ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देने दीजिये।

श्री मोहरसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, यह बहुत बड़ा सवाल है। सारे सीकर जिले में इसका रोष है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर वे जवाब न दें तो उनकी मर्जी। I cannot force him.

श्री मोहरसिंह : 18 दिन हो गये और आप कहते हैं डी. एस. पी. के खिलाफ शिकायत नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस गम्भीरता से चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं उसी गम्भीरता से राजस्थान सरकार इस प्रश्न पर चिन्तित है। आपको चिन्ता ज्यादा है और राजस्थान सरकार की कम, यह बात नहीं है। मैं आपकी भाषा का प्रयोग अपनी भाषा में नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच करायेगी और क्राइम ब्रांच के जो हमारे एस. पी. हैं वे स्वयं करेंगे।

श्री मोहरसिंह : आपकी निष्पक्षता मालूम हो जायेगी। आपकी निष्पक्षता असर लायेगी।

श्री केशरीमल : इतने आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया, उनको तकलीफ हुई। उन पर से मुकदमे वापस हटाना चाहते हैं या नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब उनके मुकदमे तो वापस उठा लेने चाहिये। मैंने यह निवेदन किया कि मैंने बहुत पत्र लिखे, कोई इन्सपेक्टर था, उसके बारे में। उसने बदमाशी की। आपने कोई उत्तर नहीं दिया–मैंने पत्र भी लिखे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने कोटड़ा के बारे में आपको आश्वस्त किया था। सारी घटना की मैं जांच कराऊंगा। जांच के बाद दोषी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लूंगा। अगर गलत चालान किये गये, गलत हैरेस किये गये तो केसेज भी विथड्रा किये जा सकेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर· · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सी. आई. डी. को बन्द करने का विचार है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : 31 कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं और माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मुझे प्रसन्नता है कि इस मांग में पूरी दिलचस्पी दिखाई है। निःसंदेह किसी राज्य और इलाके के लिए सड़कों का निर्माण और उनका रख-रखाव बहुत जरूरी है। मान्यवर, सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कुल सड़कों की लम्बाई 35,719 किलोमीटर है जिसमें से 18,849 किलो मीटर बी.टी. रोड्स हैं, 4,933 किलोमीटर मेटल्ड रोड्स हैं तथा 11,937 ग्रेवल्ड और कच्ची रोड्स हैं। इन सड़कों के रख-रखाव, संरक्षण, मेन्टीनेन्स और रिपेयर के सिलसिले में भारत सरकार ने 1968 में एक कमेटी बैठायी थी, कि प्रति किलोमीटर सड़क के साधारण रख-रखाव और रिपेयर पर कितना खर्चा आता है वह इस प्रकार से है, बी. टी. रोड्स के रख-रखाव पर 8,100/- आता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मे 9,000/- प्रति किलोमीटर आता है। रेगिस्तान में बी. टी. रोड्स एवं मैटल्ड रोड्स पर 8,700/-, ग्रेवल्स रोड्स पर 4,000/- और कच्ची सड़क पर 1,000/- प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। इस हिसाब से देखें तो राजस्थान की इतनी लम्बी चौड़ी सड़कों के लिए 26 करोड़ रुपये का खर्चा प्रति वर्ष अनुमानतः आता है जब कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस वर्ष के अन्दर 13 करोड़ 87 लाख रुपये का प्रावधान किया जिसके तहत इस बात की व्यवस्था की गई है। जहां-जहां पर अत्यंत आवश्यक जरूरत महसूस की गई वहां पर 13 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। निःसन्देह जैसा अनुमान है 26 करोड़ रुपये राज्य सरकार को मिलते तो जो आकांक्षा माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है वह निश्चित रूप से पूरी होती। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने उनके जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जितना काम किया है उसके बारे में अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने यहां पर सड़कों के नये निर्माण और मरम्मत के लिए भी जोर दिया।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र और गंगानगर जिले की सड़कों के बारे में, उनकी मरम्मत और रख-रखाव के बारे में भी जिक्र किया। मैं माननीय सदस्य की जानकारी हेतु निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सड़कों के बारे में आपने जिक्र किया है वह सड़कें बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन के तहत चली गयी हैं और उनकी जिम्मेदारी रख-रखाव, मरम्मत की भारत सरकार की है। फिर भी इस वर्ष जो बोर्डर रोड्स के अलावा राजस्थान सरकार के तहत सड़कें हैं उन सड़कों के रख-रखाव और मेन्टीनेन्स के लिए राजस्थान सरकार ने 47 लाख रुपये खर्च किये हैं। इसके अलावा कुछ सड़कें और रहती हैं मरम्मत करने लायक, जो पोर्शन्स बचे हैं, मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा और मैं आभार मानूंगा

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि माननीय सदस्य इस बात की जानकारी दें कि किस-किस सड़क की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि प्रायोरिटी बेसिस पर सड़कों की मरम्मत का काम हाथ में लिया जा सके।

टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की तारीफ की कि जयपुर-टोंक और टोंक-देवली सड़क से जोड़ा गया है और उसकी मरम्मत और रख-रखाव की व्यवस्था ठीक तरह से हुई। लेकिन आपने इसकी इच्छा जाहिर की कि टोंक, जो बड़ा कस्बा है और जिसकी पापुलेशन एक लाख के आस-पास है और जो नेशनल हाईवे विचाराधीन है जयपुर से टोंक और कोटा जाने वाला तो वह रास्ता शहर में से गुजरता है। मैं आपकी बात को मानता हूं और आपने पहले भी एक प्रश्न के द्वारा विधान सभा में यह बात उठाई थी। मैं इस बात की व्यवस्था कर रहा हूं कि अगले वर्ष में टोंक बाई-पास की व्यवस्था की जा सके। आगे वाले वर्ष में इसको जरूर रखा जायेगा।

सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मांग प्रस्तुत की है और जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनको मैंने ध्यानपूर्वक देखा है। जिस सड़क की मरम्मत का जिक्र किया है वह सड़क बनी ही नहीं है। वह कच्ची सड़क है, फेमिन रोड है। जहां तक उनके कटौती प्रस्ताव की मंशा है, वह मन्शा इसलिए पूरी नहीं होती, उसकी मरम्मत का सवाल इसलिए नहीं है कि वह सड़क अभी बनी ही नहीं। कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए आपने मांग की कि सादुलपुर से साखूं और साखूं से सिधमुख तक की सड़क का निर्माण हो। माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है कि यह कितनी लम्बी सड़क है, जिसका निर्माण कराया जाये। मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपये के आस-पास उसका खर्च बैठता है। माननीय सदस्य की इस मांग को पूरा करने में मैं अपनी असमर्थता जाहिर करूंगा लेकिन इसकी चेष्टा करूंगा। झुंझुनूं से राजगढ़ वाया मलसीसर और साखूं यह महत्वपूर्ण सड़क है और बहुत पुरानी सड़क है। माननीय सदस्य की जानकारी हेतु मैं बताऊं कि झुंझुनूं से साखूं तक की सड़क की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है और उसका निर्माण कार्य भी चालू है। अगले वर्ष के बजट में देखेंगे कि किस प्रकार से सड़क के राजगढ़ के पोर्शन में कितना काम किया जा सकता है। जो साधन उपलब्ध होंगे उनको ध्यान में रखते हुए उस पोर्शन को इसमें लाने का प्रयत्न करेंगे।

मान्यवर, इसके अलावा दूसरे माननीय सदस्यों ने भी, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपने अपने क्षेत्र के अभाव–अभियोगों के संबंध में जिक्र किया। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने लाडनूं के संबंध में जिक्र किया। वहां सड़कों की मरम्मत कराई गई है और जितनी धनराशि उपलब्ध हुई है उसके हिसाब से लाडनूं क्षेत्र में भी काम किया गया है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, कि वहां सड़कों की हालत अत्यंत खराब है।

बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने यहां के इलाके के संबंध में जिक्र

(श्री रामनारायण चौधरी)

किया है। माननीय सदस्य को स्वयं को जानकारी है कि उनके क्षेत्र में इस समय भी तीन-चार सड़कों का काम चालू है और जो मरम्मत योग्य सड़कें हैं उनका काम भी करवाने की व्यवस्था की गयी है और की भी जा रही है। अलवर जिले में बानसूर पंचायत समिति क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और नयी सड़कों के बनवाने में पैसा खर्च किया जा रहा है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्य का यह कहना उचित नहीं है कि बानसूर पंचायत समिति क्षेत्र में कार्य नहीं कराया गया। नारायणपुर से बानसूर और बानसूर से हरसोरा सड़क का प्रश्न है इसकी सामान्य मरम्मत करायी जाती रही। और भी माननीय सदस्यों ने सड़कों का मामला रखा है तो प्रायोरिटी बेसिस पर किसी को लेने की बात होगी और माननीय सदस्य सुझाव देंगे तो उनका मैं पूरा ध्यान रखूंगा।

दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये और अपनी बातें यहां पर कही हैं। मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जो साधन आप हमें उपलब्ध करायेंगे और इस सदन से जो धन हमको उपलब्ध होगा उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करने की कोशिश की जायेगी। माननीय सदस्यों के जो सुझाव अगले वर्ष में प्राप्त होंगे मैं इसका प्रयत्न करूंगा कि उन सुझावों के अनुसार कार्य हो और सड़कों की मरम्मत का कार्य उनके सन्तोष के लायक हो।

इन शब्दों के साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि जो मैंने मांग प्रस्तुत की है सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में, उसे पारित किया जाये।

श्री मोहरसिंह: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मरम्मत शब्द आया है लेकिन जो मैंने कटमोशन भेजा था उसमें यह शब्द नहीं था। इन्होंने गलती से ऐसा भेजा है। रोजाना मेरे चलने का रास्ता है। बनाने का ही सवाल है। मरम्मत इन्होंने गलती से कर दिया है। दूसरी बात आपने कही कि एक करोड़ रुपया लगेगा लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इतने बड़े क्षेत्र में यह रोड़ है, यह पाकिस्तान तक जाती है। तो बोर्डर को छोड़ कर बाकी सारे 200 गांवों में 54 मील सड़क है। तो एक करोड़ हो या डेढ़ करोड़ हो, आपने हमारे इलाके को बहुत नेगलेक्ट किया है, अब उसकी पूर्ति आपको करनी चाहिए। इसलिए आप एक करोड़ की बात करते हैं यह सही नहीं है क्योंकि डिफेन्स रोड काटने के बाद 54 मील की ही सड़क है जो कि जिले में सबसे कम है और प्रान्त में सबसे कम तो है ही।

श्री केशरीमल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने डिपार्टमेन्ट को बहुत लिखा। मैंने निवेदन किया कि मेरे इलाके में एक किलोमीटर तो क्या एक इंच भी सड़क नहीं बनी। मैंने सिर्फ यह कहा कि दो सड़कें बनवाना बहुत जरूरी है और वहां डामर डलवा सकते हैं। पता नहीं यह डामर कहां डालते हैं। किसी के चेहरे पर डलवा दें तो भी उसका उपयोग तो हो जाये। आखिर कहां जायेगा वह? आप एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनवा सकते।

Page No 96

(श्री केशरीमल)

थोड़ी सी डामर भी नहीं डलवा सकते। जरा सा काम नहीं करवा सकते। हम वर्षों लिखते रहे लेकिन कोई काम नहीं होता।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने 7 कटौती प्रस्ताव दिये और जिन सड़कों के बारे में आपने जिक्र किया है वह सड़कें या तो फेमिन के समय की बनी हुई हैं या कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि सरकार के प्रोग्राम के तहत बनी हैं·····

श्री केशरीमल : कोटड़ा, ब्यावर, भीम टाडगढ़ यह सब सड़कें हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जो सड़कें सरकार के मिनिमम नीड्स प्रोग्राम प्लान के तहत बनी हैं उन सड़कों के लिए हम अगले वर्ष के बजट में प्रयत्न करेंगे कि माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं के अनुसार उनकी रख-रखाव और मरम्मत हो। मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि आगामी महीनों में जो सड़कें पक्की बनी हुई हैं, जो मेटल्ड बनी हुई हैं और जो बी. टी. बनी हैं उनकी रिपेयर्स की आवश्यकता है, आपने यह आकांक्षा और आशा राजस्थान सरकार से की है। जो साधन उपलब्ध होंगे उनके अनुसार उनको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान।

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,65,83,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,90,39,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,83,46,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)
9,65,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 16,62,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,42,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 91,76,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,28,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महो-

(श्री उपाध्यक्ष)

दय को 1,76,06,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,56,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,93,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,87,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,04,56,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,79,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,66,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,13,40,000 रुपये तक की राशि....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: 3 करोड़ 13 लाख 45 हजार।

श्री उपाध्यक्ष: What I have, I am reading that out.

श्री रामनारायण चौधरी: That is correct.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,13,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 88,22,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,66,76,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,58,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,80,94,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,16,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,71,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,78,82,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,41,65,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,70,44,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,58,000 रुपये तक की राशि और प्रदान को जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,84,38,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 2,02,16,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,19,08,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,07,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,20,88,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च,

Page No 102

(102)

(श्री उपाध्यक्ष)

1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,38,98,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 के सम्बन्ध मे 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,93,54,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 92,76,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,90,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 69,18,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,43,54,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महो-

(श्री उपाध्यक्ष)

दय को 96,09,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदानकी मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,45,71,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 65,16,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,35,53,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,23,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

विधायी कार्य। विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन।

माननीय वित्त मंत्री जी।

Page No 104

(104)

श्री चन्दन मल वैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दन मल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में विभिन्न विभागों की सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स को प्रस्तुत किया गया है और इसमें बहुत से इम्पार्टेन्ट विभागों के सम्बन्ध में राशि चाही गई है। तीन विभागों के सम्बन्ध में तो सदन में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं और इन सारे विभागों के सम्बन्ध में थोड़े समय में सदन में डिस्कस करना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। लेकिन जिन विभागों के सम्बन्ध में बहुत अधिक राशि चाही जानी चाहिये थी, पता नहीं बहुत कम राशि की मांग क्यों की गई है ? कुछ ऐसी समस्या भी पैदा हुई है जिनका निराकरण बहुत आवश्यक है। मैं विशेष रूप से पशुपालन विभाग को लूंगा। डेयरी विभाग के सम्बन्ध में गवर्नर साहब ने अपने बजट भाषण के समय इस बात को महसूस किया था कि जो चिलिंग प्लान्ट–8,10 सारे रेगिस्तानी क्षेत्र में लगाये जायेंगे जिनकी 10 हजार की कैपेसिटी है चाहे वह बालोतरा में, लूनकरणसर में हो या अन्य किसी जगह हो आज उन चिलिंग प्लान्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाकर 20 हजार करने का विचार सरकार रखती है। लेकिन जहां डेयरीज का प्रश्न आता है ऐसा कोई तालमेल इससे नहीं बैठता है तो 20 हजार लीटर की कैपेसिटी कैसे करते हैं। दूध की दो फैक्ट्री इस्टाल की हैं–जोधपुर और बीकानेर में उनकी कैपेसिटी को एक लाख से दो लाख करना चाहते हैं। राजस्थान का 60 प्रतिशत हिस्सा, उपाध्यक्ष महोदय, डेजर्ट में है और राजस्थान के अन्दर चाहे भेड़ हो, चाहे अन्य पशु हो–हम सारे भारत वर्ष में इस सम्बन्ध में अपना एक अग्रणी स्थान रखते हैं, इस बात को स्वीकार किया है। जो ऊन हिन्दुस्तान में होती है उसकी 40 प्रतिशत ऊन केवल राजस्थान में होती है और सबसे बढ़िया किस्म की ऊन होती है वह हमारे डेजर्ट जोन में होती है। आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जोधपुर की बेल्ट, बीकानेर की बेल्ट और चूरू की बेल्ट में केवल एक कारखाना बीकानेर में चलता था और वह कारखाना लूला-लंगड़ा आज तापड़िया के गहने पड़ा हुआ है जिसमें हजारों लोग काम करते थे। आज उनका भविष्य अन्धकारमय है। जो ऊन बेचते हैं, उनका भी बहुत बड़ा शोषण उस क्षेत्र में हो रहा है जो ऊन का क्षेत्र है। वे बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े गौरव की बात है कि हमारी यह बेल्ट आज सारे देहली को दूध पिलाती है चाहे वह लूनकरणसर

Page No 105

(105)

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

की हो और चाहे बीकानेर की हो लेकिन आज बीकानेर में रहने वाले बच्चे दूध की एक-एक बूंद के लिये तरसते हैं। आज इतनी बड़ी डिमान्ड है। हमने चिलिंग प्लान्ट लगाया है और सरकार स्वीकार करती है कि 10 हजार से 20 हजार की कैपेसिटी कर देंगे आखिर वह कौन-सा फण्ड है जिससे आप इन दस बारह चिलिंग प्लान्ट्स की कैपेसिटी दस हजार लीटर से बीस हजार लीटर कर देंगे ? आखिर वह कौन-सा फण्ड है ? मैं समझता हूं कि इस बेल्ट के लिए केवल एक ऊन की मिल और इतना सा चिलिंग प्लांट और दो मिल्क प्रोडक्ट इण्डस्ट्री बिल्कुल सफिशियेंट नहीं हैं। बल्कि सन् 1959 में ढेबर भाई ने पशु विकास की जो योजना दी थी उससे भी बिल्कुल पीछे है।

अब मैं मत्स्य पालन को लेता हूं। मत्स्य पालन की जो योजनायें चल रही हैं उसके अन्दर साठ प्रतिशत हिस्सा, उपाध्यक्ष महोदय, घग्घर से आने वाले पानी से जो मत्स्य निकलता है उसका है। बीस–बीस लाख का उत्पादन केवल घग्घर से आने वाले पानी से मत्स्य विभाग ने मत्स्य निकाल कर लिया है। वहां 18 झीलें ऐसी हैं जिनके बारे में बराबर मैं यहां पर रो चुका हूं, राजस्थान कैनाल का एक हजार क्यूसेक पानी रात-दिन पड़ा रहता है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में 38 हजार एकड़ भूमि दबी हुई है। इन झीलों के अन्दर सात-आठ फीट पानी बेकार पड़ा हुआ है और उसका आल्टरनेट कमाण्ड लैंड सरकार देने को तैयार नहीं है। आज मत्स्य विभाग जिनके पास खातेदारी राइट्स हैं उनको आल्टरनेट लैंड नहीं दे रहा है। क्या अधिकार है मत्स्य विभाग को कि बीस लाख रुपया वहां की मछली बेच कर कमाये और बड़ी शान से घोषणा करे कि हमने बीस लाख की मत्स्य बेच दी, हमने मत्स्य पालन कर दिया ? वह घग्घर का पानी सारी बेल्ट में पहुंचता है। उसने लोगों के खेतों को काट दिया है। लोगों की जमीनें तबाह कर दी हैं। आज पुलिस लट्ठ लेकर खेतों में पहुंच जाती है और मत्स्य नीलाम करा लेती है। जो लोग वर्षों से वहां बैठे हैं, 1928 में जिन्होंने जमीनें खरीदी थीं उनकी खरीदी हुई जमीनों को घग्घर के पानी ने आकर तबाह कर दिया, उन जमीनों पर गड्ढे कर दिए और उनको खेती के योग्य नहीं रखा लेकिन सरकार आल्टरनेट जमीन देने को तैयार नहीं है। लोगों ने बार-बार आवाज उठाई कि इस जमीन के बदले हमें आल्टरनेट जमीन दो। उस जमीन पर घग्घर का पानी चला गया, मत्स्य पैदा हुई, पशुपालन विभाग अपने राइट लेकर खेतों पर पहुंच गया और पुलिस ने उन लोगों का मछली आखेट कर दो। जमीन आल्टरनेट दी नहीं और मछली का नीलाम कर दिया....

श्री केदारनाथ : अगर मीणाभाई होते तो मछली को नीलाम नहीं करते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे तो आदिवासी गरीबों को भी मछली बना देते।

और भी बहुत से प्रश्न हैं। आज नीतियों के प्रश्न गहरे उठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि सारी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स के अन्दर और बहुत से इम्पोर्टेन्ट मसलों को दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसी व्यवस्था

Page No 106

(106)

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

कहीं इसके अन्दर किसी प्रकार से नजर नहीं आती कि किसी प्रकार से उनका प्रोविजन इसके अन्दर किया गया हो। मिसाल के तौर पर कोई प्रोविजन नहीं है इसमें जिसमें मोतीराम कमेटी के सम्बन्ध में जिक्र किया गया हो। करीब 13,35,53,000 की मांग संख्या 45 बहुत बड़ी मांग है। यदि वित्त मंत्री महोदय डिटेल में बताते कि मोतीराम कमेटी ने जो बात कही थी, उसके अनुसार सारे कैनाल को, जिसकी कैपेसिटी तीन सौ क्यूसेक का है जिसे सूरतगढ़ ब्रांच पर शिफ्ट कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है, इसके अन्दर उसकी जानकारी होती तो मुझे बड़ा संतोष होता। मुझे बहुत खुशी होती यदि इसमें जिक्र होता कि जैतसर और अमरसर की कैपेसिटी पच्चीस पर्सेन्ट से बढ़ा कर अस्सी पर्सेन्ट से अधिक हो चुकी है। वित्त मंत्री स्वयं बीस सूत्री कार्यक्रम समिति के इन्चार्ज थे, एक सब-कमेटी बनी थी और उस बीस सूत्री कार्यक्रम समिति की सब-कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुई थी। उस सब कमेटी की रिकमण्डेशन था फतेहबाद का जो बासठ हजार क्यूसेक पानी, साउथ घग्गर का पानी सदर ब्रांच के अन्दर अमरसिंह और जैतसर नहर और भादरा के लोगों को देंगे, जिनको गारण्टी दी थी कि पूरा पानी देंगे। क्या हुआ इस सबका? इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह गारण्टी दी थी कि अस्सी हजार एकड़ लैंड अनकमाण्ड पड़ी हुई है गग कैनाल क्षेत्र के अन्दर जिसको आज राजस्थान कैनाल से पानी लग रहा है, उसको मोतीराम कमेटी के तहत इरिगेशन के लिए पानी देने की बात थी लेकिन आज भी भाखड़ा की साठ सत्तर हजार एकड़ जमीन को इरिगेशन के लिए भाखरा और राजस्थान कैनाल से महरूम कर दिया, चाहे उसमें भादोदा की ढाणी की जमीन है चाहे उसमें सरदारपुरा बीजा की जमीन है, दूसरी जमीन है, जिसका इस रिपोर्ट में डिटेल्ड जिक्र किया गया है। मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कोई हड़ताल होती है, भूख हड़ताल होती है, कोई नारा देते हैं, चुनाव में बार-बार घोषणा करते हैं, मुझको बताइये कि इतने बड़े बजट के अन्दर जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन मोतीराम कमेटी की रिकमण्डेशन को पूरा करने के लिए आता है जिसमें आपने 13 करोड़, 35 लाख और 53 हजार का प्रावधान किया है लेकिन मोतीराम कमेटी के एक भी आइटम को पूरा करने के लिए क्या आपने इतने बड़े तेरह करोड़ के बजट में कोई प्रोविजन किया है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े खेद से कहना चाहता हूं कि 3 नवम्बर, 1969 को किसानों का आन्दोलन शुरू हुआ था और 20 हजार लोग जेलों में गये। आपने अभी एक लाख लोगों को भारत भर में मुक्त किया है, उन लोगों को नजरबंदी में रखा लेकिन उस समय केवल अकेले गंगानगर जिले से बीस हजार लोगों को गिरफ्तार करके सारे राजस्थान की जेलों को भर दिया और मध्य प्रदेश और हरियाणा से जेलों को उधार लेना पड़ा। गंगानगर की इस पोवल की प्राब्लम का सबसे बड़ा कारण वाटर प्राब्लम है। आपने वाटर यूटिलाइजेशन कमेटी बना रखी है। इस वाटर यूटिलाइजेशन कमेटी का एक अध्यक्ष बना रखा है। आज हजारों फाइलें इरि-

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

गेशन डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं। हजारों तरह के झगड़े हैं, वाड़ाबन्दी के झगड़े हैं, वाटर कोर्सेज के झगड़े हैं। लैंड के कमान्ड के झगड़े हैं। सुबह से शाम तक वाटर कोर्सेज पर घेरे लगा दिये जाते हैं। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ और बीस हजार लोगों ने बगावत कर दी थी। गंगानगर में केवल वाटर यूटिलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन को आपने केबिनेट रैंक दे रखा है, आप बता दें कि इन्होंने किसी एक केस को सुना हो, किसी वाटर कोर्स के केस को सुना हो, किसी आउटलेट का केस देखा हो, किसी वाड़ाबन्दी का केस देखा हो, किसी वाटर प्राब्लम को और किसी वाटर यूटिलाइजेशन की प्राब्लम को इस वाटर यूटिलाइजेशन कमेटी ने फाइनल किया हो? सिर्फ एक पोलिटिकल गोशाला बना रखी है। क्या कभी कोई रिपोर्ट की है, किसी सब-डिविजनल हेडक्वार्टर पर पहुंच कर लोगों की प्राब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है? क्या किसी समस्या को हल करने की कोशिश की है? चूंकि एक राजनैतिक नेता चुनाव में खड़े हो गए तो दूसरे महोदय को राजी करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए चेयरमैन बना दिया। गंगानगर के इन गरीब किसानों को जो बाड़े बन्दी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं, जिनको मोतीराम कमेटी ने होप दिलाई थी कि जो वाटर ट्रीटी से लोसेज हुए हैं और 1969 की ट्रीटी से भाखरा का पानी पाकिस्तान के अन्दर जाता रहा है. अब मोतीराम कमेटी के द्वारा वह वाटर लोसेज रीकवर कर दिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से सिंचाई मंत्री और वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि वह अकाली पार्टी के मैनीफेस्टो को पढ़ें। जिस प्रकाशसिंह बादल ने रावी और व्यास के सारे वाटर का क्लेम पंजाब के लिए रिजर्व कर लिया है वही प्रकाशसिंह बादल जब गंगानगर और रायसिंहनगर में तशरीफ लाये थे तो उन्होंने यह कहा था कि हम रावी और व्यास से एक बून्द पानी राजस्थान को देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, प्रो. केदार उनके पास मंच पर बैठ कर इस बात को कन्ट्राडिक्ट नहीं कर सके हैं। लेकिन वहां के किसान को अपने हितों की रक्षा के लिये संघर्ष करना पड़ेगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि यह इण्टर-प्राविंशियल प्रोजेक्ट है इसमें आपका हिस्सा है, इस हिस्से पर वे हाथ लगाने देने वाले नहीं है। मैं इस प्रश्न पर कहना चाहता हूं, कभी भी 6 /... से ज्यादा भाखड़ा नांगल से राजस्थान को पानी नहीं मिला। यह खुद भाखड़ा बोर्ड के चेयरमैन की रिपोर्ट है, राजस्थान के पानी की चोरी होती है, हरियाणा है। क्या उनको हिस्सा दिलवा दिया है इन्दिरा गांधी ने? वही भुलावा दिया है। आपकी गंग कैनाल के दोनों तरफ के पेड़ पंजाब सरकार ने कटवा लिये हैं। चण्डीगढ़ में आपने बोर्ड बैठा दिया है। कोई अधिकारी वहां जाना नहीं चाहता है। जाता है तो अपनी इज्जत लेकर वापिस आ जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आकांक्षाओं को बताऊं। अगर यह आप सोचते हैं कि इन प्राविंस को बिना चैलेंज किये हुए आप कुछ कर सकेंगे तो गलत सोचते हैं। आपको अपनी पापूलेशन से ताल्लुक रखने वाली प्राब्लम्स को देखना है। राजस्थान में मीठा पानी देने की प्राब्लम है। राजस्थान में इरिगेशन की

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

मालूम है, आज राजस्थान के सारे क्षेत्र के पशुओं को मध्य प्रदेश वगैरह में ले जाया जाता है। गंगानगर में इरिगेशन की प्राब्लम को हल करना है। ऊंचे से ऊंचे किसानों से लेकर गरीब से गरीब किसानों की जिन्दगी से ताल्लुक रखने वाले कई प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस डिमाण्ड के बारे में कहना चाहता था। पुलिस डिमाण्ड के बारे में कट मोशन नहीं दे सका। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का उपयोग किस तरीके से इस इलेक्शन में किया गया है। एक डी.आई.जी. का ट्रांसफर इस आधार पर किया गया। सिंघवी जैसा एक भला आदमी डी.आई.जी. वहां से इसीलिये हटा दिया गया और आने वाले डी.आई.जी. भागीरथ खुले आम एक राजनैतिक पार्टी का प्रचार करते रहे। वर्दी में और सादे कपड़ों में रायसिंह नगर और दूसरे गांवों में जाकर कांग्रेस को वोट देने के लिए लोगों को उन्होंने धमकाया। कांग्रेस को वोट दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस कर दिये जायेंगे। डीवाई. एस.पी. रघुवीरसिंह और उसका एक रिश्तेदार थानेदार जसवन्त सिंह पार्टी विशेष को वोट देने की मांग करते रहे। यह क्या तरीका था? मैं वे सारे मसले इस सदन में समयाभाव के कारण नहीं रख सकता जिन मामलों में गरीबों को थाने में बुलाकर रेगिंग किया गया, लोगों पर प्रेशर डाला गया है। इन कारणों से किसी जमाने में जो जन आक्रोश था उससे भी ज्यादा लोगों में आक्रोश है और पहले से ज्यादा जन आक्रोश प्रकट हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहता हूं। जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट है। इस जनता पार्टी में जिस विचारधारा के लोग हो सकते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, कांग्रेस के अन्दर ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी है आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। आप भले ही उनकी राय को ग्रहण नहीं करें लेकिन वे वर्गों के आधार पर तय करने वाले नहीं हैं। मैं प्रशंसा करूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बाउण्डेड लेबर एक्ट की धारा बताते हुए कहा था कि सागड़ी सागड़ी है। सागड़ी मुक्त होगा। आप उस कानून को बदलने को तैयार हो जायें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज गांव का गरीब मजदूर है, चाहे वह सामान्य कृषक हो, चाहे वह सागड़ी हो, चाहे लघु किसान हो अगर आप ज्यादा मजबूती से, उनके हक में, उनके बारे में कानून बनायेंगे तो यह आपकी हार हार रहने वाली नहीं है। प्रजातांत्रिक शक्तियों को साथ लेकर इस काम को करना पड़ेगा। लेकिन अगर धन्ना सेठों के सामने घुटने टेकने की नीति जारी रहेगी तो न आप रहेंगे न हम रहेंगे और न प्रजातान्त्रिक शक्तियां रहेंगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : आप तो रहेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब आप डूबेंगे तो आप के साथ और भी डूबेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, अमेण्डमेण्ट बहुत हैं। मेरा निवेदन है

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

कि उनको सम्भाल कर रखना है। 'हम' से मतलब हमारा प्रजातान्त्रिक शक्तियों से है। जो दक्षिणपन्थी ताकतें हैं जो जन विरोधी ताकतें हैं, वह 'हम' शब्द से बाहर हैं। हम निश्चित तौर से कहते हैं कि शक्तिशाली एचीवमेण्ट है इस हिन्दुस्तान के साथ भट्ट और न्यूक्लियर ब्लास्ट आदि। इनको भुला नहीं सकते हैं। स्टील फैक्ट्री हिन्दुस्तान का एक नेशनल एचीवमेण्ट है। प्रोडक्शन में एचीवमेण्ट किया है। बेसिक फैक्ट्री लगाई हैं। वह सारी दुनियां मानती है। केवल उनकी सुरक्षा का प्रश्न है। एक वर्ग विशेष ने पूरी ताकत के साथ जनता पार्टी को समर्थन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सी. आई. ए. के और सटोरियों के फाइनेंसेज बाजार में आये हैं। इस कारण ही जनता पार्टी के गरीब से गरीब केन्डीडेट के पास इतना ज्यादा धन था। आपने 7 खरब रुपया अनअर्थ किया है वह इजारेदारों और ब्लेक मार्केटियरों से किया है। जो नम्बर दो की दौलत थी वह खुलकर सामने आयी। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जन-जीवन से ताल्लुक रखने वाली योजना हैं और शहरों के गरीब और गांवों के गरीबों से ताल्लुक रखने वाली स्कीम हैं उनकी क्रियान्विति होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के लिए जो हम स्टेज पर रखा गया है उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये। कुछ मांगें ऐसी हैं जिनके लिए काफी पैसा चाहा गया है, मांगों के रूप में मंजूर करने के लिए उनके अलावा विभिन्न विभागों के अन्दर जो दिखाते हैं जो गड़बड़ियां हैं, जो कमियां हैं उनके ऊपर और ज्यादा विचार करना चाहिए। ऐसे अवसर के ऊपर मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी के विभाग से सम्बन्धित जो दिक्कतें हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। आशा है वह उसको ठीक करेंगे यह मैं मान कर चलता हूं। वह यह है कि विगत वर्ष मार्च में खुश्क इलाके वालों को उस इलाके में जमीन दी गई जहां राजस्थान केनाल है, उसकी कीमत आपने इतनी ज्यादा लगाई कि किसान उसको देने में असमर्थ है। साढ़े चौतीस हजार रुपया मुरब्बा का आपने पहले तय किया और उसको बाद में बढ़ाकर 39 हजार कर दिया और फिर यह कि गरीब किसान वहां जाकर रहें। इसके बावजूद भी उसमें दिक्कत यह है कि वह जमीन भी गड़बड़ है वहां पर निशानदेही भी नहीं है। ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है कि उसकी कीमत को कम किया जाय। दूसरी बात उनको जो अलॉटमेण्ट हुआ है उसको अच्छी जमीन में ट्रान्सफर किया जाय।

दूसरी बात मैं हमारे इलाके के लिए कह रहा हूं। हमारे इलाके के अन्दर ईंट बनाने के लिए पुश्तैनी अधिकार है कि ईंट बना सकते हैं, लेकिन आज उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। घर बनाने के लिए भी उनको ईंट बनाने की इजाजत लेनी पड़ती है।

(११८)

(श्री मोहरसिंह)

यह वास्तव में एक भयंकर समस्या है, जल्दी ही इसके लिए सोचा जाना चाहिए। अगर आप गरीबों को राहत पहुंचाना चाहते हो तो कानून में भी इसके लिए तब्दीली करनी चाहिए।

इसके साथ साथ ट्यूब वैल्स की दिक्कत का भी सवाल है। बिजली की दर तीन पैसे कर दी है, 27 पैसे और तीन पैसा पैनल्टी का। इसको कम किया जाना चाहिए। जो आपने तीन पैसा कम किया है इससे किसानों को राहत नहीं मिलेगी। अगर आप किसानों का सर्वे करें तो मालूम होगा कि उस इलाके के किसान, जिनके यहां नहरें नहीं पहुंची हैं, के लिए जो बिजली की दर 25 पैसे और दो पैसे है वह काफी ज्यादा है। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसको कम किया जाना चाहिए, घटाना चाहिए। वास्तव में सिंचाई मंत्री जी इस बात को जानते हैं, यह बात एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी ताल्लुक रखती है और रेवेन्यू मिनिस्ट्री से भी ताल्लुक रखती है, जो किसान हैं वह सब घाटे में जा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि शेखावाटी इलाके में जो किसान हैं वह लोग कुओं से अपनी मशीनरी निकाल रहे हैं। इसके लिए आपको विचार करना चाहिए। किसानों को अगर सहायता देना चाहते हैं तो आपको उनको दिक्कतों को दूर करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

• इसके साथ ही मैं एक चीज की ओर और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। इमर्जेन्सी के अन्दर लोगों के सामने काफी डिफिकल्टी आई है, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट है उसमें जिन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है उनको नौकरी दिलानी चाहिए और उनके खिलाफ जो केसेज बनाये गये हैं उनको विदड्रा करना चाहिए। इसके लिए कलैक्टर साहबान को लिखा जाना चाहिए। इसलिए अगर आप और अधिक रकम मांगते हैं तो जिन लोगों को दिक्कतें हैं, जो दुःखी हैं और परेशान हैं उनको भी दूर करना चाहिए। अगर आप समाजवादी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो जो भी जिस वर्ग के ट्यूब वैल हैं उन पर आपको विचार करना चाहिए और जनता को राहत देने के लिए कानून के अन्दर भी आपको चेन्जेज करनी चाहिए। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी से अर्ज कर रहा हूं कि आप इस बिल को पास करें इससे पूर्व इन बातों पर आप विचार करें। हर वर्ग को राहत मिले इसका आपको दृढ़ संकल्प करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस में दो माननीय सदस्यों ने भाग लिया और कुछ मुद्दे उठाये। संक्षेप में उन मुद्दों का जिक्र करूंगा।

पहला मुद्दा सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उठाया है वह यह है कि बिजली प्लान्ट की कैपेसिटी को दुगना करने की राज्यपाल महोदय ने घोषणा कर दी लेकिन उसके लिए कोई धनराशि की मांग नहीं की गई। इसके बारे में मेरा

(श्री चन्दनमल बैद)

निवेदन है कि बिलिंग प्लान्ट के लिए पैसा एन.सी. डी.सी., डी. पी. ए. पी. से और कुछ अपने बजट से आता है। इन तीनों जगह से पैसा आने से पहले ही दिखा देते हैं, पहले जब बजट पेश किया था तो उसमें इसका प्रावधान रख दिया था कि उसको दुगना किया जायेगा और उसी समय सारी रकम मांग ली थी। इसके लिए अगली साल भी जो धनराशि प्राप्त होगी उसकी मांग भी विधान सभा से कर ली गई है। यह खर्चा ऐसा नहीं है जो अचानक कर दिया गया हो।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही है कि ऊन का जो उत्पादन करते हैं उसका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और बीकानेर की जो मिल है वह तापड़िया को दे दी गई है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस विधान सभा से अन्दर और बाहर भी इस बात की चर्चा होती रही है कि उस मिल से हमेशा घाटा होता रहा है। कई कारणों से जितनी पूंजी लगाई गई, यह घाटा भी उतना ही पहुंच गया। इसलिए यह जरूरी समझा गया, मैनेजमेंट और लेबर में करीब करीब जो स्थिति आ गई थी, उसको ठीक करना जरूरी था। ऊनी मिल चूरू में चल रही है, लाडनूं में चल रही है, बीकानेर और जोधपुर में भी चल रही है। इस वास्ते यह समझना कि तापड़िया को मोनोपोली मिल गई और एक्सप्लाइटेशन कर रहा हो, यह बात संभव नहीं है। दूसरे लोग भी खरीदते हैं और ऊन बाहर भी भेजी जाती है। इसलिए अगर बोइन्ट सेक्टर में भी मिल लगाई जाय तो इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास भी काफी स्पिण्डल्स पड़े हुए हैं उनका भी उपयोग हम करना चाहते हैं।

दूसरी बात रावी और व्यास के पानी के सिलसिले में कही गई। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि अब अकाली दल के एक नेता भारत सरकार के कृषि और संचार मंत्री हो गये हैं। हम अपने राजस्थान का जो हक है उसके लिए बराबर लड़ते रहेंगे और बराबर प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा। हम हमारा हक बराबर प्राप्त करते रहेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है।

दूसरी बात आपने पुलिस के बारे में कही। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीकानेर में डी. आई. जी. थे उनका प्रमोशन हुआ है वह एडीशनल आई. जी. के रैंक पर डाइरेक्टर आफ ट्रेनिंग की पोस्ट पर जेल विभाग में आये हैं। तो क्या हम उनका प्रमोशन रोक देते? इस प्रमोशन के लिए पहले ही तय किया गया था। यह दूसरी बात है कि प्रमोशन तय होने के बाद काफी समय लगा। यह भी चुनाव से पहले आये। तो यह कहना गलत है कि क्योंकि चुनाव काल हो गए थे इसलिए बीकानेर से डी. आई. जी. को यहां लाया गया। एक डी. आई. जी. का प्रमोशन नहीं हुआ, तीन का प्रमोशन हुआ है। उनको ऐसी पोस्ट पर लगाया है जो महत्वपूर्ण है। जेल विभाग में सुधार के लिए हमने कुछ काम किए हैं। उन सारे काम की देखभाल के लिए एक अच्छे अधिकारी

(श्री चन्दनमल बैद)

की जरूरत थी और उसके लिए हमने बीकानेर के डी.आई.जी. का सलेक्शन किया और उनको यहां लाए हैं।

सादुलपुर के माननीय सदस्य ने जमीन की कीमत के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। हम खुद इस बात को सोच रहे हैं कि शायद जमीनों की कीमत ज्यादा होने के कारण चूरू और नागौर के किसानों को जो जमीन एलाट की गई थी, वे उस पर नहीं जा रहे हैं। सरकार गंभीरता से विचार करना चाहती है और हम जल्दी कोई निर्णय लेंगे।

बिजली के बारे में आपने जिक्र किया। मुख्य मंत्री ने सदन में जो कुछ कहा उससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता लेकिन यह सही नहीं है कि लोग अपने कुओं के कनेक्शन्स कटवा रहे हैं। हमारे आंकड़ों के अनुसार कनेक्शन्स दिनों दिन बढ़ रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के आंकड़ों के अनुसार एक लाख से ऊपर कनेक्शन्स हैं जब कि पिछले साल एक लाख से कम थे। फिर भी किसानों को बिजली के संबंध में जो परेशानियां हैं उनके प्रति सरकार सजग है और मुख्य मंत्री ने काफी रियायतों की घोषणा की है, उसका अच्छा असर होगा और किसान के मन में विश्वास पैदा होगा कि सरकार उनकी दिक्कतों के प्रति जागरूक है। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चंदनमल बैद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1977 को पारित किया जाए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ पोलिसी मैटर्स पर मुझे बोलना है। सबसे बड़ा पोलिसी मैटर जिसको मैं रखना चाहता हूं वह फैमिली प्लानिंग के बारे में है। इस मद में कुछ ग्रांट चाही गई है और ऐसा मालूम पड़ता है कि जो प्रोग्राम हमने लांच किया था उसके कारण जनता पार्टी की जो लहर आई उससे हम इतने भयभीत हुए कि वापस कदम उठाना चाहते हैं। यह बड़ा गंभीर मसला है। बदहवासी से परेशान होकर इस पालिसी को छोड़ दें, यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है और बेरहमी होगी। इसमें कुछ सुधार हो। यह सदन जानता है कि इस देश में हर महीने 10 लाख आदमियों का जन्म हो जाता है। जितनी आस्ट्रेलिया की आबादी है उतने व्यक्ति हम हर साल पैदा करते हैं और यह अनुमान है कि 30 साल तक यदि यह वृद्धि होती रही तो वह नौबत आ सकती है कि एक अरब तक आबादी पहुंच जाय और उनको बसा नहीं सकें। जिस जनता पार्टी ने चुनाव अभियान में फैमिली प्लानिंग को आधार बनाया उन्होंने भी अपने घोषणा-पत्र

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

में इसको शामिल किया है। इसलिए फैमिली प्लानिंग को परस्यू करें तो उसमें जनता को इन्वाल्व करना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर पार्टी के लोगों की कमेटियां बनाई जायं और वह परसूएसिव मेथड्स से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जांच करें।

इसके साथ साथ जो रियायतों की मुख्य मंत्री ने घोषणा की है उसमें भी मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरी जानकारी है कि इन फैमिली प्लानिंग आपरेशन्स में कुछ मौतें हुई हैं टिटनेस से या किसी वजह से। ऐसे परिवारों को कम से कम 10 हजार रुपए का अनुदान देना चाहिए। टिटनेस की बिना पर 3-4 मृत्यु हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ बीमारी हो जाती हैं। जैसे दुर्घटनायें घटती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं तो लोगों को मुआवजा दिया जाता है तो फैमिली प्लानिंग के कारण डिस-एबल हो गए हैं उनको पेन्शन देनी चाहिए।

इसी तरह मेरा निवेदन है नगर विकास के बारे में। राजस्थान भर में जो कच्ची बस्तियों का मसला है उसे संजीदगी के साथ हमें हाथ में लेना चाहिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो मेरा निवेदन है जिस समय नगर विकास न्यासों के गैर सरकारी अध्यक्षों को हटाया गया उस समय सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि गैर सरकारी अध्यक्ष जल्दी से जल्दी मुकर्रर किये जायेंगे और कलेक्टर की नियुक्ति स्टाप गेप है लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ। मुझे खुद दुःख अनुभव हुआ, जब मैंने चाहा कि कलेक्टर तोड़फोड़ की कार्यवाही को रोके तो उन्होंने कहा कि विधान सभा के सदस्य, जो कोआप्ट किए गए हैं, का जुरिस्डिक्शन नहीं है और हमारा ही अधिकार है कि इस काम को हम करें। मैंने उनसे कहा कि यदि हम लोग दखल नहीं दे सकते तो ठीक है फिर हम लोगों का शामिल होना बिलकुल बेकार है। तो इस किस्म के चेयरमैनों के कारण घटनायें घटीं और यह हालात पैदा हुए। उसके बाद मैंने नगर विकास न्यास की मीटिंग अटेंड नहीं की। यह नीति का प्रश्न है जिसे हमें अपनाना चाहिए और गैर सरकारी अध्यक्ष बनाकर कच्ची बस्तियों के लिए कुछ करना चाहिए।

अस्पतालों के अन्दर, मैं सराहना करता हूं, मौजूदा मंत्री जी के समय में सुधार हुआ है और बड़ी इल्लत जो हमारे सिर पर रहती थी कि फलां का ट्रांसफर कर दो वह जाती रही, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, स्ट्रीम लाइनिंग हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो थोड़ा अवसर रह गया उसके लिए निवेदन है कि अकमोडेशन बहुत कम है और आये दिन मैं देखता हूं मरीज जमीन पर पड़े रहते हैं। तो आपको सोचना है 8 लाख

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
आबादी के लिए एक अस्पताल काफी है या नहीं ? एक जनाना शफाखाना बना रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने के बाद में समस्या का समाधान शायद निकल जाए। यहां की जरूरत के अनुसार अस्पताल का जल्दी से जल्दी निर्माण होना चाहिए। अस्पतालों में दवाइयों और खाने के लिहाज से सुधार हुआ है। जब मुख्य मंत्री चिकित्सा मंत्री थे तो एक कमेटी का निर्माण किया गया था लेकिन उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने उस कमेटी की एक दो बार मीटिंग बुलाने के बाद मीटिंग बुलाना खत्म कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि वह कमेटी जो बनी थी उसने कोई काम नहीं किया हो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी इस लिए जानकारी है, दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, मैं भी उस कमेटी का मेम्बर था। मेरा निवेदन करने का मतलब यह था कि आखिर उस कमेटी को बनाने का मकसद क्या था ? उसने क्या कार्य किया ? इसके बारे में मुझे बताया जाय।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जेल के संबंध में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। अभी माननीय सदस्य श्री केदारनाथ जी ने यहां पर सदन में फर्माया कि जेल में काफी सुधार हुआ है। उसके लिये तो मैं राजस्थान सरकार को मुबारकबाद देता हूं लेकिन जेल के अंदर सबसे बड़ी सुधार की बात हो सकती है जो कि आप और हम सभी के लिये बेनिफिशियल हो सकती है कि इसके लिये अब एक नयी कमेटी फोर्म की जाय जो कि वह देखे कि इसमें और अधिक क्या सुधार हो सकते हैं। आज स्थिति वहां पर यह है मई जून में जब कि खूब तेज गर्मी पड़ती है उस वक्त उन कैदियों को जेल के अन्दर सुलाया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां जेल में सुधार जरूर किया जाना चाहिये। यह आप दोनों ही के इन्ट्रेस्ट में है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उससे फायदा हो सकता है। इसके लिये मेरी गुजारिश है कि कैदियों के लिये एक रिफार्म कमेटी बनायी जानी चाहिये जो यह सभी बातें तय करें। वरना मुझे तो यह पता है कि वहां पर राजनैतिक कैदियों को रियायत अभी तक नहीं है। आपने अभी मीसा में जिनको रखा उनको तो बहुत सी रियायतें दीं, उन्हें वहां पर आपने शाही मेहमान की तरह रखकर उनकी मेहमान नवाजी की, यह अच्छा सलूक किया लेकिन जब हम जेल गये तब जो आपने मीसा में जिनको जेल में रखा, उनको जो दूध वगैरह दिया, वह हमें उपलब्ध नहीं था। तो हमारी यह गुजारिश है कि अब आप ऐसी सुविधायें पोलिटिकल प्रिजनर्स को देने के लिये कुछ व्यवस्था करावें।

श्री चन्दनमल बैद : कोशिश करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप इस कमेटी का जल्दी ही निर्माण फर्मायें जो कि राजनैतिक कैदियों के लिए कुछ फैसला करे। आम कैदियों के लिए भी यह व्यवस्था होनी चाहिए कि मई-जून में उन्हें बाहर सोने की छूट हो। मैंने इस प्रकार का सुझाव सन् 1974 में दिया था पर अभी तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

इसी तरह इस इमर्जेन्सी के दौरान में कच्ची बस्तियों को उठाया गया, इस जयपुर शहर के सौन्दर्यकरण को लेकर कई गरीबों को यहां से उठा दिया गया और फिर उनको नहीं बसाया गया जिससे लोग बेघर हो गये। आम जनता में इस कारण से बहुत आक्रोश है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि चुनावों में हमें भारी शिकस्त देखनी पड़ी। यहां जो हवामहल के नीचे बैठते थे उन्हें आपने बाहर शिफ्ट करा दिया। लेकिन उनसे आपने दूसरा वायदा किया था। मैंने खुद ने कई बार एल. एस. जी. मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था कि इन्हें चांदपोल के बाहर बसा दिया जाय। नौ महीने हो गये लेकिन आज तक उन्हें नहीं बसाया गया। पहले बेचारे यहां पर थड़ी लगाकर हवामहल के नीचे बैठते थे, वह लोग नगरपालिका को 24 रुपये महीना किराया देते थे और अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन आज वह बेचारे सब बेघर-बार हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव पेश किये हैं उन पर मुझे यकीन तो नहीं आता कि आप कुछ कार्यवाही करेंगे लेकिन मैं इतना जरूर गुजारिश किया चाहता हूं कि अब सेन्टर में आपकी हुकूमत नहीं और हो सकता है कि विधान सभा के आयन्दा चुनाव आने वाले महीनों में हों, आप और हम यहां नहीं मिलें इसलिये मेरी गुजारिश है कि जो गलतियां हमने की हैं उनको सुधारा जाय ताकि वापस हम आ सकें। यह जो आपकी फेमिली प्लानिंग का कार्यक्रम है उसे वापस नहीं लेना चाहिये। जो लोग इसमें मर गये हैं उनके परिवारों को सरकार की तरफ से दस-दस हजार रुपये फी परिवार दिये जाने चाहिये।

अब थोड़ा मैं नगर विकास न्यास के बारे में गुजारिश करना चाहता हूं। मेरी राज्य सरकार से यह गुजारिश है कि इसमें आपको नॉन-आफिशियल चेयरमैन जल्दी से जल्दी मुकर्रर करने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : थोड़ा जुझारसिंह जी दिख गये थे इसलिये अर्ज करने लग गया।

श्री चन्दनमल बैद : वह वापस चले गये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इत्तफाक से उनके दर्शन हो गये थे। इसलिये याद आ गया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां उन्होंने टूरिज्म मिनिस्टर की हैसियत से हाथियों की एक विशेष व्यवस्था की बात की थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजी साहब, आप कहां हाथियों की बात करते हैं। अब तो हाथी पोलो नहीं लोग ऊंट पोलो खेलने लग गये हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, हाथियों का एक विशेष महत्व है उनके लिये आमेर के पास एक जगह टूरिज्म डिपार्टमेन्ट ने तय की जिस में वह आराम से

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
रह सकें। 30-32 हाथी हैं। अभी पालियामेंट के जो सदस्य पहले आये थे तो उन्होंने जाते वक्त यह कहा था कि हम जयपुर से जाते वक्त दो चीजें हमारे साथ ले जा रहे हैं एक तो हैं जयपुर के एम. एल. एज. की मोहब्बत और दूसरे हाथियों की सवारी तो एम. एल. एज. की मोहब्बत जो वह साथ ले गये वह तो हम देख रहे हैं लेकिन दूसरी जो हाथियों की बात कही उसके लिये राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिये।

इसके अलावा जो भी गलतियां, थोड़ी हों या ज्यादा, हमने की हैं उन्हें हमें सुधारना होगा। जब तक हम उन्हें नहीं सुधारेंगे तब तक हम जनता के सामने जाकर वोट किस प्रकार मांगेंगे। इसलिये मेरी गुजारिश है कि हमें उन गलतियों को रफा करके उन्हें सुधार कर ऐसे कार्य करने की जरूरत है जिससे कि हम जनता के सामने जा सकें।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज है कि.....

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई पालिसी मैटर की बात हो तो मैं आपको अलाऊ करूंगा। Otherwise I will not allow.

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, पोलिसी की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : That has already been covered by his speech.

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो हमारे काम हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिये और हमें इन्हें बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिये।

इसके अलावा जो यह आपने नगर विकास न्यास बनाये हैं उनका काम तो गरीब लोगों के काम में रोड़ा अटकाना ही है। गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गयी थी। उन लोगों के आधे मकान बन गये हैं। कोई नया प्लान नहीं है पर न्यास उन्हें रोक रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के यू. आई. टी. के काम हैं उन्हें समाप्त करने की जरूरत है। वह कोई नयी योजना नहीं है जिसमें कि नगर विकास न्यास से स्वीकृति लेनी आवश्यक हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्हें यह हिदायत दी जानी चाहिये कि उन गरीब लोगों के जहां भी मकान बन रहे हैं उन्हें नहीं रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की आखरी स्टेज पर दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये एक जौहरी बाजार, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने नीति सम्बन्धी कई प्रश्न उठाये। पहला प्रश्न उठाया परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन का कार्यक्रम केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र में जनता पार्टी को

(श्री चन्दनमल बेद)

सरकार है और घोषणा-पत्र में परिवार नियोजन के बारे में लिखा है कि प्रयत्न करते रहेंगे। अभी केन्द्र में सरकार नयी नयी बनी है, वह किस तरह की नीति पर चलती है, उसका सब्र के साथ इन्तजार करना चाहिये। इसके बाद ही प्रदेश सरकार भी नीति तैयार कर सकेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो दिन पहले ही घोषणा की कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में नहीं चलायेंगे। कांग्रेस ने अपनी सारी प्रेस्टिज दांव पर लगा कर इस अभियान को राष्ट्रीय कार्यक्रम मान कर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से हाथ में लिया था। इसका हमें कोई दुःख नहीं है। हम यह जानते हैं कि कोई कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया जाता है तो कुछ लोगों को परेशानियां होना संभव है, जिनको परेशानियां हुई हैं उनके लिये हमें दुःख है। अभियान के रूप में कोई कार्यक्रम चलता है और उसमें सरकारी अधिकारी और सारा देश लगता है तो निश्चित रूप से परेशानियां और दिक्कतें होती हैं। जैसी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, जिनको परेशानियां हुई हैं उनको कम करने के लिए जो कुछ भी हम, कर सकते हैं वह करने की घोषणा की। मैं इस बात को मानता हूं और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारे देश का विकास करना है, इसे मजबूत बनाना है तो राष्ट्रीय कार्यक्रम को हाथ में लेना होगा चाहे उसको स्वरूप कैसा ही दे दें। इसको अभियान के रूप में चलायें यह सब इस पर निर्भर करेगा कि केन्द्र सरकार किस रूप में इसको लेती है। परिवार नियोजन के आपरेशन्स के कारण जिनको प्राण गंवाने पड़े, भारत सरकार के साथ मिल कर यह फैसला किया था कि पांच हजार की धन राशि उनको देंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 17 हजार।

श्री चन्दनमल बेद : पांच हजार रुपये की धनराशि का प्रावधान है। किसी को नहीं दी जा सकी हो, कोई माननीय सदस्य मेरी नजर में इस बात को लायेंगे तो पांच हजार रुपये की धनराशि देंगे। जो केसेज आये हैं उनको दी है। जिन लोगों को बाहर से प्राइवेट रूप में इलाज कराना पड़ा, छुट्टी लेनी पड़ी हो तो ऐसी छुट्टी को हम फुल पे की मानेंगे और जो भी इलाज का खर्चा हुआ हो, आने जाने का खर्चा हुआ हो वह भी हम वहन करेंगे।

दूसरा पोइन्ट उठाया यू. आई. टी. में नोन ऑफिशियल्स के बारे में। नोन ऑफिसियल्स होने चाहिये इस पर सरकार विचार करेगी और निर्णय लेगी।

हास्पिटल कमेटी बनाने का सुझाव दिया। मैं इस बात का आभारी हूं कि जो कुछ भी हास्पिटल्स में सुधार का कार्य किया जा सका उसकी आपने प्रशंसा की है। यह विकास का कार्य चालू रहेगा जिससे कि जो भी रोगी वहां आये उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके।

हास्पिटल की कमी है जैसा आपने खुद ने ही कहा है कि पास में ही दूसरा होस्पिटल बन रहा है। वहां जनाना होस्पिटल जावेगा और वहां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनेगा। हास्पिटल्स की व्यवस्था में हम फर्क करें थोड़ा इस प्रश्न की ओर सरकार जागरूक है। सरकार जानती है

(श्री चन्दनमल बैद)

कि 8 लाख लोगों के लिये ही तो यह होस्पिटल नहीं है, बाहर से जो लोग आते हैं उनका भी तो इलाज करना है। इस का एक स्टेट करेक्टर है और इसी दृष्टि से हम इसे जागरूकता के साथ देख कर पूरा करेंगे।

कमेटियों के बारे में मतभेद नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कमेटियां बना दी गयी थीं।

श्री चन्दनमल बैद : ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही हैं। मैं सोचूंगा कि इनको किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जाय।

जेल में शाही मेहमान आये, उनमें काफी सुधार किया है यह कहा गया। क्या किया और क्या नहीं किया यह मुझे नहीं मालूम है। सारी जेलों में पंखे दे दिये, फ्लश लैट्रिन्स बना दी गयीं।

श्री केदारनाथ : चाय भी मिलती है।

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद। खाने के मामले में भी सुधार किया है। उनको सुधारने के लिये उद्योग धन्धे भी सिखाने की व्यवस्था की गयी है। अब वहां पर शाही मेहमान की तरह से हो नहीं किन्तु साधारण तरीके से जावेंगे तो सहूलियत मिलेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

जेल में पढ़ाने, लिखाने, सिखाने की दृष्टि से काफी काम किया है प्रश्न के उत्तर में बताया था कि पोस्टें क्रियेट की हैं उनको सुधारने के सिलसिले में कार्यक्रम चलाये गये हैं, उनको जागरूकता के साथ चलाया गया है। न सिर्फ वहां हिफाजत से लोगों को रखें बल्कि वे शाही ढंग से बाहर निकलें और समाज के लिए उपयोगी हों--इस उद्देश्य से जेल में ये सुधार किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो पोइन्ट माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनके लिए मैं काफी जिक्र कर चुका हूं मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1977 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 30 मार्च 1977 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.18 बजे बुधवार दिनांक 30 मार्च, 1977 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 29 का ब्योरा)

वर्ष 1964–65 से राजस्थान वृद्धावस्था पेन्शन नियम 1964 लागू होने की तिथि से नियमों में अब तक समय समय पर किये गये मुख्य परिवर्तन का ब्योरा।

क्र.सं.	विषय	राजस्थान वृद्धावस्था पेन्शन नियम 1964 के अनुसार स्थिति	संशोधन आदेश जिसके द्वारा परिवर्तन किया गया	परिवर्तित स्थिति
1	2	3	4	5
1.	पेन्शन की दर प्रति माह	(1) प्रति व्यक्ति 20 रु.	(अ) राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 1 (10) वित्त (नियम) 70 दिनांक 18-4-70 द्वारा 1-3-70 से लागू	(1) प्रति व्यक्ति 30 रुपये (2) पति पत्नी के जोड़े के लिये संयुक्त पेन्शन 40 रुपये
		(2) पति पत्नी के जोड़े के लिये संयुक्त पेन्शन 25 रुपये	(ब) राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ. 1 (22) वित्त (नियम) 73 दिनांक 15-2-77 द्वारा दिनांक 1-1-77 से लागू	(1) प्रति व्यक्ति — 40 रुपये (2) पति पत्नी के जोड़े के लिये संयुक्त पेन्शन 60 रुपये
2.	उम्र	(1) पुरुष—65 वर्ष	(अ) विज्ञप्ति संख्या एफ. 1(10) वित्त (नियम)	(1) पुरुष — 65 वर्ष

Page No 120

1	2	3	4	5
		(2) महिला 65—वर्ष	70/दिनांक 18-4-70 द्वारा 1—3—70 से (ब) विज्ञप्ति संख्या एफ. 10 वित्त/(नियम) 70 दिनांक 21-12-72	(2) महिला — 60 वर्ष (1) पुरुष — 58 वर्ष (2) महिला— 55 वर्ष
3.	पेन्शन स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी	जिलाधीश	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 1 (22) वित्त/(नियम) 73 दिनांक 15-5-74 द्वारा 1-6-74 से लागू	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
4.	पेन्शन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध	प्रशासनिक विभाग (समाज कल्याण)	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 1 (22) वित्त/(नियम) 73 दिनांक 15-5-74 द्वारा 1-6-74 से लागू।	(1) जिलाधीश (2) जिलाधीश के निर्णय के विरुद्ध रिव्यू के अधिकार प्रशासनिक विभाग (समाज कल्याण) में निहित है।
5.	पास पोर्ट साइज फोटो	निजी व्यय से	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 1 (22) वित्त/(नियम) 73 दिनांक 15-5-74 द्वारा 1-6-74 से लागू।	एक रुपया प्रति व्यक्ति राज्य कोष से स्वीकृत किया जाता है।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची)

प्रस्तावित ट्रैक्टर कारखाने में जिन ट्रैक्टर्स के निर्माण पर विचार किया गया उनके मैक एवं मोडल का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	मैक/मोडल	हार्स पावर
1.	रिनोल्ट	45
2.	हिन्दुस्तान	35
3.	ड्युट्ज मोडल 4006	35
4.	स्टायर	18
5.	एच एम.टी. जीटर 3511	55
6.	जीटर-2511	25
7.	पिल्ली मोडल 4000	37

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूची)

बिन्दु संख्या 2: माह जून, 1976 में डी.पी.सी. द्वारा चयनित एवं नियुक्त किये गये प्रधानाध्यापकों की सूची।

प्रधानाध्यापक

क. स.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम अधिकारी
1	2	3
1.	45/सम	श्री रामरतन आचार्य
2.	943/सम	श्री कुशलसिंह चौहान
3.	947/सम	श्री लक्ष्मणदास जादम
4.	998/सम	श्री रामचन्द्र अग्रवाल
5.	1002/सम	श्री बीरबल सिंह
6.	47/सम	श्री दीपचन्द भानु
7.	1024/सम	श्री जयकुमार सिंह
8.	1027/सम	श्री जयदेव शर्मा
9.	1036/सम	श्री कोडरलाल पांडेय
10.	1939/सम	श्री भंवरलाल उपाध्याय
11.	49/सम	श्री रघुवंश शर्मा
12.	1641/सम	श्री सोहनलाल बिश्नोई
13.	1642/सम 253/सम	श्री मिठूलाल जोशी
14.	1049/सम 611/सम	श्री माणकचन्द सिंघल
15.	1055/सम	श्री कल्याण राय शर्मा
16.	36/सम	श्री चांद प्रकाश तिवारी
17.	1036/सम	श्री महेन्द्र नारायण माथुर
18.	1038/सम	श्री सुखदेव प्रसाद माथुर
19.	1060/सम	श्री नृसिंह भारती
20.	1027/सम	श्री बृजराजसिंह मेहता
21.	49/सम	श्री सोहनसिंह सुराणा
22.	1064/सम	श्री जगदीशलाल शर्मा

Page No 123

(123)

1	2	3
23.	1073/सम	श्री राधेश्याम उपाध्याय
24.	1055/सम	श्री सुरेश चन्द शुक्ल
25.	1096/सम	श्री गुरुप्रसाद
26.	65/सम	श्री नेमीचन्द सोनी
27.	1105/सम	श्री चौथेसिंह मलिक
28.	1110/सम	श्री श्रीलाल दुबे
29.	1121/सम	श्री मांगीलाल
30.	72/सम	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
31.	1125/सम	श्री प्रतापसिंह शक्तावत
32.	1126/सम	श्री अवतार चन्द शर्मा
33.	1127/सम	श्री कृष्णराज कल्ला
34.	1126/सम	श्री गोविन्दलाल माथुर
35.	77/सम	श्री राधेश्याम गुप्ता
36.	1130/सम	श्री रामकृष्ण रंगा
37.	1137/सम	श्री सुन्दरलाल गुप्ता
38.	1143/सम	श्री कमला शंकर जोशी
39.	1159/सम	श्री राधेश्याम मेहता
40.	32/सम	श्री ताराचन्द जैन
41.	1170/सम	श्री भगवत शरण चतुर्वेदी
42.	1176/सम	श्री किशोरीलाल
43.	1481/सम	श्री रामनारायण शर्मा
44.	87/सम	श्री महेश प्रकाश सक्सेना
45.	1139/सम	श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रधान
46.	1153/सम	श्री प्रेमनाथ
47.	1196/सम	श्री योगीदास खुंखार
48.	1281/सम	श्री सागरमल दुलानिया
49.	1009/सम	श्री छत्रसिंह दाला
50.	1214/सम	श्री राजेन्द्र त्रिपाठी
51.	1228/सम 601/सम	श्री गोरधनलाल गुप्ता
52.	91/सम	श्री देवीसिंह चारण
53.	1232/सम 292/सम	श्री मदनलाल

Page No 124

(124)

1	2	3
54.	1234/सम्र 281/सम्र	श्री घनश्यामलाल शर्मा
55.	1247/सम्र 438/सम्र	श्री विनोद कुमार सोलंकी
56.	1250/सम्र 434/सम्र	सुखराम
57.	122/सम्र	श्री केशवदेव बर्मा
58.	1258/सम्र 680/सम्र	श्री नन्दकिशोर शर्मा
59.	1263/सम्र	श्री जेठमल किराड़
60.	1269/सम्र 684/सम्र	श्री इन्द्रजीत सूद
61.	1274/सम्र	श्री फतेसिंह सिसोदिया
62.	131/सम्र	श्री श्रीराम
63.	1295/सम्र 485/सम्र	श्री रामचरण राठी
64.	1299/सम्र 127/सम्र	श्री जोधराज आचार्य
65.	1313/सम्र	श्री रोहिताश्वचन्द टंडन
66.	132/सम्र	श्री आनन्दराज थानवी
67.	1331/सम्र	श्री ताराचन्द शर्मा
68.	1333/सम्र 284/सम्र	श्री छतराज लखेरा
69.	1343/सम्र 438/सम्र	श्री गणेशलाल शर्मा
70.	1335/सम्र	श्री धनकुमार जैन
71.	133/सम्र	श्री भगवानस्वरूप माथुर
72.	1363/सम्र	श्री भूपसिंह सोलंकी
73.	1366/सम्र	श्री चतुरभुज दशोरा
75.	1372/सम्र	श्री धनोराय काशीवाल
76.	1813/सम्र/428/सम्र	श्री श्याम सुन्दर श्रीमाली
77.	1171/सम्र	श्री हरिराम तिवाड़ी
78.	1206/सम्र	श्री लक्ष्मीनारायण माथुर

1	2	3
79.	94/सम	श्री रामा नामट
80.	1397/सम	श्री सुगन लाल सक्सेना
81.	1403/सम	श्री मोती लाल विजयवर्गीय
82.	133/सम	श्री भंवर सिंह शेखावत
83.	1413/सम/656/बम	श्री त्रिलोकीचन्द
84.	1426/सम	श्री चिरंजीलाल पुरोहित
85.	1432/सम	श्री सतीशकुमार गुप्ता
86.	1442/सम	श्री शंकरलाल माथुर
87.	151/सम	श्री वेदप्रकाश महेश्वरी
88.	1477/सम	श्री कृष्ण शर्मा
89.	1477/सम	श्री मण जी जैन
90.	1499/सम	श्री सोहनसिंह सांकला
91.	6513/सम	श्री रूपचन्द गजसिंघानी
92.	195/सम	श्री नन्दलाल माथुर
93.	1527/सम/657/बम	श्री सुरेशचन्द शर्मा
94.	1546/सम	श्री विष्णुभान गोयल
95.	1564/सम/569/बम	श्री नटवरलाल पाठक
96.	1975/सम	श्री बद्रीनारायण शर्मा
97.	167/बम	श्री जयनारायण पारीक
98.	1365/सम	श्री लालचन्द शर्मा
99.	4306/स म/653/बम	श्री रूपचन्द महेश्वरी
100.	1623/सम	श्री भगवान सिंह
101.	1487/सम	श्री रामप्रसाद शर्मा
102.	472/सम	श्री गोपालनारायण सक्सेना
103.	4696/सम	श्री गणेशगोविन्द बिरल
104.	1666/सम	श्री जयशंकर पाटक
107.	1672/सम	श्री विष्णुदत्त शर्मा
108.	4674/सम	श्री शिवजीराम
109.	113/सम	श्री बृजमोहन पुरोहित
110.	1617/सम	श्री चेतनप्रकाश जैन
111.	1675/सम	श्री दामोदर प्रसाद शर्मा
112.	1709/सम	श्री लालचन्द शर्मा
113.	1705/सम	श्री आनन्द कोशल सक्सेना

Page No 126

(126)

1	2	3
114.	141/सम्र	श्री रामचन्द्र शास्त्री
115.	1773/सम्र	श्री गोपीराम शर्मा
116.	1725/सम्र	श्री लक्ष्मीनारायण दोषी
	259/सम्र	
117.	1726/सम्र	श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा
118.	1731/सम्र	श्री विश्वनाथ श्रामेटा
119.	183/सम्र	श्री चन्द्रमोहन श्रीवास्तव
120.	1744/सम्र	श्री जेठमल व्यास
121.	1745/सम्र	श्री लालाराम शर्मा
	4749/सम्र	श्री भगवतीलाल मेहता
122.	1773/सम्र	श्री बाबूलाल दवे
123.	197/सम्र	श्री नथूलाल त्रिवादी
124.	1780/सम्र	श्री उदयकोर शर्मा
125.	1785/सम्र	श्री राजीवलोचन
126.	1416/सम्र	श्री नन्दलाल टेलर
	374/सम्र	
127.	1415/सम्र	श्री जमनराम जोशी
128.	273/सम्र	श्री नरेन्द्रकुमार मेहता
129.	1836/सम्र	श्री बंशीलाल पदेर
	521/सम्र	
130.	1941/सम्र	श्री मोहनसिंह
131.	1642/सम्र	श्री उत्तमसिंह
132.	1844/सम्र	श्री दयाप्रकाश प्रसाद शर्मा
	561/सम्र	
133.	216/सम्र	श्री अब्दुल गफूर खां
134.	1648/सम्र	श्री महेशस्वरूप भटनागर
135.	1843/सम्र	श्री अम्बालाल नागोरी
136.	1857/सम्र	श्री केशवदेव पालीवाल
137.	1460/सम्र	श्री कुशलराज मेहता
	474/सम्र	
138.	220/सम्र	श्री कमप्रकाश सक्सेना
139.	1871/सम्र	श्री हरभान सिंह
140.	307/सम्र	श्री उत्तमकृष्ण शर्मा

Page No 127

(127)

1	2	3
141.	1893/सम	श्री कुबेरदत्त त्रिवेदी
142.	1898/सम	श्री दया शंकर चतुर्वेदी
143.	231/सम	श्री जगदीश विजय
144.	1900/सम	श्री शिवदानसिंह
145.	1903/सम	श्री रामसिंह सोलंकी
146.	1904/सम	श्री कामेन्द्रमोहन बोहरा
147.	1906/सम	श्री कमता प्रसाद श्रीवास्तव
148.	232/सम	श्री रघुबीर शरण गुप्ता
149.	1912/सम	श्री शान्ति शंकर दीक्षित
150.	1915/सम	श्री छतरसिंह राणावत
151.	1943/सम	श्री हरीशचन्द
152.	1944/सम	श्री जोधसिंह परमार
153.	236/सम	श्री सम्पतराम विजयवर्गीय
154.	1957/सम 306/सम	श्री जसवंतसिंह पगारिया
155.	2002/सम	श्री हीरालाल शर्मा
156.	2016/सम	श्री लक्ष्मणसिंह राठौर
157.	338/सम	श्री प्रोमशंकर भार्गव
158.	237/सम	श्री किशन गोपाल शर्मा
159.	294/सम	श्री प्रोमप्रकाश शर्मा
160.	295/सम 2541/सम	श्री विशम्भरदास मोटवानी
161.	295/सम 3577/सम	श्री बलवंतसिंह मंत्री
162.	355/सम	श्री शांतिलाल जैन
163.	447/सम	श्री रामचरणलाल गुप्ता
162.	475/सम	श्री अमरसिंह मान
163.	821/सम	श्री द्वारका प्रसाद अग्निहोत्री
164.	979/सम	श्री जगदीश्वर दयाल सहल
165.	991/सम	श्री लाडलीबाबू भार्गव
166.	992/सम	श्री राधा कृष्ण शर्मा
167.	994/सम	श्री मनोहरलाल शर्मा

Page No 128

1	2	3
168.	595/सम	श्री किशन कुमार गुप्ता
169.	999/सम	श्री इन्द्ररूप राय
170.	1090/सम	श्री हरिबक्श जांगिड़
171.	1001/सम	श्री भुवनेश चन्द्र गुप्ता
172.	1003/सम	श्री दुर्गानारायण माथुर
173.	1004/सम	श्री शान्तिकिशोर श्रीवास्तव
174.	1005/सम 418/सम	श्री वीरेन्द्रसिंह
175.	1006/सम 979/सम	श्री मदनलाल शर्मा
176.	1007/सम 233/सम	श्री बंशीधर शर्मा
177.	1008/सम 600/सम	श्री मखनलाल शर्मा
178.	1009/सम 597/सम	श्री प्रभुदयाल सैनी
179.	1010/सम	श्री हनुमानसिंह बटर
180.	1011/सम	श्री नारायणदत्त माथुर
181.	1012/सम	श्री जगदीश प्रसाद भार्गव
182.	1013/सम	श्री गुलाबचन्द जैन
183.	1015/सम	श्री गुलाबसिंह
184.	1016/सम	श्री जोरावरसिंह लोढ़ा
185.	43/सम	श्री बृजमोहन लाल सिंघल
186.	1019/सम 255/सम	श्री राधाकृष्ण सनाढ्य
187.	1020/सम	श्री आनन्दराम जोशी
188.	1021/सम 670/सम	श्री प्रेममोहनलाल गर्ग
189.	1022/सम	श्री नारायण शंकर द्विवेदी
190.	46/सम	श्री रतनलाल चंबलानी
191.	1023/सम	श्री भैरुलाल व्यास
192.	1025/सम	श्री निजामुद्दीन कुरैशी
193.	1038/सम 499/सम	श्री नन्दलाल दशोरा

Page No 129

(129)

1	2	3
194.	1033/सम	श्री जगन्नाथ गुप्ता
195.	48/सम	श्री जानकीलाल न्याती
196.	1034/सम	श्री नूरमहुम्मद
197.	1035/सम	श्री हरिवल्लभ दीक्षित
198.	1040/सम	श्री किशनलाल धाभाई
199.	1042/सम	श्री पुरुषोत्तमलाल द्विवेदी
200.	1043/सम 253	श्री बिठूलाल जोशी

(130)

बिन्दु संख्या 2 : माह जून, 1976 में डी.पी.सी. द्वारा चयनित एवं नियुक्त किये गये प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं की सूची

प्रधानाध्यापिकाएं

क्र.सं. 1	वरिष्ठता क्रमांक 2	नाम अधिकारी 3
		श्रीमती/सुश्री
1.	91/सम	पुष्पा जौहरी
2.	92/सम	निर्मला झा
3.	105/सम	सुलोचना कौल
4.	123/सम	किरण कुमारी
5.	126/सम 22/सम	चंचल कौल
6.	129/सम	विमला गुप्ता
7.	131/सम	भगवन्त कौर
8.	22/सम	लक्ष्मी टण्डन
9.	151/सम	मालती शर्मा
10.	154/सम	विद्यावती सहारन
11.	98/सम	वी. दास
12.	96/सम	विद्यावती शर्मा
13.	2/सम	दीपिका मुकर्जी
14.	99/सम	चन्द्रा जोशी
15.	117/सम	प्रभावती मिश्रा
16.	19/सम	सिन्धु शर्मा
17.	135/सम	उमराव कोठारी
18.	150/सम	इन्द्रा भट्ट
19.	259/सम	शकुन्तला शर्मा
20.	25/सम	सुधा जौहरी
21.	161/सम	सत्या कृष्णा
22.	172/सम	शान्ति सर्वा
23.	190/सम	विमला त्यागी
24.	191/सम	चन्द्रकला आमेटा
25.	25/सम	भगवती शर्मा
26.	276/सम	विमला मेहरा

1	2	3
27.	229/सम्र	शोभादेवी सेठी
28.	230/सम्र	मनी सिहाग
29.	235/सम्र	तारा राठोड़
30.	242/सम्र	देवकुमारी बजाज

[redacted]

डी. पी. सी. एवं चयनित एवं उसकी रिजर्व सूची के समस्त व्यक्तियों की तथा पदावनत व्यक्तियों के अतिरिक्त पदोन्नत किये गये प्रधानाध्यापकों की सूची

क्र. सं.	वरिष्ठता	नाम प्रधानाध्यापक	आदेश संख्या व दिनांक
1.	108/स प्र	श्री प्रेमरतन आचार्य	8244/76-77/पो-3/42
2.	1132/स प्र	श्री दौलराम धनवानी	दि. 23-1-77
3.	149/स प्र	श्री प्रकाशचन्द चतुर्वेदी	,,
4.	156/स प्र	श्री नेमीचन्द जैन	,,
5.	159/स प्र	श्री श्याम बिहारीलाल माथुर	,, (44) 4-2-77
6.	160/स प्र	श्री रामनवल पाण्डे	,, (48) 16-2-77

प्रधानाध्यापिकाएं

क्र. सं.	वरिष्ठता	नाम	आदेश संख्या व दिनांक
1.	40/स प्र 201/स प्र	श्रीमती फतह कंवर	7252(2)/76-77(36) दिनांक 15-12-76
2.	155/स प्र	श्रीमती प्रेमप्यारी विद्यार्थी	,,
3.	156/स प्र	श्रीमती कुसुम कुलश्रेष्ठ	,,
4.	162/स प्र	श्रीमती ह. कौल	,,
5.	163/स प्र	श्रीमती सावित्री एच. कल्ला	,,
6.	165/स प्र	श्रीमती लतिका जैन	,,
7.	166/स प्र	श्रीमती सरस्वती राय जादा	,,
8.	167/स प्र	श्रीमती शान्ति भिलाई	,,
9.	168/स प्र	श्रीमती सुशीला बंसल	,,
10.	41/स प्र	राजकुमारी शर्मा	,, (42) 12-1-77
11.	45/स प्र	शैल कुमारी एल. हुन्स	,,
12.	173/स प्र	श्रीमती के. आर. चन्द्रिमा	,,
13.	174/स प्र	सुरैया खां	,,
14.	175/स प्र	श्रीमती राजदुलारी टंडन	,,
15.	176/स प्र	श्रीमती लीलावती बदलानी	,, (43) 15-1-77
16.	177/स प्र	श्रीमती उमा चतुर्वेदी	,,
17	168/स प्र 62/स प्र	श्रीमती खमीलु निसा	,, (45) 19-1-77
18.	181/स प्र	श्रीमती महेन्द्र बंसल	,,

1	2	3	4
19.	46/स प्र 221/स प्र	श्रीमती पुष्पा सूद	7252(2)76-77(46) 2-2-77
20.	183/स प्र	श्रीमती कमला कुमारी अग्रवाल	,,
21	187/ स प्र	श्रीमती कमला सी.एच.	,,
22.	47/ स प्र	श्रीमती उमा जोशी	,,(51) 19-3-77
23.	60/स प्र 210/स प्र	श्रीमती एम. सरस्वती	,,